दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

सितम्बर, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने पर विधि आयोग की रिपोर्ट 11
- नीति निर्माताओं के लिये आचार संहिता बनाने की अपील 11
- एशियाई खेल और भारत 12
- सरकार ने कौशल प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिये उठाया कदम 13
- गूगल करेगा ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापनों को ट्रैक 14
- केरल की बाढ़ में सबसे बड़ी झील का योगदान 15
- एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी 16
- भारत की बदतर स्वास्थ्य रिपोर्ट 16
- सरकार ने 328 FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध 18
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) 19
- मानव विकास सूचकांक में भारत 130 वें स्थान पर 20
- परिवार कल्याण समिति दहेज के उत्पीड़न मामलों का मूल्यांकन नहीं कर सकती : उच्चतम न्यायालय 21
- वैवाहिक बलात्कार की वैधानिकता पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी 22
- सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्णय 23

नोट :

- उम्मीदवार के प्रचार को प्रकाशित करना 'पेड न्यूज़' है: निर्वाचन आयोग 24
- निर्वाचन आयोग की राजनैतिक दलों के साथ बैठक 24
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विघटन की 1घोषणा 25
- न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग 26
- हर उम्र की महिलाओं के लिये खुले सबरीमाला मंदिर के दरवाज़े 27
- पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला 29

आर्थिक घटनाक्रम **31**

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' का शुभारंभ 31
- वर्ष 2017 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 32
- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का महत्त्व 32
- 10 से अधिक शाखा वाले बैंकों को नियुक्त करना होगा आतंरिक लोकपाल: रिज़र्व बैंक 33
- निर्माण श्रमिकों के लाभों की जाँच के लिये लेखा परीक्षा 34
- तीव्र गति से विकसित होता खाद्यान्नों का साइलो भंडारण तरीका 35
- जन-धन योजना ओपन-एंडेड योजना 36
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आनुवंशिक विकारों को कवर करना आवश्यक नहीं: IRDAI 37
- सेबी के नए मानदंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 38
- पीएमओ ने दी पोषण मानदंडों को मंज़ूरी 40
- भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अगला संकट मुद्रा ऋण की वज़ह से 40
- भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण 41

नोट :

- 10 महीने के निचले स्तर पर पहुँची खुदरा मुद्रास्फीति 43
- किसानों के पास बचत या निवेश हेतु नकद की कमी : NAFIS 44
- पीएसबी द्वारा जब्त संपत्तियों के लिये प्रस्तावित एक साझा ई-नीलामी मंच 45
- रुपए की कीमतों में स्थिरता लाने और चालू खाता घाटे को रोकने के लिये उपायों की घोषणा 46
- डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष 47
- स्थानांतरित कृषि पर स्पष्ट नीति हेतु नीति आयोग की पहल 47
- सरकार ने तीन सार्वजनिक बैंकों के विलय का लिया फैसला 48
- सेबी के नए मानदंड 49
- बांध पुन:स्थापन और सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंज़ूरी 50
- रुपए को बचाने के लिये एनआरआई बॉण्ड जारी करने का विकल्प 51
- सरकारी पैनल ने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के कायापलट की सिफारिश की 52
- मुद्रा लोन और ऋण जोखिम 53
- ओडिशा ने खाद्य और खरीद नीति में किया बदलाव 54
- वित्तीय समावेशन सूचकांक 55
- भारत में बेरोज़गारी की दर 20 वर्षों में सबसे अधिक 56
- भारत में जारी होने वाले पहले आरईआईटी का महत्त्व 57
- आंध्र प्रदेश हेतु 455 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी 58
- WTO ने वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान घटाया 59

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 60

- भारत ने पाकिस्तानी जलविद्युत के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया 60
- भारत के राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा 60
- भारत करेगा एफ-16 लड़ाकू विमान के विंग्स का निर्माण 61
- भारत और अमेरिका की पहली 2+2 वार्ता 62
- मोबिलाइज़ योर सिटी 63
- वर्तमान में LEMOA का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन 64
- प्रत्यायन पर चौथा विश्व सम्मेलन 64
- भारतीय राष्ट्रपति की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा 66
- बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन 67
- विश्व आर्थिक मंच ने जारी की 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट 67
- उपराष्ट्रपति की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा 68
- बहुपक्षवाद, यूएनएससी सुधार हेतु जी-4 देशों की बैठक 69

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 71

- J-J द्वारा दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण पर मुआवज़े का फैसला 71
- नासा के स्पिट्ज़र दूरबीन ने अंतरिक्ष में पूरे किये 15 साल 72
- चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम 72
- मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण और स्वदेशीकरण के लिये समिति का गठन 73
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 75
- सतत' पहल 76

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 78

- पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये एनजीटी द्वारा उठाया गया कदम 78
- संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिये शुरू की वार्ता 79
- नीति आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा हिमालयी झरनों को बचाने का आग्रह 80
- बाढ़ के बाद केरल की नदियों में पानी का स्तर गिरा 81
- देश के अधिकांश नदी खंड प्रदूषित : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 81
- ई-कचरे का खतरनाक संग्रहण : रिपोर्ट 82

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 85

- चक्रवाती तूफान 'डे' (DAYE) 85

सामाजिक मुद्दे 87

- परिवार कानून सुधार पर विधि आयोग का परामर्श पत्र 87
- सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को अपराधमुक्त घोषित किया 87
- विश्व में भूख की समस्या में लगातार तीसरे वर्ष बढ़ोतरी 88
- आत्महत्या करने वाली 37% महिलाएँ भारतीय 89
- HIV और LGBTQ+ समुदाय सहित सभी मरीज़ों का बिना भेदभाव के समान रूप से चिकित्सा उपचार 89
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने जारी की HIV आकलन रिपोर्ट 2017 90
- असम के डायन विरोधी कानून को राष्ट्रपति की मंज़ूरी 91
- दुनिया भर में हर 5 सेकंड में 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मृत्यु : यूएन रिपोर्ट 92

नोट :

- हाथ से मैला ढोने वालों से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट 93
- एक दशक में लगभग 271 मिलियन भारतीय गरीबी से हुए मुक्त 95
- भारत बना यौन अपराधियों की रजिस्ट्री करने वाला 9वाँ देश 95
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 96
- गंभीर कुपोषण से निपटने के लिये पोषण मानदंड 97
- व्यभिचार अब अपराध नहीं : सर्वोच्च न्यायालय 98

विविध **101**

- कृष्ण कुटीर 101
- चौथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्ग्रेस 101
- प्रधानमंत्री ने किया पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन 101
- वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत 101
- प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) 102
- मोवेलो साइक्लोथोन 102
- नेता एप 103
- मिल बाँचें कार्यक्रम 103
- जीएम सरसों के परीक्षण संबंधी निर्णय पर रोक 103
- दवा प्रतिरोधी सुपरबग 104
- इंडियन रुफ्ड टर्टल 104
- मिशन होप 105

नोट :

- भारतीय प्रतिप्रतिस्पर्द्धा आयोग 106
- इंडियन ओसियन वेव एक्सरसाइज़ 2018 107
- सोर्स इंडिया 107
- 'आपूर्ति' 108
- मूव- ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 108
- 'भारत के वीर' 108
- हाइफा का युद्ध 109
- रोबैट (Robat) 110
- तेलंगाना के दो सिंचाई केंद्रों को मिला सिंचाई विरासत का दर्ज़ा 111
- बिम्सटेक मिलेक्स-2018 113
- अप्सरा-उन्नत 113
- खिड़की मस्जिद 115
- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई होंगे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश 116
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 118
- सुश्री सुब्बुलक्ष्मी 120
- उज़्बेक मकोम फोरम 120
- अखिल भारतीय पेंशन अदालत (All India Pension Adalat) 122
- एमएसएमई इनसाइडर' 123
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 124
- अन्ना राजम मल्होत्रा 124

नोट :

- इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर 125
- भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 125
- रायगंज वन्यजीव अभयारण्य 126
- गिर वन्यजीव अभयारण्य 126
- बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार' 127
- नासा का बलून मिशन 127
- भारत का पहला स्वदेशी जीपीएस मॉड्यूल UTraQ 127
- कमलेश नीलकंठ व्यास 128
- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 128
- 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 128
- तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम 129
- गोल्डन ग्लोब रेस 129
- हॉर्नबिल की रक्षा हेतु सिटीज़न साइंस पहल 129
- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल रात्रिकालीन परीक्षण 130
- वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा तथा पाक्योंग हवाई अड्डा 130
- साइबर ट्रीविया एप 131
- जीवन सुगमता सूचकांक में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर 131
- टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 132
- यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन द्वारा जारी मानव पूंजी रैंकिंग में भारत 158वें स्थान पर 132
- नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) 132

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 133
- पराक्रम पर्व 133
- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) 134
- एगमार्क हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत 134
- अस्त्र बियॉन्ड विज़ुअल रेंज मिसाइल 134
- हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी 135
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उदघाटन तथा अन्य पहलों की शुरुआत 135
- राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा अतुल्य भारत मोबाइल एप 136
- देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 136
- ट्राइब्स इंडिया तथा 'पंच तंत्र संकलन' 137
- भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास ढाँचा (UNSDF) 137
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 138
- मुज़िरिस 138
- रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना 138

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने पर विधि आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विधि आयोग ने "अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने (न्याय की हत्या): कानूनी उपाय" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उल्लेखनीय है कि मई 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बबलू चौहान@डबलू बनाम दिल्ली सरकार, 247 (2018) डीएलटी 31 के मामले में निर्णय देते हुए निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अनुचित मुकदमा चलाने पर चिंता व्यक्त की थी।

प्रमुख बिंदु :

- इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुचित तरीके से चलाए गए मुकदमे के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिये एक कानूनी रूपरेखा तैयार करने की तत्काल आवश्यकता बताई थी तथा विधि आयोग से कहा था कि वह इस मुद्दे की विस्तृत जाँच कर सरकार को अपनी सिफारिशें दे।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने, निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने और जेल में बंद करने जैसे मुद्दे को 'न्याय की हत्या' (miscarriage of justice) के रूप में चिह्नित किया गया है। ध्यातव्य है कि ऐसा किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से दोषी ठहराने पर होता है लेकिन बाद में नए तथ्यों के उजागर होने से व्यक्ति को निर्दोष पाया जाता है।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (The International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) भी 'न्याय की हत्या' के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने के लिये सदस्य राष्ट्रों के दायित्वों की बात करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम की पुष्टि की है।
- यह रिपोर्ट भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में इस मुद्दे को देखती है और सिफारिश करती है कि 'न्याय की हत्या' के मानकों में अनुचित तरीके से मुकदमा चलाना, गलत तरीके से कैद करना और गलत तरीके से दोष साबित करना आदि शामिल होंगे।
- जबकि अनुचित मुकदमों में वे मामले शामिल होंगे जिसमें निर्दोष व्यक्ति हो तथा पुलिस/अभियोजन पक्ष ने जाँच में किसी प्रकार की अनियमितता बरती हो तथा व्यक्ति को अभियोजन के दायरे में लाया गया हो। इसमें उन दोनों मामलों को शामिल किया जाएगा जिसमें व्यक्ति द्वारा जेल में समय बिताया गया हो या नहीं बिताया गया हो और जिन मामलों में अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं पाया गया था या जहाँ आरोपी को एक या एक से अधिक अदालतों द्वारा दोषी पाया गया था लेकिन अंततः उच्च न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया गया था।
- आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने के मामलों के निपटारे के लिये विशेष कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की है, ताकि अनुचित तरीके से चलाए गए मुकदमें के शिकार लोगों को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक मुआवज़े (जैसे परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, व्यावसायिक/रोज़गार, कौशल विकास आदि) के मामले में वैधानिक दायरे के भीतर राहत प्रदान की जा सके।
- रिपोर्ट में अनुशंसित रूपरेखा के प्रमुख सिद्धांतों - 'अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने' की परिभाषा और जिन मामलों में मुवाजे का दावा किया गया है उनके फैसले के लिये विशेष अदालतें बनाने, कार्यवाही की प्रकृति – दावों के फैसले के लिये सामयिकता आदि, मुआवज़ा निर्धारित करते समय वित्तीय और अन्य कारक, कुछ मामलों में अंतरिम मुआवज़े का प्रावधान, गलत तरीके से मुकदमा चलाने/दोषी ठहराने आदि को देखते हुए अयोग्यता हटाने जैसी बातों का उल्लेख करता है।

नीति निर्माताओं के लिये आचार संहिता बनाने की अपील

संदर्भ

हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा किया। इस अवसर पर पुस्तक- 'मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड-अ ईयर इन ऑफिस' का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर राजनीतिक विचारधाराओं से आगे बढ़कर एक साथ आगे आने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया।

नोट :

नीति निर्माताओं हेतु आचार संहिता बनाने की आवश्यकता

- उपराष्ट्रपति ने संसदीय संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखने और व्यवस्थापिका के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिये सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की कि नीति निर्माताओं हेतु सदन के भीतर एवं सदन के बाहर एक आचार संहिता का निर्माण किया जाए।

संसद और राज्य विधायिकाओं के कामकाज में सुधार के लिये सुझाव

- विधायिकाओं की कार्यप्रणाली के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए विधायिकाओं की कार्य प्रणाली में सुधार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गए:
  1. नीति निर्माताओं हेतु सदन के भीतर और बाहर आचार संहिता बनाई जाए ।
  2. पार्टी बदलने से पहले विधायकों द्वारा सदन से इस्तीफा दिया जाना चाहिये।
  3. एंटी-डिफेक्शन मामलों का फैसला तीन महीने के अंदर किया जाए।
  4. राजनीतिक नेताओं के खिलाफ चुनाव याचिकाओं और आपराधिक मामलों का फैसला उच्च न्यायालयों के विशेष बेंच द्वारा शीघ्रता से किया जाना चाहिये।
  5. राज्यों में उच्च सदन की स्थिरता और स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाना चाहिये।

अन्य सुझाव

संसाधन आवंटन में किसानों को प्राथमिकता

- कृषि देश की मूल संस्कृति है, संसाधन आवंटन में किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि लाभकारी खेती और मज़बूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

महिला संबंधी मुद्दों पर विचार किये जाने की आवश्यकता

- महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित कर सकें और धर्म तथा अन्य कारकों के आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
- विधायिकाओं समेत सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- सच्चे राष्ट्रवाद का तात्पर्य सिर्फ भारत माता की तस्वीर पर हार चढ़ाना और केवल भारत माता की जय के नारे लगाना नहीं है, इसका मतलब है कि किसी भी भारतीय के खिलाफ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। नीति निर्माताओं के लिये आचार संहिता का निर्माण न केवल संसदीय संस्थानों में लोगों के विश्वास को सुनिश्चित करेगा बल्कि यह देश की विधायिकाओं की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी।

एशियाई खेल और भारत

चर्चा में क्यों ?

18वें एशियाई खेलों (एशियन खेलों) का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एशियाई खेलों में भारत का अब तक का यह सर्वश्रेठ प्रदर्शन माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले वर्ष 1962 में जकार्ता में इन खेलों का आयोजन किया गया था। एशियाई खेल- 2018 का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में किया जा रहा है, गौरतलब है कि यह पहली बार है जब एशियाई खेलों का आयोजन दो शहरों में किया जा रहा है।
- एशियाई खेल- 2018 के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारतीय दल की अगुवाई की, जबकि समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल थी।

नोट :

- एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है।
- 18वें एशियाई खेलों के तीन शुभंकर भिन-भिन (स्वर्ग की चिड़िया), अतुंग (एक हिरण) और काका (एक गैंडा) है।
- इन तीन शुभंकरों ने एक शुभंकर द्रावा का स्थान लिया है। ये तीनों शुभंकर देश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में चीन के हांगझोऊ (झेजियांग) शहर में होगा।

एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ

- भारतीय खिलाड़ियों ने 18वें एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 69 पदक देश के नाम किये और इस तरह भारत पदक तालिका में आठवें स्थान पर रहा।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शन के साथ ही भारत ने 2010 में सबसे ज्यादा पदक हासिल करने के 2010 के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
- हरियाणा के झज्जर ज़िले के 24 वर्षीय भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 18वें एशियाई खेलों के पहले ही दिन देश के लिये पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
- ब्रिज शतरंज इनडोर खेल में 60 वर्षीय प्रणब बर्धन एवं 56 वर्षीय शिवनाथ सरकार ने स्वर्ण पदक हासिल किया और इस प्रकार 18वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले वे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए।
- इसके अलावा 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिये स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। साथ ही वह एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने।
- राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया और इसी के साथ एशियाई खेल में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
- भारत की स्वप्ना बर्मन ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, इस स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली वह भारतीय हैं।
- इसके साथ ही विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा।
- इसके अलावा, प्रमुख रूप से स्वर्ण पदक हासिल करने वालों में पंजाब के एथलीट अपरिंदर सिंह (ट्रिपल जंप), तेजिंदरपाल सिंह तूर (पुरुषों की शॉटपुट स्पर्द्धा), मनजीत सिंह (800 मीटर रेस), रोहन बोपन्ना और दिविज शरन (टेनिस में पुरुष युगल प्रतिस्पर्द्धा), धावक जिनसन जॉनसन (पुरुषों की 1500 मीटर स्पर्द्धा) शामिल हैं।
- साथ ही भारतीय धाविका हिमा दास ने महिला 400 मीटर में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता। उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस जीत के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है।
- एशियाई खेलों में पारंपरिक मार्शल आर्ट कुराश में भारत की पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 52 किग्रा. वर्ग में रजत पदक जीता।
- बैडमिंटन में पी.वी. सिंधु ने रजत पदक हासिल किया वे एशियाई खेलों में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी।
- महिला 200 मीटर दौड़ में एथलेटिक्स दुती चंद ने रजत पदक जीता।
- उल्लेखनीय है कि फ़वाद मिर्जा एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 1982 के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
- एशियाई खेलों में 15 साल के शूटर शार्दुल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्द्धा में रजत पदक हासिल किया।
- एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रजत, जबकि पुरुष कबड्डी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
- साथ ही महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जबकि पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता।

सरकार ने कौशल प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिये उठाया कदम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) ने सभी डिजिटल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण और शिक्षा के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework NSQF) (एक योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क) के साथ अपने पाठ्यक्रमों को समायोजित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य श्रमिकों को मानक स्तर के अनुकूल कुशल बनाना है।
- कौशल विकास पर DGT, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और एडोब इंडिया के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- एडोब के साथ किया गया समझौता वर्ष 2020 तक भारत भर में दस लाख से अधिक छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिये एक कार्यक्रम - एडोब डिजिटल दिशा के लॉन्च का अनुसरण करेगा।
- ऐसे लोग जो मानक दिशा-निर्देशों के तहत ड्रोन को उड़ा सकते हैं तथा इसका रख-रखाव भी कर सकते हैं, को प्रशिक्षित करने के लिये एक नया पाठ्यक्रम "मानव रहित हवाई वाहन/ ड्रोन पायलट" भी लॉन्च किया गया है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय

- प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training- DGT) श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों, जिसमें महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सेवा सम्मिलित है, के विकास और समन्वय के लिये कार्यरत है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation -NSDC) सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है।
- इसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और मानकों, पाठ्यक्रमों और गुणवत्ता आश्वासन के लिये आवश्यक ढाँचे का विकास करना है।
- NSDC व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहल के लिये धन उपलब्ध कराता है।

गूगल करेगा ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापनों को ट्रैक

चर्चा में क्यों ?

गूगल जो डिजिटल विज्ञापन बाज़ार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, जल्द ही निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापन पर नज़र रखने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

- गूगल एक विशाल तकनीकी तंत्र विकसित करेगा जो न केवल राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करेगा बल्कि अपने प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों से संबंधित किये गए व्यय के बारे में विवरण, प्राधिकरण के साथ साझा करेगा।
- हाल ही में गूगल के प्रतिनिधि ने मीडिया प्लेटफॉर्म के विस्तार और विविधता को ध्यान में रखते हुए धारा 126 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्य प्रावधानों में संभावित संशोधनों का पता लगाने के लिये स्थापित एक समिति से मुलाकात की थी।
- गूगल के प्रतिनिधि ने आयोग को बताया कि कंपनी राजनीतिक विज्ञापनों को ट्रैक करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे निर्वाचन आयोग के मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणित हों।
- उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा जारी राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिये नोडल निकाय है।

निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
- संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
- प्रारंभ में, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

नोट :

- पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्तूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला।
- उसके बाद 01 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
- किसी उम्मीदवार द्वारा विज्ञापन संबंधी कोई ऑर्डर दिये जाने पर गूगल को आवश्यक रूप से संभावित ग्राहकों से पूछना होगा, चाहे वे पूर्व-प्रमाणित हों।
- इसके अलवा गूगल ने समिति को यह भी आश्वासन दिया है कि वह राजनीतिक विज्ञापनों की लागत की जानकारी साझा करने के लिये एक तंत्र स्थापित करेगा।
- यह कदम व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों द्वारा किये गए चुनावी खर्च की गणना में रिटर्निंग अधिकारियों की मदद करेगा।
- इससे पूर्व निर्वाचन आयोग की समिति ने फेसबुक के साथ बैठकें की थीं, जिसने "आचार संहिता" के लागू होने के बाद 48 घंटे की अवधि के दौरान निर्वाचन मामलों से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने के लिये उपकरण विकसित करने पर भी सहमत व्यक्त की थी।
- उल्लेखनीय है कि यह झूठी खबरों की जाँच करने और मतदान से संबंधित विज्ञापनों पर व्यय का विवरण साझा करने के तरीकों पर काम कर रहा है।
- इसके साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान फेसबुक ने भारतीय तथ्य-जाँच एजेंसी, बूम लाइव के साथ करार किया, जिसने "झूठी खबर" के लगभग 50 से अधिक मामलों की पुष्टि की थी।

केरल की बाढ़ में सबसे बड़ी झील का योगदान

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने पाया है कि केरल की सबसे बड़ी झील, वेम्बनाड झील की वहनीय क्षमता में जमाव, जो अति प्रवाह वाली नदियों से उत्पन्न जल के एक अंश को अवशोषित कर सकती है, ने केरल की बाढ़ को बदतर बना दिया।

प्रमुख बिंदु

- वेम्बनाड झील अत्यधिक वर्षा और 480 वर्ग किमी. से अधिक जलप्लावित क्षेत्र के कारण 1.63 BCM के केवल 0.6 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) को अवशोषित करने में सक्षम था।
- CWC ने अब अपवाह मार्ग की क्षमता में वृद्धि का सुझाव दिया है जिसके माध्यम से पंबा, मणिमाला, एथेनकोविल और मीनाचिल जैसी नदियाँ झील तथा बैराज में बहती हैं जिनके माध्यम से झील सागर में मिलती है। CWC सूत्रों के अनुसार, झील की क्षमता अधिक होने पर स्थिति बेहतर हो सकती थी।
- CWC ने केरल की बाढ़ जिसमें कम-से-कम 480 लोगों की मौत हुई और व्यापक क्षति हुई,के बाद अपने पहले विश्लेषण में अगस्त महीने के दौरान तीव्र बारिश के दो सत्रों को इसका कारण माना जिसमें 8-9 अगस्त को दो दिनों की बारिश और बाद में 15 से 17 अगस्त तक हुई तीन दिनों की बारिश शामिल है।
- केरल में पिछले महीने की बाढ़ के कारण अपनी स्पष्ट भूमिका पर बहस के मुख्य बिंदु में बांधों के प्रबंधन के साथ, CWC ने राज्य में सभी बड़े जलाशयों के नियमों को कम करने की समीक्षा किये जाने का सुझाव दिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलाशयों के निश्चित स्तर तक पहुँचने पर कितना पानी छोड़ा जाना चाहिये। CWC के अनुसार 200 मिलियन क्यूबिक मीटर की वर्तमान क्षमता वाले बांधों के लिये यह और भी ज़रूरी है।
- CWC ने इडुक्की बांध के विशिष्ट संदर्भ में कहा कि इडुक्की बांध ने अधिकांश अपवाह को अवशोषित कर लिया और बारिश की तीव्रता के दौरान बांध से बहिर्वाह अंतर्वाह की तुलना में कम था। इस तरह इसने बाढ़ के लिये एक अवशोषक के रूप में कार्य किया। अगस्त माह में बड़े पैमाने पर अंतर्वाह से निपटने के लिये केरल में 35 बांधों के गेट खोले गए थे।
- केरल में इन तीव्र अवधि के दौरान उत्पन्न बारिश का अपवाह इतना अधिक था कि बांधों के बाढ़ नियंत्रण प्रभाव को रोक दिया गया था। अपवाह क्षेत्र से बारिश के जल का जलाशयों तक पहुँचने में अत्यंत कम समय लगने में केरल की स्थलाकृति ने भी योगदान दिया।
- जलाशयों के लिये ऐतिहासिक डेटा के आधार पर नियमों को कम करने की समीक्षा की जानी आवश्यक थी, जिससे यह निर्धारित होता कि मानसून अवधि में हर महीने कितना पानी छोड़ा जाना चाहिये क्योंकि कुछ को छोड़कर केरल के अधिकांश जलाशय छोटे हैं।

नोट :

एचआईवी/एड्स अधिनियम, 2017 को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ह्यूमन इम्यूनो डेफिसीएंसी वायरस तथा एक्वायर्ड इम्यून डेफिसीएंसी सिंड्रोम (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को 10 सितंबर, 2018 से लागू करने के लिये अधिसूचना जारी की है।

अधिनियम का उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी के शिकार और इससे प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधित भेदभाव, कानूनी दायित्त्व को शामिल करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शिकायतों और शिकायत निवारण के लिये औपचारिक व्यवस्था करना है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स का निवारण और नियंत्रण, एचआईवी तथा एड्स के शिकार व्यक्तियों के साथ भेदभाव का निषेध है।

प्रमुख बिंदु

- इस अधिनियम में रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा की प्राप्ति के लिये पूर्व शर्त के रूप में एचआईवी परीक्षण का निषेध किया गया है।
- 18 वर्ष से कम आयु के एचआईवी के शिकार और प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को घर में साझा रूप से रहने तथा घरेलू की सुविधाएँ लेने का अधिकार है।
- इस अधिनियम में एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ भेदभाव के विभिन्न आधारों की सूची दी गई है जिनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इनमें शामिल हैं - (i) रोजगार, (ii) शिक्षण संस्थान, (iii) स्वास्थ्य सेवाएँ, (iv) आवास या संपत्ति किराए पर देना (v) सावर्जनिक और निजी पद के लिये उम्मीदवारी (vi) बीमा प्रावधान से संबंधित इनकार, समाप्ति, अनिरंतरता और अनुचित व्यवहार।
- नोट: मिशन 2030 वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च स्तरीय सभा में भारत ने एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगले पाँच सालों में इसके संबंध में तेज़ गति से कार्यवाही करने और वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने का वचन दिया है।
- इस अधिनियम में एचआईवी पॉज़िटिव लोगों के बारे में गलत सूचना और घृणा भाव फैलाने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के प्रकाशन पर निषेध है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 12 से 18 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति में एचआईवी या एड्स से प्रभावित परिवार के कार्यों को समझने और उनका प्रबंधन करने के लिये पर्याप्त परिपक्वता होती है और ऐसा व्यक्ति शिक्षण संस्थान में नामांकन, बैंक खाता प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के अपने भाई-बहन के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम होगा।
- इसके अलावा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की देख-रेख में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को एचआईवी निवारण, परीक्षण, इलाज और परामर्श सेवा का अधिकार होगा।

भारत की बदतर स्वास्थ्य रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी की गई 'भारत राज्य स्तरीय रोग का बोझ संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार, 1990 से 2016 तक की अवधि के दौरान भारतीयों में स्थानिक अरक्तता संबंधी हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रसार में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से 2016 की अवधि में मधुमेह के मामलों की संख्या 26 मिलियन से बढ़कर 65 मिलियन हो गई है। साथ ही, पुरानी अवरोधक फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या 28 मिलियन से बढ़कर 55 मिलियन हो गई है।

नोट :

- भारत में स्वास्थ्य में होने वाले कुल नुकसान के लिये कैंसर का आनुपातिक योगदान 1990 से लेकर 2016 तक दोगुना हो चुका है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कैंसर रोग के मामले राज्यों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।
- विशेषज्ञों ने नोट किया कि इन निष्कर्षों द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, आयुष्मान भारत की योजना के लिये सही समय पर है। ICMR आयुष्मान भारत के लिये मानक उपचार कार्यप्रणाली बनाने पर भी काम कर रहा है।
- परिषद ने कहा कि वह क्लीनिकल रिसर्च के भारतीय जर्नल के 150वें यादगार प्रकाशन के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड- सामान्य स्वास्थ्य, रक्तचाप आँकड़े इत्यादि को सार्वजनिक करने के लिये तैयार है।

संयुक्त पहल

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई यह रिपोर्ट भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) तथा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) की संयुक्त पहल है जिसमें 100 से अधिक भारतीय संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ और हितधारक शामिल थे।
- राज्यवार रोग के बोझ से पता चला है कि पंजाब को स्थानिक अरक्तता संबंधी हृदय रोग के बोझ के लिये शीर्ष स्थान पर रखा गया है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है और इसी प्रकार मधुमेह के लिये तमिलनाडु शीर्ष पर है और पंजाब दूसरे स्थान पर।
- कई प्रमुख गैर-संक्रमणीय बीमारियों (NCD) के व्यापक विश्लेषण के अनुसार, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के मामलों के कारण शीर्ष पर है, जबकि ओडिशा इस मामले में दूसरे स्थान पर है।
- कैंसर के बोझ के लिये केरल को शीर्ष स्थान पर रखा गया उसके बाद असम का स्थान है। अधिक वज़न होना मधुमेह का प्रमुख कारण माना गया और 1990 से लेकर 2016 तक भारत के हर राज्य में मधुमेह के मामलों में दुगनी वृद्धि हुई।
- चिकित्सा पत्रिका 'द लांसेट' में एक टिप्पणी के साथ 'द लांसेट ग्लोबल हेल्थ', 'द लांसेट पब्लिक हेल्थ' और 'लांसेट ओन्कोलॉजी' में प्रकाशित पाँच शोध-पत्रों की श्रृंखला में इन निष्कर्षों की सूचना मिली है।
- जबकि यह ज्ञात है कि भारत में गैर-संचारी रोगों (NCD) के मामले बढ़ रहे हैं, एक प्रमुख चिंताजनक तथ्य यह है कि स्थानिक अरक्तता संबंधी हृदय रोग और मधुमेह में वृद्धि की उच्चतम दर भारत के कम विकसित राज्यों में है। इन राज्यों में पहले से ही पुरानी अवरोधक फेफड़ों की बीमारी, और संक्रामक तथा बचपन की बीमारियों का एक बड़ा बोझ है, इसलिये इन राज्यों में NCD के नियंत्रण हेतु अविलंब प्रयास किया जाना चाहिये।

आयुष्मान भारत

- केंद्रीय बजट 2018-19 में 'आयुष्मान भारत' पहल के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं।
- जहाँ एक ओर 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिये 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, वहीं दूसरी ओर, 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिये पाँच लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है।
- इस योजना के लक्षित लाभार्थी दस करोड़ से अधिक परिवार होंगे जो एसपीसीसी डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर आबादी के होंगे।
- आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (Ayushman Bharat : National Health Protection Mission - AB-NHPM) में चालू केंद्र प्रायोजित योजनाएँ : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (Rashtriya Swasthya Bima Yojana -RSBY) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Senior Citizen Health Insurance Scheme -SCHIS) समाहित होंगी।

नोट :

सरकार ने 328 FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से 328 निश्चित खुराक संयोजन (Fixed Dose Combination- FDC) के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही मंत्रालय ने 6 FDC के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण को भी कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंधित कर दिया है। FDC दो या दो से अधिक दवाओं का निश्चित अनुपात में संयोजन है जिसे एक खुराक के रूप में दिया जाता है।

विशेषज्ञ समिति और दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर लिया गया फैसला

- केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति और दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board- DTAB) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि देश में मानव उपयोग के उद्देश्य से इन 328 FDC के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर त्वरित प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक है।
- तदनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 7 सितंबर, 2018 को अपनी गजट (राजपत्र) अधिसूचनाओं के ज़रिये मानव उपयोग के उद्देश्य से 328 FDC के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 6 FDC के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
- ये अधिसूचनाएँ तत्काल प्रभावी हो गई हैं।

15 FDC को वर्तमान अधिसूचनाओं से रखा गया बाहर

- 10 मार्च, 2016 को प्रतिबंधित किये गए 344 FDC, जिनके बारे में दावा किया गया कि 21 सितंबर, 1988 से पहले इनका उत्पादन होता था, में से 15 FDC को वर्तमान अधिसूचनाओं के दायरे से बाहर रखा गया है।

इससे पहले भी लगा प्रतिबंध

- इससे पूर्व केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2016 को प्रकाशित अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत मानव उपयोग के उद्देश्य से 344 FDC के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इसके बाद सरकार ने समान प्रावधानों के तहत 344 FDC के अलावा पाँच और FDC को प्रतिबंधित कर दिया था।

दवा निर्माताओं ने सरकार के निर्णय को दी थी चुनौती

- सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से प्रभावित उत्पादकों अथवा निर्माताओं ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर, 2017 को सुनाए गए अपने फैसले में दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (इसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत हुआ था) द्वारा गौर किया गया।
- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश
- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी की कि 328 FDC में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है और इन FDC से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है।
- बोर्ड ने सिफारिश की कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत व्यापक जनहित में इन FDC के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
- 6 FDC के बारे में बोर्ड ने सिफारिश की कि इनके चिकित्सकीय औचित्य के आधार पर कुछ शर्तों के साथ इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाए।

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

- केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने भी इन FDC पर गौर किया था और उसके बाद सिफारिशें पेश की थीं जो बोर्ड द्वारा की गई उपर्युक्त सिफारिशों के अनुरूप ही थीं।

नोट :

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा)

चर्चा में क्यों ?

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan- PM-AASHA) को मंज़ूरी दे दी है। यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।

पीएम- आशा के प्रमुख घटक

- नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं
  - मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS)
  - मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme- PDPS)
  - निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme- PPSS)

मूल्य समर्थन योजना :

- इसके तहत दालों, तिलहन और गरी (Copra) की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
- यह भी निर्णय लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी राज्यों/ज़िलों में PSS परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
- खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

मूल्य न्यूनता भुगतान योजना

- इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये MSP को अधिसूचित कर दिया जाता है।
- इसके तहत MSP और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिये अधिसूचित बाज़ार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
- समस्त भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
- इस योजना के तहत फसलों की कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाज़ार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।
- PDPS के लिये केंद्र सरकार द्वारा सहायता, तय मानकों के अनुसार दी जायेगी।

निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना

- तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा ज़िला/ज़िले की APMC (Agriculture Produce Market Committee) में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी।
- प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िला/ज़िले की चयनित APMC तिलहन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसलों को कवर करेगी जिसके लिये MSP को अधिसूचित किया जा चुका है।
- चूँकि यह योजना अधिसूचित जिंस की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS से काफी मिलती-जुलती है, इसलिये यह प्रायोगिक आधार पर चयनित ज़िलों में PSS/PDPS को प्रतिस्थापित करेगी।

नोट :

- जब भी बाज़ार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएंगी तो चयनित निजी एजेंसी PPSS से जुड़े दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाज़ारों में MSP पर जिंस की खरीदारी करेगी।
- यह व्यस्था तब अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसी को बाज़ार में उतरने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा।

व्यय :

- कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।
- इसके अलावा, खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं।

किसानों के हित में कैबिनेट द्वारा लिये गए अन्य फैसले

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि :

- सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है।
- MSP में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

DFPD के साथ-साथ कपड़ा मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं को जारी रखने का फैसला :

- धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution- DFPD) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिये कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएँ भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों के लिये इन फसलों की MSP सुनिश्चित की जा सके।

खरीद हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला:

- कैबिनेट के अनुसार, खरीद परिचालन में प्रायोगिक तौर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताकि इस दौरान मिलने वाली जानकारियों के आधार पर खरीद परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

नया बाज़ार ढाँचा स्थापित करने का प्रयास

- किसानों के लिये एक नया बाज़ार ढाँचा स्थापित करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उनकी उपज का उचित या लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके।
- इनमें ग्रामीण कृषि बाज़ारों की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाज़ारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार की किसान अनुकूल अन्य पहलें :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण
- मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018।

मानव विकास सूचकांक में भारत 130 वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट में भारत को कुल 189 देशों में से 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत को इस सूचकांक में 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।

नोट :

HDI रिपोर्ट 2018 के आँकड़े

- इस सूचकांक की वरीयता सूची में नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और ज़र्मनी शीर्ष स्थानों पर हैं, जबकि सबसे निचले पायदान पर अफ्रीकी देश नाइज़र है।
- दक्षिण एशिया में भारत का HDI का मान क्षेत्र के औसत 0.638 से अधिक है और भारत के पड़ोसी देश - बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः 136 और 150वें स्थान पर हैं।
- वर्ष 1990 और 2017 के बीच भारत का HDI मान 427 से बढ़कर 0.640 हो गया, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि लाखों लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में देश की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेतक है।
- वर्ष 2017 के लिये भारत का HDI मान 640 है, जिसके कारण देश को मध्यम विकास की श्रेणी में रखा गया है।
- वर्ष 1990 से 2017 की अवधि में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 11 साल बढ़ी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली शिक्षा के मामले में भी स्थिति सुधरी है, जबकि 1990 और 2017 के बीच भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति 6 प्रतिशत बढ़ी है।
- इसके अलावा 189 देशों में से 59 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, जबकि 38 देशों को न्यूनतम मानव विकास की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- हालाँकि, असमानताओं के कारण भारत के HDI मान में 8 प्रतिशत की कमी हुई है, जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों (क्षेत्र के लिये औसत नुकसान 26.1 प्रतिशत) के मुकाबले ज्यादा है।
- इस रिपोर्ट में जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स के मामले में भारत 160 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है और अपने पड़ोसी देश- बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले उसने बेहतर प्रदर्शन किया है।
- रिपोर्ट में असमानता को भारत के लिये प्रमुख चुनौती माना गया है। हालाँकि, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आर्थिक विकास के लाभ को व्यापक रूप से साझा किया जाए।

HDI के बारे में

- HDI मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों (लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर) द्वारा प्रगति का आकलन करने का एक वैश्विक मानक है।
- इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित किया गया।

परिवार कल्याण समिति दहेज के उत्पीड़न मामलों का मूल्यांकन नहीं कर सकती : उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498 A दहेज प्रताड़ना संबंधी अपने जुलाई 2017 के आदेश को संशोधित किया है।

क्या है हालिया निर्णय ?

- उच्चतम न्यायालय ने धारा 498 A दहेज प्रताड़ना संबंधी मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं यह तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दे दिया है।
- उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में अब परिवार कल्याण समिति की कोई भूमिका नहीं होगी। न्यायालय का कहना है कि ऐसे पैनलों की स्थापना आपराधिक प्रक्रिया संहिता से परे है।
- हालाँकि,उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पति और उसके रिश्तेदारों के सरंक्षण के लिये जमानत के संदर्भ में अभी भी अदालत के पास शक्तियाँ मौजूद है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय इस तरह के आपराधिक मामलों की जाँच के लिये सिविल कमेटी नियुक्त नहीं कर सकता, इसकी इज़ाज़त नहीं दी जा सकती।

नोट :

- इस फैसले के बाद पुलिस अब इसके तहत किसी महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार भी कर सकती है।
- यह फैसला मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएँ और उन्हें बताया जाए कि उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी को लेकर जो निर्णय दिया है वह क्या है, साथ ही न्यायालय ने हर राज्य के पुलिस महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों को कठोर प्रशिक्षण प्रदान करने का आदेश दिया।

NCRB के डेटा

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने तर्क दिया कि 27 जुलाई के आदेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित आँकड़े थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि केवल वर्ष 2012 में ही दहेज़ उत्पीड़न के लिये 1,97,762 पति औरउसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया था।
- मुख्य न्यायाधीश ने तर्क दिया कि दोष धारा 498A के साथ नहीं है, जिसे 1983 में संसद द्वारा विवाहित महिलाओं की दहेज के खिलाफ सुरक्षा के लिये पेश किया गया था।
- दरअसल, बुराई पुलिस को प्राप्त गिरफ्तारी के अधिकार के दुरुपयोग से जुड़ी है, जो इस पर विचार से सम्राटों की तरह व्यवहार करते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं"
- उल्लेखनीय है कि IPC की धारा 498A एक संज्ञेय यानी गैर-जमानती अपराध है।

वैवाहिक बलात्कार की वैधानिकता पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक जीवन को लेकर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी का मतलब यह नहीं कि कोई महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिये हमेशा राज़ी हो और अपना शरीर पति को सौंप दे साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि बलात्कार के लिये बल प्रयोग ही किया जाए यह किसी भी तरह का दबाव बनाकर किया जा सकता है

प्रमुख बिंदु

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एक खंडपीठ का यह निर्णय तब आया जब पुरुषों के समूह द्वारा संचालित एक गैर-सरकारी संगठन ने तर्क दिया कि विवाहित महिलाओं को अपने पतियों द्वारा यौन हिंसा के खिलाफ कानून के तहत पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।
- एनजीओ ने दावा किया कि यौन उत्पीड़न में बल प्रयोग या भय उत्पन्न करना अपराध के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं खंडपीठ ने कहा, "बलात्कार, बलात्कार होता है, क्या ऐसा है कि आप विवाहित हैं, तो यह ठीक है लेकिन यदि आप नहीं हैं, तो यह बलात्कार है ?
- अदालत ने कहा, आईपीसी की धारा 375 के तहत इसे अपवाद क्यों होना चाहिये ? बल प्रयोग बलात्कार के लिये एक पूर्व शर्त नहीं है।
- धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 साल से कम नहीं है के साथ, संबंध बनाना बलात्कार नहीं है
- न्यायालय ने कहा, इन दिनों बलात्कार की परिभाषा बदल गई है पति के द्वारा बलात्कार में यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लिये बल प्रयोग किया जाए यह आर्थिक ज़रुरत, बच्चों और घर की अन्य ज़रूरतों के नाम पर दबाव बनाकर भी किया जा सकता है
- यदि महिला ऐसे आरोप लगाकर अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करती है तो क्या होगा ?

धारा 375 की वैधानिकता को चुनौती

- अदालत वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसका विरोध एनजीओ, मेन कल्याण ट्रस्ट द्वारा किया गया है जिसने दावा किया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार नहीं है और यह "असंवैधानिक भी नहीं है" इसे ख़ारिज करने से अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा होगी।

नोट :

- मेन वेलफेयर ट्रस्ट, एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन तथा एक वैवाहिक बलात्कार पीड़ित द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध कर रहा है, जिसने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार की परिभाषा) की संवैधानिकता को चुनौती दी है और कहा है कि यह पतियों द्वारा विवाहित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रदर्शित करता है
- खंडपीठ ने ट्रस्ट के उन प्रतिनिधियों के समक्ष विभिन्न प्रश्न उठाए, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और पूछा कि क्या उनका कहना है कि पति अपनी पत्नी पर संबंध के लिये दबाव डाल सकता है? इसके जवाब में एनजीओ ने नकारात्मक जवाब दिया घरेलू हिंसा कानून, विवाहित महिला को घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक संबंध तथा यौन उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि, पतियों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि भारत में कानून लिंग विशिष्ट है
- वहीं, केंद्र ने भी मुख्य याचिकाओं का विरोध किया है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक कृत्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने के लिये एक आसान साधन बन सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे प्रभावशाली निर्णय

चर्चा में क्यों?

भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम कानून व्यवस्था में न्याय देने के लिये आधार का कार्य करने के साथ ही, एक उदाहरण स्थापित करने का भी कार्य करता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मामले और धारा 377 पर दिये गए फैसले को निस्संदेह इतिहास में ऐतिहासिक निर्णय के रूप में गिना जाएगा और यह भविष्य के कई मामलों को प्रभावित भी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख प्रगतिशील निर्णय

- मेनका गांधी मामले ने 1970 के दशक के अंत में कानूनी न्यायशास्त्र में बदलाव का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई और आपातकाल के बाद अपनी वैधता पर ज़ोर देने की कोशिश की।

मेनका गांधी बनाम संघ 1978

- वर्ष 1977 में मेनका गांधी (वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री) का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था।
- इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
- हालाँकि, कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया।
- यह निर्णय सात न्यायाधीशीय खंडपीठ द्वारा किया गया, जिसमें इस खंडपीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया, जिससे यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण बना।

केशवानंद भारती मामला 1973

- वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है।
- साथ ही, न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिये संविधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को भी पारित कर दिया। इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढाँचे को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता हो।
- न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा किये गए संशोधन की जाँच संविधान के मूल ढाँचे के आलोक में करने के लिये स्वतंत्र है।
- इसी तरह, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संसद को अपनी 'मूल संरचना' को बदलने से रोका, जो भारतीय राज्य को अपने कई दक्षिण एशियाई समकक्षों (चाहे अधिनायकवादी शासन हो या अन्य अतिरिक्त संवैधानिक माध्यमों से) के समान गिरने से बचाने के लिये व्यापक रूप से जाना जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय अदालत होगी और इस तरह की अदालत को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिये दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।

नोट :

- अभिलेख न्यायालय से आशय उस उच्च न्यायालय से है, जिसके 'निर्णय' सदा के लिये लेखबद्ध होते हैं और जिसके अभिलेखों का प्रमाणित मूल्य होता है।
- उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में प्रक्रियात्मक मुद्दों से निपटने के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उदाहरण महत्त्वपूर्ण हैं।

उम्मीदवार के प्रचार को प्रकाशित करना 'पेड न्यूज़' है: निर्वाचन आयोग

चर्चा में क्यों

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज़' के प्रयोग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी राय ज़ाहिर की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव में उम्मीदवार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रचार को बार-बार प्रकाशित करना 'पेड न्यूज' की श्रेणी में आता है। इस तरह के प्रचारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि चुनाव में उम्मीदवार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए प्रचार को बार-बार प्रकाशित करना 'पेड न्यूज' है।
- राजनेता यह नहीं कह सकते है कि 'प्रायोजित प्रचार' को दूर करने के लिये अभिव्यक्ति की आज़ादी उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।
- चुनाव आयोग ने अदालत से यह घोषणा करने के लिये कहा है कि व्यापक स्तर पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों द्वारा उम्मीदवारों के बयानों को खबर में सम्मिलित करना, उनके नाम पर दर्ज़ रिकॉर्ड तथा उपलब्धियों का न केवल बखान करना है बल्कि यह वोट के लिये उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं के समक्ष सीधा अनुरोध भी है। क्या यह "पेड न्यूज" के समान नहीं है?
- अनुचित लाभ- यदि चुनाव अवधि के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में इस तरह के प्रायोजित प्रचार की अनुमति दी जाती है, तो मज़बूत नेटवर्क और अपरिभाषित संबंध वाले उम्मीदवार समाज में अपने प्रभाव क्षेत्र का फायदा उठाएंगे और इस तरह की मूक सेवाओं का फायदा उठाते हुए अनुचित लाभ उठाएंगे।

हालिया प्रकरण

- आयोग शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ पहुँचा था, जिसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को 'पेड न्यूज' के आरोपों में तीन साल के लिये अयोग्य ठहराने के आयोग के फैसले को उच्च न्यायालय ने 18 मई को खारिज कर दिया था।
- पेड न्यूज पर आयोग की राष्ट्रीय स्तर की समिति ने पाया कि व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले पाँच समाचार पत्रों ने 42 ऐसे समाचार प्रकाशित किये थे जो 'पक्षपातपूर्ण और एक तरफा थे तथा जिनका उद्देश्य श्री मिश्रा को आगे बढ़ाना था।
- कुछ रिपोर्ट उनके पक्ष में विज्ञापन के रूप में थीं। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इन्हें 'पेड न्यूज' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- चुनाव आयोग ने श्री मिश्रा को चुनाव खर्च के रूप में समाचारों पर खर्च की गई ऐसी धनराशि को खातों में दर्ज न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था। एक डिवीज़न बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी नेता केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।
- आयोग ने कहा कि "इस तरह के समाचार कवरेज की सामग्री की जाँच करने की आयोग की शक्तियों को समाप्त नहीं करना चाहिये।"

निर्वाचन आयोग की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

चर्चा में क्यों?

27 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और राज्य के राजनैतिक दलों ने हिस्सा लिया।

नोट :

बैठक का उद्देश्य

- भारत की निर्वाचन प्रणाली में राजनैतिक दल महत्त्वपूर्ण साझेदार हैं अत: निर्वाचन आयोग समय-समय पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करता रहता है ताकि महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार प्राप्त हो सकें।
- निर्वाचन आयोग हमेशा से वर्तमान निर्वाचन प्रणाली और अपनी कार्य पद्धति में सुधार करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के कार्य में संलग्न रहता है।
- उल्लेखनीय है कि बैठक में पंजीकृत सभी 7 राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और 34 राज्य स्तरीय पार्टियों ने हिस्सा लिया।

बैठक की कार्य सूची में शामिल विषय

- इस बैठक में निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों की विशुद्धता, पारदर्शिता में सुधार करने के उपायों के बारे में सभी राजनैतिक दलों के विचार आमंत्रित किये।
- राजनैतिक दलों में लिंग प्रतिनिधित्व और तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के संबंध में, निर्वाचन आयोग ने सुझावों को भी आमंत्रित किया, जिससे राजनैतिक दल अपने संगठनात्मक ढाँचे के भीतर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय कर सकें और साथ ही चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवार का चयन किया जा सके।
- चुनाव खर्च पर नियंत्रण करने, विधान परिषद के चुनावों के खर्च की सीमा तय करने और राजनैतिक दलों का खर्च सीमित करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया।
- इसके अलावा वार्षिक लेखा रिपोर्ट, चुनाव खर्च रिपोर्ट समय पर देने के उपाय लागू करने के बारे में विचार-विमर्श भी इस कार्य सूची का हिस्सा था।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 126(1)(बी) के दायरे में चुनाव प्रचार बंद होने की अवधि में प्रिंट मीडिया को शामिल करने सहित और मतदान समाप्त होने से पहले अंतिम 48 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर पार्टी/उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने अथवा पूर्वाग्रह के लिये ऑनलाइन प्रचार के मुद्दे पर भी बैठक में विचार किया गया।

चुनाव कराने के संबंध में महत्त्वपूर्ण विचार

- प्रवासियों और अनुपस्थित मतदाताओं के लिये मतदान के वैकल्पिक तरीके।
- इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बेलोट सिस्टम (ईटीबीपीएस) ईटीबीपीएस योजना के संचालन के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक।
- दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक पर भी बैठक में विचार किया गया।
- मतदान में भागीदारी सहित पहुँच बढ़ाने और व्यापक आधार को प्रोत्साहित करने के आयोग के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार एवं फीडबैक आमंत्रित किये गए हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विघटन की 1घोषणा

चर्चा में क्यों ?

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कामकाज की निगरानी करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षण समिति के अचानक इस्तीफा देने के बाद सरकार ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक इस 100 सदस्यीय परिषद के वर्तमान स्वरूप को भंग कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- परिषद के सदस्यों के गैर-सहयोगी और गैर-अनुपालनशील रवैये के संबंध में पर्यवेक्षण समिति द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को बार-बार शिकायतें और लिखित निवेदन भेजे जा रहे थे।
- नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल की अध्यक्षता वाली समिति ने जुलाई माह में परिषद पर आरोप लगाते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा था कि, "एमसीआई अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। मंत्रालय को या तो इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिये या सर्वोच्च न्यायालय को इससे अवगत कराया जाना चाहिये।"

नोट :

- बाद में, पॉल ने एमसीआई के खिलाफ जाँच आयोग की मांग करते हुए मंत्रालय को फिर से पत्र लिखा। इसके बाद पाँच सदस्यीय समिति ने इस्तीफा दे दिया। इस समिति में वी.के. पॉल के अतिरिक्त दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया; एम्स में प्रोफेसर और एंडोक्राइनोलॉजी के प्रमुख निखिल टंडन; चंडीगढ़ में PGIMER के निदेशक जगत राम तथा बंगलूरू में NIMHANS के निदेशक बीएन गंगाधरन शामिल थे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पूरी समिति द्वारा विरोधस्वरूप इस्तीफा दिये जाने के बाद मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता। जिससे मंत्रालय को सर्वोच्च न्यायालय की और अधिक आलोचना झेलनी पड़ती।
- इसलिये एमसीआई को भंग करने का निर्णय लिया गया और पर्यवेक्षण समिति के पाँच सदस्यों को नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया।
- शीर्ष चिकित्सा निकाय संबंधी सुधार के लिये सरकार वर्ष 2010 से अत्यंत सुस्त गति से प्रयास कर रही है। इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पिछले आठ वर्षों से बार-बार पूर्ववर्ती बोर्ड का स्थान लेने के लिये गवर्नरों के एक बोर्ड का गठन कर रही है।
- अभी तक राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन विधेयक पारित नहीं किया गया है जो भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 का स्थान लेगा। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग विधेयक, 2011 को विपक्ष के विरोध के कारण वापस ले लिया गया था।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India- MCI)

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1933 के तहत स्थापित इस परिषद का कार्य एक मेडिकल पंजीकरण और नैतिक निरीक्षण करना था।
- दरअसल, तब चिकित्सा शिक्षा में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी, किंतु वर्ष 1956 के संशोधन द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा की देख-रेख हेतु इसे अधिकृत कर दिया गया।
- वर्ष 1992 शिक्षा के निजीकरण का दौर था और इसी दौरान एक अन्य संशोधन के ज़रिये एमसीआई को एक सलाहकारी निकाय की भूमिका दे दी गई। जिसके तीन महत्त्वपूर्ण कार्य थे-
  1. मेडिकल कॉलेजों को मंज़ूरी देना
  2. छात्रों की संख्या तय करना
  3. छात्रों के दाखिला संबंधी किसी भी विस्तार को मंज़ूरी देना

न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक महत्त्व वाले मामलों में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अनुमति दे दी है।

न्यायलय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 'व्यापक और समग्र दिशानिर्देश' तैयार करने का निर्देश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रिया को पायलट आधार पर शुरू करने का निर्देश भी दिया है।
- यह परियोजना कई चरणों लागू की जाएगी।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयोध्या तथा SC/ST आरक्षण जैसे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी।
- चूँकि 'न्यायालय की खुली सुनवाई' के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 327 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (Code of Civil Procedure- CPC) की धारा 153ख के प्रावधानों का अनुसरण किया जा सकता है।

नोट :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 के अनुसार वह स्थान जहाँ कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जाँच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा जिसमें जनता साधारणत: वहाँ तक प्रवेश कर सकेगी जहाँ तक कि वह सुविधापूर्वक उसमें समा सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जाँच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किये गए कमरे या भवन तक जनता अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को न पहुँचने दिया जाए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153ख

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153ख के अनुसार, वह स्थान जहाँ किसी वाद के विचरण के प्रयोजन के लिये कोई सिविल न्यायालय लगता है तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारणत: वहाँ तक पहुँच होगी जहाँ तक वह इसमें सुविधापूर्वक समा सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जाँच या विचरण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहुँच नहीं होगी या वह उसमें नहीं आएगा या वह वहाँ नहीं रहेगा।

सरकार का पक्ष

- राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार कर न्यायालय] में दाखिल करने के निर्देश जारी किये थे। अटार्नी जनरल द्वारा विस्तृत गाइडलाइन दाखिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखिल गाइडलाइन के अनुसार, पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के न्यायलय से शुरू होनी चाहिये और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालयों में लागू किया जा सकता है।
- इसमें संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिये। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग न हो।
- अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव भी दिया कि कोर्टरूम की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये वादियों, पत्रकार, इंटर्न और वकीलों के लिये एक मीडिया रूम बनाया जा सकता है।
- अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने यह सिफारिश भी की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार, लोकसभा या राज्यसभा की तरह ही अलग सर्वोच्च न्यायालयचैनल की व्यवस्था कर सकती है।

इंदिरा जयसिंह ने दाखिल की थी याचिका

- सर्वोच्च न्यायालयमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल कर यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय महत्त्व और संवैधानिक महत्त्व के मामलों की पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिये और उनका सीधा प्रसारण भी किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के साथ ही 'दंड प्रक्रिया संहिता' और 'सिविल प्रक्रिया संहिता' में जवाबदेहिता के लिये एक साधन के रूप में कार्य करेगी।

हर उम्र की महिलाओं के लिये खुले सबरीमाला मंदिर के दरवाज़े

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उम्र की महिला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 4:1 के बहुमत से हुए फैसले में पाँच जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि हर उम्र की महिलाएँ अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वर्ष 1991 में दिये गए उस फैसले को भी निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकना असंवैधानिक नहीं है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- सबरीमाला मंदिर की सैंकडों साल पुरानी परंपरा जिसमें 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिये मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, पूरी तरह से असंवैधानिक है।
- देश की संस्कृति में महिलाओं का स्थान आदरणीय है। जहाँ एक ओर देवी के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है वहीँ दूसरी ओर उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। धर्म के नाम पर इस तरह की पुरुषवादी सोच उचित नहीं है और उम्र के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
- रजोनिवृत्ति जैसे जैविक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना असंवैधानिक है। यह महिलाओं के समानता के अधिकार और उनकी गरिमा का उल्लंघन है।
- मंदिर में महिलाओं का पूजा करने का अधिकार समानता का अधिकार है, अत: महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देना मौलिक अधिकार है।
- सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश करने से रोकना महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह मात्र था यह धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 'केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल', 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) के नियम संख्या 3 (b) जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है को संविधान की कानूनी शक्ति से परे घोषित किया है।
- महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है।

संविधान पीठ द्वारा किन प्रश्नों की जाँच की गई ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में एक गैर-लाभकारी संगठन 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2017 में मामले को पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ के हवाले कर दिया था।
- धार्मिक आज़ादी का अधिकार और महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव तथा मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित प्रश्नों की जाँच की –
- क्या शारीरिक बदलाव के चलते महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा लिंग आधारित भेदभाव तो नहीं है ?
- क्या 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को बाहर रखना अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक रीति-रिवाज़ का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है ?
- क्या धार्मिक संस्था अपने मामलों का प्रबंधन करने की धार्मिक आज़ादी के तहत इस तरह के रीति-रिवाज़ों का दावा कर सकती है ?
- क्या अयप्पा मंदिर को धार्मिक संस्था माना जाएगा, जबकि उसका प्रबंधन विधायी बोर्ड, केरल और तमिलनाडु सरकार के बजट से होता है ?
- क्या ऐसी संस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 39(ए) और 51 ए(ई) के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के प्रचलन को बनाए रख सकती है ?
- क्या कोई धार्मिक संस्था 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को 'केरल हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल', 1965 (Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, 1965) के नियम संख्या 3 के आधार पर प्रतिबंधित कर सकती है ?

पृष्ठभूमि

सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है

- मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है इसके लिये कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं
- केरल के 'यंग लॉयर्स एसोसिएशन' ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में जनहित याचिका दायर की थी
- सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिये आते हैं, इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिये बंद रहता है।
- भगवान अयप्पा के भक्तों के लिये मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिये उस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है।

नोट :

निष्कर्ष

- निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने न केवल समानता को धर्म से ऊपर रखा है बल्कि आधुनिक सोच वाले समाज में रूढ़िवादी सोच के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को खारिज कर दिया है।

पदोन्नति में आरक्षण पर फैसला

चर्चा में क्यों ?

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 12 साल पहले पदोन्नति में आरक्षण पर दिये फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि इस पर फिर से विचार करने तथा आँकड़ें जुटाने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2006 में नागराज मामले में दिये गए उस फैसले को सात सदस्यों वाली पीठ को संदर्भित करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) एवं अनुसूचित जनजातियों (ST) को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिये शर्तें तय की गई थीं।

पृष्ठभूमि

- 16 नवंबर, 1992 को इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण पर फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में दिये जा रहे आरक्षण पर सवाल उठाए थे और इसे पाँच साल के लिये ही लागू रखने का आदेश दिया था।
- तब से ही यह मामला विवादों में है। हालाँकि 1995 में संसद ने 77वाँ संविधान संशोधन पारित करके पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखा।
- यह स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार मुक़दमे पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फ़ैसले के बाद बदल गई।
- एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के एम नागराज के फैसले में 2006 में पाँच जजों ने संशोधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 16(4)(ए), 16(4)(बी) और 335 को तो सही ठहराया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकार को उनके पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े जुटाने होंगे।
- उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने ताज़ा फैसला उन याचिकाओं के आधार पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि नागराज प्रकरण में संविधान पीठ के 2006 के फैसले को फिर से विचार के लिये सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जाए।
- दरअसल, नागराज प्रकरण में संविधान पीठ ने एससी-एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिये शर्तें तय की थीं।
- गौरतलब है कि नागराज मामले में पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2006 के अपने फैसले में कहा था कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने से पहले राज्य सरकारें एससी-एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी जनसंख्या के आँकड़े, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य और समग्र प्रशासनिक दक्षता पर जानकारी मुहैया कराने के लिये बाध्य हैं।

केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न आधारों पर इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। इसमें एक आधार यह था कि एससी-एसटी समुदाय के लोगों को पिछड़ा माना जाता है और जाति को लेकर उनकी स्थिति पर विचार करते हुए उन्हें नौकरियों में पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार ने कहा था कि एम. नागराज मामले में एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु गैर-ज़रूरी शर्तें लगाई गई थीं। इसलिये केंद्र ने इस पर फिर से विचार करने के लिये इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया था।

निर्णय के प्रमुख बिंदु

- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की यह अर्जी भी खारिज कर दी कि एससी/एसटी को आरक्षण दिये जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया। इस संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल थे।
- इस मामले में केंद्र सहित विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नोट :

- पीठ ने कहा कि एससी/एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिये राज्य सरकारों को एससी/एसटी के पिछड़ेपन पर उनकी संख्या बताने वाला आँकड़ा इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
- हालाँकिपीठ ने 2006 के अपने फैसले में तय की गई उन दो शर्तों पर टिप्पणी नहीं की जो पदोन्नति में एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं करने से जुड़े थे।
- अदालत ने अपने निर्णय में न सिर्फ़ 2006 में दिये गए अपने पुराने दिशा-निर्देशों को ख़ारिज किया बल्कि यह भी कहा कि नागराज निर्णय में दिये गए दिशा-निर्देश 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी निर्णय के ख़िलाफ़ जाते हैं

आगे की राह

- वस्तुत: आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद के दशकों में आरक्षण सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। विडम्बना यह है कि भारत में उद्यमिता का अभाव है।
- ऐसे में हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है और अपनी सुविधानुसार आरक्षण की व्याख्या करता है।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये आरक्षण की नितांत आवश्यकता है, किंतु एक सच यह भी है कि आरक्षण के उद्देश्यों के बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं।
- जहाँ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये क्रीमीलेयर की व्यवस्था का प्रश्न है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले सभी आयामों के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।
- मसलन अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक उत्थान का पैमाना आय से संबंधित आँकड़ा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नागराज मामले में दिये अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में बदल दिया था और क्रीमीलेयर की व्यवस्था केवल ओबीसी तक ही सीमित कर दी थी।

The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ज़रिये बैंकिंग सेवाएँ देश भर में दूरस्थ स्थानों और वहाँ रहने वाले लोगों तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगी, जिसे वित्तीय समावेश की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इससे पूर्व वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिये 'जन धन योजना' शुरू की थी।
- इस अवसर पर 650 ज़िलों में IPPB की शाखाएँ खोली गईं।
- देश भर में 1.5 लाख से भी अधिक डाकघर और तीन लाख से भी ज्यादा डाकिये या 'ग्रामीण डाक सेवक' हैं जो देश के लोगों से जुड़े हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि डाकिया लंबे समय से गाँवों में एक सम्मानित और स्वीकार्य व्यक्ति रहा है और आधुनिक तकनीकों द्वारा दस्तक देने के बावजूद डाकिया पर भरोसा अब भी बना हुआ है।
- अब लोगों को वित्तीय सेवाएँ सुलभ कराने के उद्देश्य से उन्हें स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा।
- IPPB के माध्यम से डाकिया धन हस्तांतरण, सरकारी लाभों के हस्तांतरण और बिल भुगतान के साथ-साथ निवेश एवं बीमा जैसी अन्य सेवाएँ भी सुलभ कराएगा।
- इस योजना के ज़रिये डाकिया द्वारा लोगों के घरों के दरवाज़े पर उपर्युक्त सेवाएँ सुलभ कराई जाएंगी।
- IPPB डिजिटल लेन-देन की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसके साथ ही विभिन्न स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा, जिसके तहत किसानों को सहायता मुहैया कराई जाती है।
- हाल के महीनों में 'डाक सेवकों' के कल्याण और उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिये कई कदम उठाए गए हैं।
- इन कदमों की बदौलत डाक सेवकों के वेतन में काफी वृद्धि हुई है। आशा जताई गई है कि IPPB अगले कुछ महीनों में देश भर में फैले 1.5 लाख से भी अधिक डाकघरों तक पहुँच जाएगा।

लाभ

- आईपीपीबी को आम आदमी के लिये एक सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को तेज़ी से पूरा करने में मदद मिल सके।
- देश के हर कोने में फैले डाक विभाग के 3,00,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से इसे काफी लाभ मिलेगा।
- अत: IPPB भारत में लोगों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
- आईपीपीबी का शुभारंभ तेज़ी से विकास की ओर बढ़ते भारत के दूरस्थ कोनों तक इसका लाभ सुलभ कराने संबंधी केंद्र सरकार के प्रयासों को मज़बूती देने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- IPPB बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।
- इन सुविधाओं एवं इससे जुड़ी अन्य संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए बहु-विकल्प माध्यमों (काउंटर सेवाएँ, माइक्रो-एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर) के ज़रिये उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट :

वर्ष 2017 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी किये गए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन (UNWTO) के आँकड़ों के अनुसार, दुनिया भर के गंतव्यों पर कुल 1,323 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इन आँकड़ों के मुताबिक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की अगुआई के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन वर्ष 2017 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया।
- उल्लेखनीय है कि इन आँकड़ों में वर्ष 2016 की तुलना में 84 मिलियन की वृद्धि हुई है और यह एक नया रिकॉर्ड कायम करता है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निरंतर आठ वर्षों तक पर्यटन आगमन में वृद्धि दर्ज की गई,जबकि यूरोप और अफ्रीका में क्रमश: आठ प्रतिशत और नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, संपूर्ण दक्षिण एशिया में सकारात्मक परिणाम की मुख्य वजह भारत का इस क्षेत्र में मज़बूत प्रदर्शन रहा है।
- भारत उपक्षेत्रीय पर्यटन का सबसे बड़ा गंतव्य स्थान रहा है और पश्चिमी स्रोत बाज़ारों तथा सरल वीज़ा प्रक्रियाओं के कारण बढ़ती मांग से लाभान्वित हुआ है।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन वर्ष 2016 के 14.57 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2017 में 15.54 मिलियन हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियाँ वर्ष 2016 के 22.42 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 27.36 अरब डॉलर हो गई हैं।
- दुनिया भर के 10 शीर्ष पर्यटन स्थलों में से सात प्रमुख गंतव्य स्थानों में चीन, फ्राँस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
- उपर्युक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों दोनों ही दृष्टि से शीर्ष स्थानों पर विद्यमान हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन (UNWTO)

- UNWTO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो सतत् और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- UNWTO में 158 देश, 6 एसोसिएट सदस्य और 500 से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं जो निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थानों, पर्यटन संगठनों और स्थानीय पर्यटन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
- पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में UNWTO न केवल आर्थिक विकास, समसामयिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि साथ ही दुनिया भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को आगे बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र को नेतृत्व और समर्थन भी प्रदान करता है।
- UNWTO पर्यटन की वैश्विक आचार संहिता (Global Code of Ethics for Tourism) के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है।
- इसके अतिरिक्त यह गरीबी को कम करने के लिये तैयार किये गए सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) को प्राप्त करने में एक साधन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वस्तुत: इसका उद्देश्य दुनिया भर में सतत् विकास को बढ़ावा देना भी है।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का महत्त्व

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (Public Credit Registry- PCR) स्थापित करने का मुद्दा उठाया था जिसमें अद्वितीय पहचानकर्त्ता के रूप में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिये आधार और फर्मों हेतु कॉर्पोरेट पहचान संख्या शामिल थी। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया था कि इस रजिस्ट्री में ऋण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का संग्रह किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उधारकर्त्ता से संबंधित डेटा को बैंकों जैसे हितधारकों को उपलब्ध कराया जा सके।

नोट :

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है ?

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एक सूचना भंडार है जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के सभी प्रकार के ऋणों से संबंधित जानकारियों के संग्रहण का कार्य करती है।
- क्रेडिट का संग्रहण बैंकों को खराब और अच्छे उधारकर्ता के बीच अंतर स्थापित करने में मदद करता है जिसके अनुसार बैंक अच्छे उधारकर्ताओं को आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है और खराब उधारकर्ताओं के लिये उच्च ब्याज दरें निर्धारित करता है।

PCR के लाभ

- PCR के माध्यम से सूचना विषमता जैसी समस्याओं को हल किया जा सकेगा, ऋण उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के बीच क्रेडिट संस्कृति मजबूत होगी।
- इससे बैंकों में चल रही बैड लोन की समस्या को हल करने में भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार मौजूदा ऋण का खुलासा किये बिना बैंकों से उधार लेने में सक्षम नहीं होंगे।
- PCR, वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंक सुधारने में भी मदद कर सकता है।
- PCR की स्थापना से विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।

PCR ज़रूरी क्यों है ?

- वर्तमान में ऋण से संबंधित जानकारी बिट्स और टुकडों में तथा कई माध्यमों के ज़रिये उपलब्ध हो पाती है, न कि केवल एक ही प्रणाली में इसलिये ऋण से संबंधित सभी जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के लिये PCR आवश्यक है।
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कॉर्पोरेट बॉण्ड या बाज़ार से डिबेंचरों, विदेशी वाणिज्यिक उधार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड, मसाला बॉण्ड और अंतर-कॉर्पोरेट उधार से संबंधित जानकारी किसी संग्रहण में उपलब्ध नहीं है। PCR स्थापित किये जाने से ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- PCR के माध्यम से एक उधारकर्त्ता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियों को एक ही स्थान पर संग्रहीत किया जा सकेगा।
- यह अन्य ऋणों के संबंध में उधारकर्त्ता के प्रदर्शन को ट्रैक करके उसकी संपत्ति की गुणवत्ता के बारे में प्रारंभिक चेतावनियाँ जारी कर सकता है।

अन्य देशों में PCR की स्थिति

- वर्तमान समय में अन्य देशों के PCR में लेन-देन से संबंधित अन्य आँकड़ों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि खुदरा उपभोक्ताओं के लिये बिजली और दूरसंचार के भुगतान से संबंधित आँकड़े और व्यवसायियों के व्यापार ऋण से संबंधित आँकड़े।
- यह व्यापार लेन-देन में ग्राहकों की क्रेडिट गुणवत्ता का संकेत प्रदान करती है।

निष्कर्ष

- ऋण विवरण और पूर्व में किये गए भुगतान की जानकारी उपलब्ध होने से उधार देने की प्रक्रिया मंर नवीनता आएगी। उदाहरण के लिये, वर्तमान में अधिकांश बैंक ऋण देने हेतु बड़ी कंपनियों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास उधार लेने के लिये सीमित विकल्प ही उपलब्ध हो पाते हैं।
- PCR, पूर्व में किये गए संतोषजनक भुगतान और ऋण से संबंधित विधिमान्य विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करेगा। यह वित्तीय समावेशन की नीति का भी समर्थन करेगा।

10 से अधिक शाखा वाले बैंकों को नियुक्त करना होगा आतंरिक लोकपाल: रिज़र्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के लिये शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बैंकिंग लोकपाल योजना को और अधिक सख्त बनाते हुए बैंकों में आतंरिक लोकपाल की नियुक्ति करने का आदेश दिया है जिससे बैंक के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया सकेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सभी वाणिज्यिक बैंकों जिनकी शाखाएँ 10 या उससे अधिक हैं, को ग्राहकों की ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने के लिये एक स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman- IO) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
- आतंरिक लोकपाल, ग्राहकों की ऐसी शिकायतों का निपटारा करेगा जो बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवा में कमी से संबंधित हो तथा जिन्हें बैंक द्वारा ख़ारिज कर दिया गया हो।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के ज़ारी किये गए ये निर्देश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर लागू नहीं होंगे।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंकों को ऐसी शिकायतें आतंरिक लोकपाल के पास भेजनी चाहिये, जिनका निपटारा वे नहीं कर पाए हैं। अत: ग्राहकों को सीधे आतंरिक लोकपाल से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लोकपाल योजना 2018

- बैंक में आतंरिक लोकपाल योजना 2018 के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि बैंक आतंरिक लोकपाल का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष निश्चित करे जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।
- आतंरिक लोकपाल को केवल रिज़र्व बैंक की पूर्व सहमति के आधार पर ही उसके पद से हटाया जा सकता है।
- आतंरिक लोकपाल को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का निर्णय बोर्ड की ग्राहक उप-समिति द्वारा किया जाना चाहिये, न कि किसी भी व्यक्ति द्वारा।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार की लोकपाल योजना 2018 में आतंरिक लोकपाल की नियुक्ति/कार्यकाल, भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश और निरीक्षण शामिल हैं।
- लोकपाल योजना 2018 के कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अलावा बैंक के आतंरिक लेखा परीक्षा तंत्र द्वारा भी की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कतिपय सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान में सहायता प्रदान करने और इन शिकायतों के संतोषजनक हल अथवा निपटान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
- इसके अंतर्गत एक 'बैंकिंग लोकपाल' की नियुक्ति की जाती है, जो अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होता है।
- 'बैंकिंग लोकपाल योजना' 1995 में लागू की गई थी, लेकिन बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और ज़िम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 एवं 2006 में इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें संशोधन किये गए।

निर्माण श्रमिकों के लाभों की जाँच के लिये लेखा परीक्षा

चर्चा में क्यों ?

निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों को पंजीकृत कर रहे हैं या नहीं, उन्हें लाभ दे रहे हैं या नहीं इसकी जाँच के लिये और अवैध रूप से पंजीकृत गैर-श्रमिकों को बाहर निकालने के लिये सामाजिक लेखा परीक्षा पायलट परियोजनाएँ शीघ्र ही राजस्थान और दिल्ली में शुरू होने वाली हैं।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (BOCW) के कार्यान्वयन पर सामाजिक लेखा परीक्षा के लिये मसौदा रूपरेखा जारी की गई। इसमें लेखा परीक्षा का प्रारूप विस्तार से रखा गया है।
- निर्माण उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में पाँच से सात करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से आधे से कम पंजीकृत हैं।

नोट :

- BOCW सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य हर दो साल में सभी ज़िलों को कवर करना है, इस प्रक्रिया का नेतृत्त्व कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुसार, पायलट परियोजनाएँ दिल्ली के भवाना वार्ड और उदयपुर ज़िले के ब्लॉक (अभी तक तय किया जाना बाकी) में क्रियान्वित की जाएंगी।

कार्य-स्थलों का मुआयना

- निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिये राष्ट्रीय अभियान समिति (NCC-CL) के अधिकारियों द्वारा यह जाँचने हेतु कि कितने श्रमिक कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत हैं, सभी निर्माण स्थलों सहित उन स्थानों का भी मुआयना किया जाएगा जहाँ श्रमिक रहते हैं।
- इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा दल द्वारा इन ममलों की भी जाँच की जाएगी कि "क्या श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं? जिन श्रमिकों ने विभिन्न लाभों (पेंशन, मातृत्व आदि) के लिये आवेदन किया है उन्हें कितनी लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है? यदि श्रमिकों को बच्चों के केवल दो या तीन साल की उम्र होने तक मातृत्व लाभ मिलता है, तो इसका क्या उपयोग होता है?"
- सामाजिक लेखा परीक्षा दल उन श्रमिकों की भी खोज करेगा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है और उन कारणों को भी खोजने का प्रयास करेगा जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

- NCC-CL की याचिका पर 19 मार्च के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि केंद्र और राज्यों ने बीओसीडब्ल्यू को लागू करने के पिछले निर्देशों का "दंडमुक्ति के साथ उल्लंघन" किया था और न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि इसके लिये सरकार को ज़िम्मेदार ठहराए जाने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पंजीकरण प्रयासों में उत्तरदायित्व के बिना BOCW का कोई उपयोग नहीं होगा।
- फैसले में न्यायालय ने कहा कि, "न्यायालय में दर्शाए गए आँकड़ों के अनुसार देश में 4.5 करोड़ से अधिक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक हैं। पहले 2.15 करोड़ श्रमिक पंजीकृत किये गए थे और अब तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 2.8 करोड़ हो चुकी है। इन आँकड़ों की प्रामाणिकता पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी भी घटना में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण आवश्यक संख्या से काफी नीचे है और यह भी एक अनुमान मात्र है।"

तीव्र गति से विकसित होता खाद्यान्नों का साइलो भंडारण तरीका

चर्चा में क्यों?

साइलो में खाद्यान्नों को भंडारित करना भारत में तीव्र गति से बढ़ रहा है क्योंकि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत) आधुनिक भंडारण सुविधाओं की कमी से होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिये प्रयासरत है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को बिना किसी प्रौद्योगिकी के उपयोग के पुराने गोदामों में संगृहीत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि नतीजतन, 14 अरब डॉलर की उपज सालाना खराब हो जाती है, जबकि 194 मिलियन भारतीय हर दिन भूखे रह जाते हैं।
- उदाहरणस्वरूप 2010 में, भारत ने 68 मिलियन टन फल और 129 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन किया और उस वर्ष यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उपज का उत्पादक था। फल और सब्ज़ियों का लगभग 30 प्रतिशत बर्बाद हो गया था। 2005 से मार्च 2013 के बीच भारत ने अनुमानत: 1.94 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद कर दिया।
- व्यापक रूप से स्वीकार्य एक वैश्विक अवधारणा साइलो स्टोरेज को एक दशक पहले भारत में प्रस्तुत किया गया था, जो कि मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों की धारणाओं और किस्मत को बदल रहा है। साइलो संरचनाएँ अनाज भंडारण करने की एक वैज्ञानिक विधि का पालन करती हैं, जो लम्बी अवधि तक उपज की बड़ी मात्रा को संरक्षित रखने में सक्षम होती हैं।

नोट :

विकासोन्मुख क्षेत्र

- अडानी कृषि लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, साइलो स्टोरेज को सर्वप्रथम अपनाने वाली कंपनियों में से एक थी। वर्तमान में, 8.75 लाख टन की क्षमता के साथ यह देश में एकमात्र साइलो स्टोरेज प्रचालक है तथा इसके द्वारा एक और 4 लाख टन की क्षमता का साइलो निर्मित किया जा रहा है।
- साइलो में संगृहीत सम्पूर्ण मात्रा के साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिये लगभग 1 मिलियन टन अनाज धारण करते हुए इस फर्म की उपस्थिति पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में है। कंपनी का लक्ष्य 2022 तक 2 मिलियन टन की साइलो स्टोरेज क्षमता हासिल करना है।
- अडानी के अलावा, एलटी फूड्स, नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड, श्री कार्तिकेयन इंडस्ट्रीज और टोटल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन 21.5 लाख टन साइलो क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।
- दो प्रकार के साइलो होते हैं: एक रेल कनेक्टिविटी के साथ और दूसरा रेल कनेक्टिविटी के बिना। रेल कनेक्टिविटी के बिना 50,000 टन क्षमता के एक विशिष्ट स्वचलित साइलो की लागत 6,000 रुपए प्रति टन या स्क्रैच से निर्माण करने पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आती है, जबकि जमीन सहित रेल कनेक्टिविटी के साथ एक साइलो (50,000 टन की इकाई के लिये) की लागत करीब 55-60 करोड़ रुपए प्रति इकाई होती है। यदि जमीन को ध्यान में रखा जाता है, पारंपरिक गोदामों के निर्माण से साइलो सस्ता है।

खराब भंडारण व्यवस्था

- भारत 65 मिलियन टन खाद्यान्नों का भंडारण करता है, जिनमें से अधिकांश पारंपरिक खुले या ढके हुए गोदामों में रखे जाते हैं। वास्तव में, खुले गोदामों में 10 मिलियन टन से अधिक अनाज भंडारित होते हैं जो कि आसानी से नुकसान तथा मौसम की अनियमितता से ग्रस्त हो जाते हैं।
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, खाद्य उत्पादन कभी भारत के लिये चिंता का विषय नहीं रहा है। भारत ने 2016-17 में 270 मिलियन टन से अधिक भोजन का उत्पादन किया, जो इसकी आबादी को खिलाने के लिये 230 मिलियन टन की वार्षिक आवश्यकता से अधिक है। ये आँकड़े अनाज भंडारण के लिये नई तकनीक अपनाने पर बल देते हैं।
- काफी हद तक पंजाब और हरियाणा को भारत की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है। इन दो राज्यों से लगभग दो-तिहाई खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति होती है। एक बेहतर साइलो स्टोरेज अवसंरचना निश्चित रूप से देश में भूखे लोगों की संख्या में कमी लाने में मदद कर सकती है। भारत को अपनी खाद्यान्न सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने के लिये आधुनिक खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना अपनाने की आवश्यकता है।

क्या है साइलो स्टोरेज ?

- साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढाँचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित रहने के कारण इनमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है।
- एक अत्याधुनिक साइलो में रेलवे साइडिंग के जरिये बड़ी मात्रा में अनाज की लोडिंग/अनलोडिंग की जा सकती है। इससे भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले अनाज के नुकसान में काफी कमी आती है।

जन-धन योजना ओपन-एंडेड योजना

चर्चा में क्यों ?

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को उच्च बीमा कवर के साथ ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा को दोगुना करने तथा इसे ओपन-एंडेड योजना में बदलने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र ने "प्रत्येक घर" से "सभी वयस्क व्यक्तियों" को इस योजना से जोड़ने पर ज़ोर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि पीएमजेडीवाई अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और केंद्र ने इसे ओपन एंडेड घोषित करने का फैसला किया है तथा ओडी की मौजूदा सीमा को ₹ 5,000 से बढ़ाकर ₹ 10,000 तक किया गया है।

नोट :

ओपन एंडेड योजना

- ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएँ जो हमेशा निवेश के लिये उपलब्ध होती हैं तथा इनमें किये गए निवेश को भुनाने के लिये कोई तय अवधि नहीं होती ओपन एंडेड योजनाएँ कहलाती हैं।
- वहीं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड योजनाएँ निवेश के लिये एक सीमित अवधि तक ही खुली रहती हैं और उसके बाद इनमें सीधे निवेश नहीं किया जा सकता।
- यह कदम पीएमजेडीवाई को जारी रखने के लिये उठाया गया है, जिसे वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के नाम से भी जाना जाता है।
- इसके अलावा, ₹ 2,000 तक के किसी भी ओवरड्राफ्ट के लिये कोई शर्त नहीं की होगी साथ ही ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिये आयु सीमा 18-60 साल को बढ़ाकर 18-65 वर्ष तक की गई है।
- नए रुपे कार्डधारकों के लिये दुर्घटना बीमा कवर को ₹ 2 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के बारे में

- पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे- कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ यथा- मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
- किफ़ायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से ही संभव है।
- पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है।
- इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिये कम-से-कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गई है।
- इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।
- इस योजना में सभी सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) लाभों को लाभार्थियों के खातों से जोड़ने तथा केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- टेलिकॉम आपरेटरों के ज़रिये मोबाइल बैंकिंग तथा नकद आहरण केंद्र के रूप में उनके स्थापित केंद्रों का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन हेतु प्रयोग किये जाने की योजना है।
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 81.2 करोड़ रुपए की जमाराशि के साथ अब तक 32.41 करोड़ खाते खोले गए हैं।
- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाताधारकों में लगभग 53 प्रतिशत महिलाएँ हैं और उनमें भी अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आनुवंशिक विकारों को कवर करना आवश्यक नहीं: IRDAI

चर्चा में क्यों ?

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य बीमा पालिसी के अंतर्गत आनुवंशिक विकारों को शामिल करना आवश्यक नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीमा विनियामक ने इससे पूर्व बीमाकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे कि आनुवंशिक विकारों के बहिष्कार के आधार पर मौजूदा स्वास्थ्य नीतियों पर किये जाने वाले दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम

- यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी थी।
- उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले में कहा गया था कि आनुवंशिक विकारों को स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत शामिल न करना असंवैधानिक है।
- वर्तमान में कुछ हृदय रोग और हेमोफिलिया जैसे आनुवंशिक विकारों को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

नोट :

क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने ?

- फरवरी 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि "बीमा पॉलिसी में आनुवंशिक विकारों का बहिष्कार करने वाला खंड बहुत व्यापक, संदिग्ध और भेदभावपूर्ण है"।
- इसने IRDAI को इस खंड पर दोबारा गौर करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बीमा कंपनिययाँ आनुवंशिक विकारों से संबंधित बहिष्कारों के आधार पर दावों को अस्वीकार न करें।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए विनियामक ने सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य नीतियों से आनुवंशिक विकारों को बाहर नहीं करने का निर्देश दिया था।
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा एक स्वायत सांविधिक एजेंसी है जिसका कार्य भारत में बीमा और पुन: बीमा करने वाले उद्योगों का नियमन करना और उन्हें बढ़ावा देना है
- इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था

सेबी के नए मानदंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

संदर्भ

हाल ही में एसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया (विदेशी धन से संबंधित एक संघ) ने चेतावनी जारी की थी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी एक परिपत्र के कारण भारतीय इक्विटी बाज़ारों से संभवत: 75 बिलियन डॉलर का प्रवाह देश से बाहर की ओर हो सकता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश में धनराशि की प्रविष्टि का वह तरीका है जिसमें किसी भी देश का नागरिक किसी अन्य देश के बैंक में धन जमा करता है या दूसरे देशों के स्टॉक और बॉण्ड बाज़ारों में खरीदारी करता है।

सेबी द्वारा जारी परिपत्र

- सेबी ने 10 अप्रैल, 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिये KYC(Know Your Client) मानदंडों में वृद्धि से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी FPIs से उनके लाभार्थी मालिकों (Benificial Owners-BO) की एक सूची प्रदान करने करने को कहा था।
- इस परिपत्र के अनुसार, निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक भारत में निवेश किये जाने वाले फंड के लिये लाभार्थी मालिक नहीं हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नामिती (nominee) को भी FPI का लाभार्थी मालिक नहीं माना गया है।
- लाभार्थी मालिक (BO) वह है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व का लाभ प्राप्त करता है।
- कंपनी या ट्रस्ट की संरचना वाले FPIs के BOs को स्वामित्व हित (जिसे स्वामित्व या अधिकार के रूप में भी जाना जाता है) और नियंत्रण के आधार पर पहचाना जाना चाहिये। साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के असंगठित संगठनों के मामले में BOs को स्वामित्व या अधिकार के आधार पर पहचाना जाना चाहिये।
- स्वामित्व हित और नियंत्रण के मामले में FPI के BO की पहचान के लिये भौतिकता की सीमा कंपनी के मामले में 25% और साझेदारी फर्म, ट्रस्ट तथा व्यक्तियों के असंगठित संघ के मामले में 15% होगी।
- 'उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार' ((high risk jurisdictions) से आने वाले FPI के संदर्भ में मध्यस्थ BO की पहचान करने की लिये 10% की न्यूनतम भौतिकता सीमा लागू की जा सकती है और श्रेणी-III FPI के लिये लागू KYC दस्तावेज़ भी सुनिश्चित किये जा सकते हैं।
- यदि कोई भी इकाई इन सीमाओं को पूरा नहीं करती है, तो FPI का वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी नामित BO होगा।
- वकीलों/लेखाकारों जैसे सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधित्व वाली कंपनियों/ट्रस्टों के मामले में FPI को उन कंपनियों/ट्रस्ट के असली मालिक/प्रभावी नियंत्रकों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिये।

नोट :

- NRIs और OCIs केवल इसी शर्त पर FPI लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं कि वे अपनी भूमिका को केवल निवेश सलाहकारों तक सीमित रखें और अपने पैसे का निवेश नहीं कर सकते हैं।
- नियामक ने श्रेणी II और III के FPIs से BO के नाम और पते का खुलासा करने के लिये कहा था।
- श्रेणी II के FPI में बड़े पैमाने पर विनियमित संस्थान, व्यक्तिय, व्यापक-आधारित फंड और विश्वविद्यालय, पेंशन तथा एंडॉवमेंट फंड शामिल हैं।

परिपत्र जारी करने के पीछे सेबी का उद्देश्य

- हालाँकि नियामक द्वारा इस परिपत्र को जारी करने के पीछे स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है लेकिन यह माना जा सकता है कि मनी-लॉंडरिंग और राउंड ट्रिपिंग (ब्लैक मनी जो विदेशों में जाकर फिर से व्हाइट मनी में तब्दील हो जाती है और वापस उसी देश में निवेश के रूप में लौट आती है) पर चिंताओं ने इस निर्देश को प्रेरित किया होगा।

FPIs क्यों महत्वपूर्ण है ?

- FPI इस लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय शेयर बाज़ारों के लिये प्रमुख निवेशक रहे हैं।

क्यों खुश नहीं हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ?

- वर्तमान में FPIs को एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में 10% तक निवेश करने की अनुमति है। सेबी ने अब कहा है कि यदि उनके पास एक ही BO है तो उनकी निवेश सीमा को और अधिक बढाया जाएगा।
- दूसरा, अभी तक ऑफशोर फंड के BO को निर्धारित करने के लिये आर्थिक स्वामित्व बुनियादी मानदंड रहा है। इसका मतलब है कि एक फंड में अधिकाँश हिस्सेदारी रखने वाली इकाई को BO माना जाता है। लेकिन नए परिपत्र में नियामक ने FPIs से शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण दोनों के आधार पर स्वामित्व निर्धारित करने के लिये कहा है।
- इस संदर्भ में नियंत्रण का मतलब अन्य प्रशासनिक अधिकारों के साथ निदेशकों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है।
- सेबी ने कहा है कि उच्च जोखिम वाले राष्ट्र अधिक कठोर KYC मानदंडों के अंतर्गत आएंगे।

सेबी द्वारा गठित समिति

- FPIs को राहत देते हुए हाल ही में सेबी द्वारा रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले परिपत्र के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं।

समिति के सुझाव

सेबी द्वारा नियुक्त समिति ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं:

- अनिवासी भारतीयों, विदेशों में भारतीय निवासी और निवासी भारतीयों को विदेशी फंडों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिये जो कुछ शेयर धारण की सीमाओं के अंतर्गत भारत में निवेश करते हैं।
- FPI के प्रबंधन के तहत एक एकल NRI, OCI या RI संपत्तियों का 25% से अधिक धारण नहीं कर सकते और विदेशी संस्थाओं के निवेश में ऐसी इकाइयों की कुल शेयर धारण क्षमता 50% से कम होनी चाहिये।
- FPI के वरिष्ठ प्रबंधकों और सूचीबद्ध संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की पहचान के संबंध में परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है।
- सेबी को धन-शोधन रोधी कानून (PMLA) के तहत निर्धारित लाभार्थी मालिक की परिभाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
- उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने के लिये एक और उद्देश्य पूर्ण मानदंड विकसित करने हेतु केंद्र से परामर्श करने का भी सुझाव दिया गया है।

नोट :

पीएमओ ने दी पोषण मानदंडों को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार पूरक पोषण दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी दी है।

असहमति के मुख्य बिंदु

- माना जा रहा है कि संबंधित मंज़ूरी मेनका गांधी की सिफारिशों को दरकिनार करके दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि पीएमओ ने प्रस्तावित मानदंडों पर मेनका गांधी और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच सालों से चले आ रहे मतभेद के चलते यह कदम उठाया है।
- असहमति का केंद्रबिंदु मुख्यत: एकीकृत बाल विकास योजना के तहत 14 लाख आंगनवाड़ियों से 10 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और घर ले जाने के लिये राशन देने की योजना संबंधित था।
- हालाँकि, मेनका गांधी का सुझाव था कि घर ले जाने वाले राशन को उन स्वयं सहायता समूह से प्राप्त किया जाए जिनके पास पर्याप्त संख्या में निर्माण की सुविधा हो या फिर इसे सरकारी या निजी संस्थाओं से लिया जाए।

एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)

- यह योजना वर्ष 1975 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा) के लिये एक पहल के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है।
- ICDS योजना की निगरानी संबंधी समग्र ज़िम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की है।
- ICDS योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माँ की पहुँच चार मुख्य सेवाओं जैसे- प्रतिरक्षा,पूरक पोषण, स्वास्थ्य जाँच, रेफ़रल सेवाएँ तक सुनिश्चित करना है।
- इसके अलावा, ICDS के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पहुँच पूर्व-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा तक सुनिश्चित कराना।
- महिलाओं और किशोरावस्था की लड़कियों की पहुँच पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तक सुनिश्चित किया जाना।
- उपर्युक्त सभी सेवाएँ स्थानीय आईसीडीएस (या आँगनवाड़ी) केंद्र से आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
- दरअसल, वह चाहती थीं कि रेडी टू ईट पैकेटबंद खाना लाभार्थी बच्चों को बाँट दिया जाए, जबकि विभाग के अधिकारी इस पक्ष में थे कि बच्चों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ सिर्फ स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों से निर्मित किये जाएँ।
- इसके अलावा, असहमति का एक मुद्दा आँगनवाड़ी में अनुपूरक पोषाहार कैसे दिया जाए, से भी संबंधित था।
- मेनका गांधी ने नीति निर्माताओं से कहा था कि हमें सिर्फ खाना देने के बारे में सोचने की जगह पोषण देने के बारे में सोचना चाहिये, जबकि अधिकारियों ने नीति आयोग से कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा का अर्थ ज़रूरतमंदों तक तय मात्रा में खाद्य अनाज और भोजन पहुँचाना है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अगला संकट मुद्रा ऋण की वज़ह से

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अगला संकट असंगठित सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को दिये गए ऋण (जिसे मुद्रा ऋण कहा जाता है) और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ाए गए साख के कारण उत्पन्न हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- एनडीए सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY के तहत मुद्रा ऋण की पेशकश की जाती है। सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (MUDRA) वेबसाइट के आँकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा इस योजना के तहत कुल 6.37 लाख करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।

नोट :

- संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के अनुरोध पर बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) पर तैयार किये गए एक नोट में डॉ. राजन ने कहा कि सरकार को महत्वाकांक्षी क्रेडिट लक्ष्यों को स्थापित करने या ऋणों में छूट देने से बचना चाहिये।
- डॉ. राजन ने अपने 17-पेज के नोट में लिखा, " लोकप्रिय होने के बावजूद मुद्रा ऋण के साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड दोनों की संभावित क्रेडिट जोखिम के चलते अधिक बारीकी से जाँच की जानी चाहिये।"
- उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को भी सूचित किया और इसे "एक बढ़ती आकस्मिक देयता" कहा जिसे तत्काल परीक्षण की आवश्यकता है।
- उन्होंने लिखा, "2006-2008 की उस अवधि में बड़ी संख्या में NPA उत्पन्न हुए थे जब आर्थिक विकास मजबूत था। यह ऐसा समय होता है जब बैंक गलतियाँ करते हैं।"
- छोटे ऋणों की समस्या पर उन्होंने नोट में कहा, " मुझे इस मोर्चे पर प्रगति की जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।"
- डॉ. राजन ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे कृषि ऋण पर छूट न देने के लिये सहमत हों क्योंकि इस तरह के छूट क्रेडिट संस्कृति को खराब करते हैं और अंतत: क्रेडिट के प्रवाह को कम करते हैं।
- उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के खिलाफ लगे आरोपों का बचाव किया कि एनपीए की गड़बड़ी रिज़र्व बैंक की वज़ह से है। उन्होंने कहा, "सच यह है कि बैंकर, प्रमोटर और परिस्थितियाँ NPA की समस्या पैदा करते हैं। वाणिज्यिक ऋण की प्रक्रिया में आरबीआई मुख्य रूप से एक रेफरी की भूमिका निभाता है, न कि एक खिलाड़ी की।"
- इसी तरह, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जबरन एनपीए की पहचान ने क्रेडिट और अर्थव्यवस्था में मंदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा, "सबूतों को देखने पर पता चलता है कि यह दावा हस्यास्पद है और उन लोगों द्वारा किया गया है जिन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है।"

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (NPA)

- गैर-निष्पादनकरी परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका सीधा संबंध कर्ज़/ऋण/लोन न चुकाने से होता है
- जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है दूसरे शब्दों में, एनपीए वैसी परिसंपत्ति होती है जो मूल रूप से वसूली की अनुमानित अवधि तक नकद मौद्रिक प्रवाह का हिस्सा नहीं बनती है

भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल के उन ब्रॉड गेज (बड़ी लाइन) मार्गों, जो कि अब तक विद्युतीकरण से वंचित, के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।

प्रस्ताव के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इन मार्गों को 108 सेक्शन के तहत 13,675 ट्रैक किलोमीटर (16,540 ट्रैक किलोमीटर) का कवरेज किया जाएगा।
- विद्युतीकरण का कार्य 12,134.50 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 तक पूरा किया जाना है।
- भारतीय रेल नेटवर्क पर बड़े ट्रंक (मुख्य) मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और ये ट्रैक चालू हैं।
- पूरे नेटवर्क में बाधारहित रेल परिवहन की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि परिवर्तन की आवश्यकता से उत्पन्न बाधाएँ दूर की जाएँ।
- प्रस्तावित विद्युतीकरण मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिये किया जाना है जहाँ अब तक विद्युतीकरण और अंतिम गंतव्य तक संपर्क नहीं हो पाया है।

नोट :

- इस प्रस्ताव के अनुसार विद्युतीकरण से आयातित जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
- नियोजित विद्युतीकरण के बाद प्रतिवर्ष 2.83 बिलियन लीटर हाई स्पीड डीज़ल की खपत में कमी आएगी और जीएचजी उत्सर्जन कम होगा। इससे रेलवे के कारण होने वाले प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव में भी कमी आएगी।
- अभी भारतीय रेल के लगभग दो-तिहाई माल ढुलाई तथा यात्री परिवहन के आधे से अधिक का संचालन बिजली से हो रहा है। लेकिन बिजली का भारतीय रेल के कुल ऊर्जा व्यय में केवल 37 प्रतिशत का योगदान है।
- विद्युतीकरण के बाद भारतीय रेल अपने ईंधन बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत करेगी और इससे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- प्रस्तावित विद्युतीकरण से निर्माण अवधि के दौरान 20.4 करोड़ मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन होगा। इस निर्णय होने वाले अन्य लाभ निम्नलिखित हैं-

क्षमता और गति

- 100 प्रतिशत विद्युतीकरण से बाधारहित ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा और ट्रैक्शन परिवर्तन यानी डीज़ल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीज़ल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोककर रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी।
- बिजली चालित इंजनों की उच्च गति तथा उच्च वहन क्षमता के कारण रेलवे को लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- सुरक्षित व सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन के दौरान सुरक्षा बढ़ेगी।

ऊर्जा सुरक्षा

- सरकार की नई ऑटो ईंधन नीति के अनुरूप पूरी तरह बिजली ट्रैक्शन अपनाने से प्रतिवर्ष जीवाश्म ईंधन खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर की कमी आएगी।
- पेट्रोलियम आधारित ईंधन की आयात निर्भरता में कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

ऊर्जा बिल बचत

- ईंधन बिल में संपूर्ण रूप से प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत होगी।
- इस निर्णय के अंतर्गत कवर किये गए सेक्शनों के विद्युतीकरण से प्रतिवर्ष 3,793 करोड़ रुपए की बचत होगी।
- इंजन के रख-रखाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, क्योंकि बिजली चालित इंजनों की रख-रखाव लागत 16.45 रुपए प्रति हज़ार GTKM है जबकि डीज़ल ईंजनों के रख-रखाव की लागत 32.84 रुपए प्रति हज़ार GTKM है।
- बिजली इंजनों की पुर्नउत्पादन सुविधा से 15-20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होगी तथा उच्च अश्व शक्ति के कारण इलेक्ट्रिक लोको की आवश्यकता में कमी आएगी।

निरंतरता

- बिजली के लिये प्रति टन पर्यावरण लागत 1.5 पैसे होती है और डीज़ल ट्रैक्शन के लिये 5.1 पैसे होती है।
- COP 21 में भारत की वचनबद्धता के अनुरूप पूरी तरह बिजली ट्रैक्शन अपनाने से वर्ष 2027-28 तक रेलवे के कार्बन उत्सर्जन में 24 प्रतिशत की कमी आएगी।
- वर्ष 2019-20 तक बिजली ट्रैक्शन के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन डीज़ल से कम होगा और इस तरह यह पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित होगा।

रोज़गार सृजन

- निर्माण अवधि के दौरान लगभग 20.4 करोड़ मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होगा।
- उपर्युक्त लाभों के माध्यम से संपूर्ण विद्युतीकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिये अग्रदूत का काम करेगा और अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करेगा।

नोट :

10 महीने के निचले स्तर पर पहुँची खुदरा मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Organisation-CSO) ने अगस्त, 2018 के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) पर आधारित महँगाई दर के आँकड़े जारी किये।

जुलाई की तुलना में CPI आधारित महँगाई दर

- अगस्त 2018 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिये CPI आधारित महँगाई दर 3.41 फीसदी (अनंतिम) रही, जो अगस्त 2017 में 3.22 फीसदी थी।
- इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिये CPI आधारित महँगाई दर अगस्त, 2018 में 3.99 फीसदी (अनंतिम) आँकी गई, जो कि अगस्त 2017 में 3.35 फीसदी थी।
- उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में ये दरें क्रमश: 4.11 तथा 4.32 फीसदी (अंतिम) थीं।
- CSO के अनुसार, महँगाई दर में कमी का कारण दालों, सब्जियों तथा चीनी जैसे खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI)

- किसी अर्थव्यवस्था के उपभोग व्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत परिवर्तन का आकलन करने वाली व्यापक माप को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है।
- इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें खुदरा मूल्य के रूप में ली जाती हैं।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिससे उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।
- इसे मासिक आधार पर ज़ारी किया जाता है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिये आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित महँगाई दर

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अगस्त 2018 के लिये उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI) पर आधारित महँगाई दर के आँकड़े भी जारी किये।
- इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिये CFPI आधारित महँगाई दर 1.22 फीसदी (अनंतिम) रही, जो अगस्त 2017 में 1.38 फीसदी थी।
- इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिये CFPI आधारित महँगाई दर अगस्त 2018 में (-) 1.21 फीसदी (अनंतिम) आँकी गई, जो अगस्त 2017 में 1.67 फीसदी थी।
- ये दरें जुलाई 2018 में क्रमश: 2.18 तथा (-) 0.36 फीसदी (अंतिम) थीं।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) को देश की आबादी द्वारा उपभोग किये गए खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है।
- CFPI के तहत ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय आधार पर खाद्य मूल्य स्तर में आने वाले परिवर्तन की जानकारी दी जाती है।
- CFPI का आधार वर्ष 2012 है।

शहरी तथा ग्रामीण दोनों के लिये समग्र आँकड़े

- यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर किया जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित महँगाई दर अगस्त 2018 में 3.69 फीसदी (अनंतिम) आँकी गई है, जो अगस्त 2017 में 3.28 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, CPI पर आधारित महँगाई दर जुलाई 2018 में 4.17 फीसदी (अंतिम) थी।

नोट :

- इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) पर आधारित महँगाई दर अगस्त 2018 में 0.29 फीसदी (अनंतिम) रही है, जो अगस्त 2017 में 1.52 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, CFPI पर आधारित महँगाई दर जुलाई 2018 में 1.30 फीसदी (अंतिम) थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जुलाई 2018

- CSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में जुलाई 2018 के दौरान 6.6% की वृद्धि हुई।
- जुलाई 2017 की तुलना में IIP में केवल 1% की वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है यह IIP जून 2018 की IIP 6.8% से कम थी।
- जुलाई में विनिर्माण क्षेत्र में 7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ क्षेत्र में 14.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह, समीक्षाधीन माह के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 3% की वृद्धि हुई।
- उद्योगों के संदर्भ में, विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 20 ने जुलाई 2018 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, जिसमें 'फर्नीचर निर्माण' श्रेणी में 42.7% की उच्च वृद्धि के साथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों के निर्माण में 30.8% और तंबाकू उत्पादों के निर्माण की श्रेणी में 28.4% की वृद्धि हुई।
- 'पेपर और पेपर उत्पादों का निर्माण' एवं 'रिकॉर्डिंग मीडिया के मुद्रण और प्रसारण' जैसे उद्योग समूहों ने क्रमशः 2.7% और 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के लिये संवृद्धि (growth) का विवरण प्रस्तुत करता है।
- 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। इन एजेंसियों में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग को शामिल किया जाता है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी किया जाने वाला यह सूचकांक किसी चयनित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- CSO ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले सूचकांकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये IIP हेतु आधार वर्ष को 2004-05 के बदले 2011-12 कर दिया।

किसानों के पास बचत या निवेश हेतु नकद की कमी : NAFIS

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2016-17 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 में भारत में 10 ग्रामीण परिवारों में से एक के पास कोई निवेश योग्य अधिशेष नहीं था। सर्वेक्षण के मुताबिक लोगों ने भौतिक संपत्तियों में काफी हद तक निवेश किया है, लेकिन वित्तीय प्रपत्रों में यह निवेश 3% से भी कम था।

सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण परिवारों के आधे से अधिक (51%) ने वर्ष 2015-16 दौरान कुछ पैसे बचाए और केवल 2.3% परिवारों ने सावधि जमा या दीर्घकालिक बैंक जमा के रूप में पैसा निवेश किया है।
- साथ ही वर्ष 2015-16 में 10% से भी कम ग्रामीण परिवारों ने कोई निवेश किया।
- बैंक जमा के रूप में निवेश बहुत कम है और इससे पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों के पास दीर्घकालिक निवेश हेतु वित्त नहीं है।
- NAFIS रिपोर्ट में उल्लेखित है कि "कम आय के बावजूद कुछ व्यक्तियों ने बचत की है, जो उन्हें आकस्मिकताओं और कठिन परिस्थितियों से जूझने में मदद देगी।"

नोट :

- सबसे छोटी जोत की भूमि रखने वाले वे कृषक वर्ग, जिन्होंने निवेश किया, उनके द्वारा लगभग आधी राशि बैंक में या डाकघर में जमा की गई थी।
- गौरतलब है कि यह डेटा केवल उन घरों से संबंधित है जो निवेश करते हैं और इसलिये यह डेटा भूमि वर्ग, विशेष रूप से छोटे भूमि मालिकों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्त्व नहीं करता है।
- इसके अलावा, इस सर्वेक्षण के परिणामों की सावधानी के साथ व्याख्या किया जाना चाहिये क्योंकि हाल के वर्षों में इस वर्ग द्वारा सूखे के कारण सबसे खराब स्थिति का सामना भी किया गया था।
- सर्वेक्षण के मुताबिक केवल बैंक खातों तक पहुँच ही उच्च बचत या निवेश का कारण नहीं हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में 10 ग्रामीण घरों में से नौ के बैंक खाता होने की सूचना दी गई थी, जबकि बैंक में धन जमा करने वालों में केवल एक अधिसूचित अल्पसंख्यक निवेश करता है।
- इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ऋण के लिये अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है।
- सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग एक-तिहाई (32%) ग्रामीण परिवार, जिन्होंने कोई ऋण लिया है, गैर-संस्थागत स्रोतों के माध्यम से लिया, जबकि 9% ने औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा किया।
- इस प्रकार वर्ष 2015-16 में उधार लेने वाले 41% ग्रामीण परिवारों ने अनौपचारिक स्रोतों जैसे - उधारकर्त्ताओं, स्थानीय मकान मालिकों, दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (ALDLS) के अनुसार, यह आँकड़ा 60% ग्रामीण परिवारों से कम है, जिन्होंने 2012 में अनौपचारिक उधारदाताओं को ऋणी होने की सूचना दी थी।
- सर्वेक्षण के मुताबिक, छोटे भूमि मालिकों की औपचारिक क्रेडिट तक पहुँच अभी भी एक चुनौती है।
- अत: इस सर्वेक्षण के नतीज़े बताते हैं कि अधिक भूमि मालिकों की अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर औपचारिक क्रेडिट तक पहुँच है, जिससे ग्रामीण इलाकों में असमानता कायम रखती है।
- साथ ही बड़े भूमि मालिक उत्पादक संपत्तियों जैसे - कृषि उपकरण या पशुधन में अधिक निवेश करने में सक्षम हैं और अपनी आय में आगे बढ़ रहे हैं।

पीएसबी द्वारा जब्त संपत्तियों के लिये प्रस्तावित एक साझा ई-नीलामी मंच

चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कहा है कि वे विभिन्न चूककर्त्ताओं से जब्त संपत्तियों की नीलामी हेतु एक साझा मंच स्थापित करें। जब्त की गई संपत्तियों के लिये साझा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के इस वर्ष परिचालित होने की उम्मीद है।

क्या है योजना ?

- ऐसी संपत्तियों हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक "ई-नीलामी बाज़ार" बोली लगाने वालों के लिये एक अच्छा आधार और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।
- मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित बैंकों से भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मंच को सुविधाजनक बनाने के लिये अपनी वेबसाइटों को फिर से डिज़ाइन करने के लिये कहा है।
- योजना के अनुसार, संपत्तियों का विवरण, उनकी तस्वीरें, संपत्ति शीर्षक, नीलामी राशि और अन्य सूचनाएँ इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी और इसका उपयोग संभावित बोली लगाने वालों द्वारा किया जा सकेगा।

क्यों है एक साझा मंच की आवश्यकता ?

- वर्तमान में कई राज्य संचालित बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत देश भर में जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी करते हैं। हालाँकि, नीलामी के समय बैंक अधिक संख्या में बोली लगाने वालों को आमंत्रित नहीं कर पाते हैं और बोली लगाने वालों के बीच व्यावसायिक समूहन होने के जोखिम का भी सामना करते हैं, जो कि जान-बूझकर कीमतें कम करवाने का प्रयास करते हैं।

नोट :

- बिक्री योग्य संपत्तियों के डेटाबेस डिज़ाइन में कोई समानता नहीं है और नीलामी की जानकारी राज्य संचालित बैंकों की वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य संचालित बैंक नीलामी के लिये अपनी लागत स्वयं वहन करता है।

बैंक कैसे लाभान्वित होंगे ?

- इस मंच के द्वारा संपत्तियों के लिये बैंकों को बेहतर मूल्य मिलेगा। बोली लगाने वालों के द्वारा इन संपत्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त होने के कारण यह ऐसी संपत्तियों की नीलामी में बोली लगाने वालों की निम्न स्तर की रुचि में सुधार करेगा।
- इस मंच के माध्यम से बैंक संभावित बोली लगाने वालों की बड़ी संख्या तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे। यह बड़े पैमाने पर मितव्ययता के माध्यम से नीलामी वाली संपत्तियों की लागत में कटौती कर सकता है।
- वर्तमान में यदि नीलामी की घोषणा पर कमज़ोर प्रतिक्रिया प्रदर्शित होती है, तो बैंकों को नीलामी की हर बोली के साथ आरक्षित मूल्य में कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। साझा मंच उपलब्ध होने से इसका समाधान हो जाएगा।

कौन से अन्य उपाय वसूली में सुधार कर सकते हैं ?

- कई बैंकों ने तनावग्रस्त संपत्तियों के लिये कार्यक्षेत्र स्थापित किये हैं। दिवालिया अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई के बावजूद, अपनी फर्मों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिये ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे प्रमोटरों के प्रति बैंक आशान्वित रहते हैं।
- ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में दायर मामलों के लिये न्यूनतम ऋण डिफ़ॉल्ट सीमा 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का केंद्र का प्रयास और डीआरटी प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरित करने से संबंधित मसले को हल करने से इसमें मदद मिलेगी। यह बैंकों के लिये उच्च मूल्य वाले मामलों में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करेगा।

रुपए की कीमतों में स्थिरता लाने और चालू खाता घाटे को रोकने के लिये उपायों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने पाँच उपायों वाली एक श्रृंखला की घोषणा की है जिसका लक्ष्य रुपये की कीमत में स्थिरता लाना और चालू खाता घाटा जो कि जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% तक पहुँच गया था, में कमी लाना है।

सरकार द्वारा घोषित पाँच उपाय

1. गैर-आवश्यक आयात में कमी : चालू खाता घाटा (जो अगस्त में 17.4 बिलियन डॉलर था) को कम करने के लिये सरकार गैर-आवश्यक सामानों के आयात में कमी लाने का प्रयास करेगी।
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगे प्रतिबंधो की समीक्षा : कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार में अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिये सरकार उनके निवेश पर लगे निम्नलिखित दो प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी:
   - एक कॉर्पोरेट इकाई में FPI द्वारा किया जाने वाला निवेश उनके कॉर्पोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियो के 20% से अधिक नहीं हो सकता है।
   - FPI जारी किये गए किसी भी कॉर्पोरेट बॉण्ड में 50% से अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं।
3. मसाला बॉण्ड जारी करने वाले बैंकों से हटाए जाएंगे प्रतिबंध : भारतीय निगमों को मसाला बॉण्ड की खरीद में वृद्धि करने के लिये सरकार 31 मार्च, 2019 तक मसाला बॉण्ड जारी करने वाले सभी बैंकों को छूट प्रदान करेगी।
   - मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी किये गए बॉण्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है।
   - डॉलर बॉण्ड के विपरीत (जहाँ उधारकर्त्ता को मुद्रा जोखिम उठाना पड़ता है) मसाला बॉण्ड में निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है।
   - नवंबर 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉण्ड जारी किया गया था।
4. विनिर्माण कंपनियों को 5 करोड़ डॉलर तक की ईसीबी को एक्सेस करने की अनुमति : ECB के माध्यम से 50 मिलियन डॉलर तक की उधार लेने वाली विनिर्माण कंपनियाँ केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसा करने में सक्षम होंगी। उल्लेखनीय है कि पहले यह अनुमति तीन साल की अवधि के लिये थी।

नोट :

5. बाह्य वाणिज्यिक उधार के संदर्भ में आधारभूत संरचना ऋण हेतु अनिवार्य हेजिंग शर्तों की समीक्षा : बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing- ECB) मार्ग के माध्यम से आधारभूत संरचना ऋण के लिये अनिवार्य हेजिंग (वित्तीय हानि से बचाव) स्थितियों की समीक्षा की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इन ऋणों को संभालने के लिये उधारकर्त्ताओं पर कोई बाध्यता नहीं है।

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

चर्चा में क्यों

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ "डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष" की शुरुआत की है। इस कोष की शुरुआत डेयरी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सरकार के अनुमान के मुताबिक डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष से 50 हज़ार गाँवों में 95 लाख दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे।
- इस योजना से प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, 210 टन दूध को सुखाने की दैनिक क्षमता, प्रतिदिन 140 लाख लीटर दुग्ध अवशीतन की क्षमता का सृजन होगा।
- डेयरी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये तैयार किये गए डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष(डीआईडीएफ) के तहत एनडीडीबी को 440 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी जिसकी भरपाई 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी। इस ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है।
- सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया है।
- अब तक 1148 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 15 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- इन स्वीकृत परियोजनाओं में कर्नाटक (776.39 करोड़ रुपए की 5 उप- परियोजनाएँ), पंजाब (318.01 करोड़ रुपए की 4 उप-परियोजनाएँ) और हरियाणा (54.21 करोड़ रुपए की 6 उप-परियोजनाएँ) शामिल हैं।

स्थानांतरित कृषि पर स्पष्ट नीति हेतु नीति आयोग की पहल

चर्चा में क्यों ?

विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि पर हाल ही में नीति आयोग के प्रकाशन मंन सिफारिश की गई है कि कृषि मंत्रालय को अंतर-मंत्रालयी अभिसरण सुनिश्चित करने के लिये "स्थानांतरित कृषि पर मिशन" के लिये प्रयास करना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- 'स्थानांतरित कृषि पर मिशन: एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की ओर' नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि "केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभागों, कृषि तथा संबद्ध विभागों का अक्सर स्थानांतरित कृषि के लिये अलग-अलग दृष्टिकोण होता है और यह ज़मीनी स्तर के श्रमिकों और झूम कृषकों के बीच भ्रम पैदा करता है।"
- समेकित नीति की मांग करने वाले इस दस्तावेज़ के अनुसार, स्थानांतरित कृषि के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि को "कृषि भूमि" के रूप में पहचाना जाना चाहिये जहाँ किसान जंगल भूमि की बजाय खाद्य उत्पादन के लिये कृषि-वानिकी का अभ्यास करते हैं।

कम होता क्षेत्र

- स्थानीय तौर पर झूम खेती के रूप में प्रचलित इस प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त जनसंख्या के लिये खाद्य उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है।

नोट :

- इस प्रकाशन में कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2010 के बीच स्थानांतरित कृषि के तहत भूमि मंद 70% की कमी आई। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक -2014 में प्रकाशित भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के आँकड़ों का उल्लेख करती है। इसके अनुसार, वर्ष 2000 में 35,142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र झूम कृषि के तहत था जो वर्ष 2010 में कम होकर 10,306 वर्ग किलोमीटर रह गया।
- इन आँकड़ों की सत्यता और बेहतर डेटा संग्रह की पुष्टि करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है, "वेस्टलैंड एटलस मैप दो वर्षों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि में 16,18 वर्ग किमी की तुलना में 8,771.62 वर्ग किमी तक की कमी प्रदर्शित करता है।"

खाद्य सुरक्षा

- स्थानांतरित कृषि प्रणाली अपनाने वाले समुदायों की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है। जबकि स्थानांतरित कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, यह परिवारों को पर्याप्त नकदी प्रदान नहीं करती है और इस प्रकार वे नियमित कृषि, विशेष रूप से बागवानी की ओर रूख कर रहे हैं। मनरेगा ने भी स्थानांतरित कृषि पर लोगों की बढ़ती निर्भरता को कम करने में प्रभाव डाला है।
- अनाज और अन्य बुनियादी खाद्य पदार्थों तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को विस्तारित करके संक्रमण और परिवर्तन के दौरान झूम कृषि में शामिल समुदायों के खाद्य और पोषण सुरक्षा के मुद्दे पर भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "यह कार्य पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से स्थापित और अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों के संघों को स्थापित करके किया जा सकता है।"
- पहले झूम कृषक परती भूमि पर 10-12 साल बाद लौटते थे, अब वे 3-5 साल में लौट रहे हैं। इसने मिट्टी की गुणवत्ता पर असर डाला है।
- इस प्रकाशन ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानांतरित कृषि की परती भूमि को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिये और इसे परती पुनरुद्धार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये तथा साख सुविधाओं को उन लोगों तक विस्तारित किया जाना चाहिये जो कि स्थानांतरित कृषि करते हैं।

स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्या है ?

- झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है इसके बाद साफ की गई भूमि की पुराने उपकरणों (लकड़ी के हलों आदि) से जुताई करके बीज बो दिये जाते हैं। फसल पूर्णत: प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है।
- कुछ वर्षों (प्राय: दो या तीन वर्ष) तक जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुन: पेड़-पौधे उग आते हैं। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिये नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि स्थानानंतरणशील कृषि है, जिसमें थोड़े-थोड़े समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं।

सरकार ने तीन सार्वजनिक बैंकों के विलय का लिया फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बड़े बैंकों देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा विजया बैंक के विलय का फैसला लिया। इन बैंकों के विलय के साथ ही देश का तीसरा बड़ा बैंक अस्तित्व में आ जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सरकार के इस फैसले का उद्देश्य एक ऐसे बड़े बैंक की स्थापना करना है जो टिकाऊ हो तथा उसकी ऋण क्षमता बहुत अधिक हो।
- यह निर्णय एक वैकल्पिक तंत्र जिसका गठन सरकार ने अक्तूबर, 2017 में राज्य संचालित बैंकों के विलय संबंधी प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान करने के लिये किया था, की बैठक में लिया गया।
- अनुमानत: इन बैंकों का संयुक्त व्यापार 14.82 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- यह निर्णय बैंकों की क़र्ज़ देने की क्षमता बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

नोट :

- विलय के बाद भी ये बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि देना बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे के तहत ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है, शेष दो बैंकों में से केवल विजया बैंक ने 2017-18 में लाभ प्रदर्शित किया था।

पूर्व में भी हुआ बैंकों का विलय

- वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पाँच अनुषंगी (subsidiary) इकाइयों का स्वयं में विलय किया था इसके अलावा, महिलाओं के लिये गठित भारतीय महिला बैंक का भी विलय किया गया था।

विलय प्रक्रिया

- इस विलय प्रस्ताव को पहले तीनों बैंकों के निदेशकों से मंज़ूरी मिलना आवश्यक है।
- निदेशकों की मंज़ूरी के बाद सरकार इन बैंकों के एकीकरण की संपूर्ण योजना तैयार करेगी।
- सरकार द्वारा तैयार योजना को सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल और उसके बाद संसद की मंज़ूरी मिलना आवश्यक है।

विलय से होने वाले लाभ

- वित्त मंत्रालय के अनुसार, विलय से ये बैंक मज़बूत होंगे तथा इनकी क़र्ज़ देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- बैंकों की संख्या कम होगी और उन्हें बेहतर तरीके से पूंजी उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप ये बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे।
- परिचालन दक्षता और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा बेहतर होगी।

इन तीन बैंकों का ही चयन क्यों किया गया ?

- इन तीन बैंकों को विलय के लिये चुने जाने के पीछे निहित कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि ये तीनों बैंक एक ही कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों और बैक-एंड का विलय करने के कार्य को अपेक्षाकृत आसान बनाता है।

आगे की राह

- तीनों बैंकों में से प्रत्येक के व्यक्तिगत बोर्ड को इस विलय को मंज़ूरी देनी होगी। यह भी देखना होगा कि क्या यह विलय बैड लोन के भारी दबाव को खत्म करने में प्रभावी होगा जो वर्तमान में लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में कमी को दर्शाता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जो NPA या बैड लोन की समस्या से ग्रस्त हैं) के लिये समान रणनीति का विस्तार करेगी।

सेबी के नए मानदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात (Total Expense Ratio- TER) को कम करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors- FPIs) के लिये KYC (know your Client) की आवश्यकताओं पर एच.आर. खान समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- सेबी ने अप्रैल में जारी परिपत्र में संशोधन करने के लिये सहमति व्यक्त की है और नया परिपत्र जारी करने का फैसला किया है जो खान समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।
- कुल व्यय अनुपात को कम करने के फैसले से निवेशकों के लिये म्युचुअल फंड में निवेश करना पहले की तुलना में कम महँगा होगा।

नोट :

- एक और बड़े फैसले में, नियामक ने ओपन एंडेड इक्विटी स्कीमों के लिये अधिकतम व्यय अनुपात 1.05% निश्चित कर दिया है जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति (Assets Under Management- AUM) का मूल्य 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- वर्तमान में, 300 करोड़ रुपये से अधिक AUM वाली योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात 1.75% है।
- इसके अलावा, योजना के AUM के आधार पर सेबी ने व्यय अनुपात के रूप में 1.05% से 2.25% की राशि निर्धारित की है। इससे पहले यह सीमा 1.75% से 2.5% थी।

अतिरिक्त व्यय अनुपात में कमी

- हालाँकि नियामक ने शीर्ष 30 शहरों से खुदरा प्रवाह के लिये 30 आधार अंकों के अतिरिक्त व्यय अनुपात को अनुमति दी है लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निगमों और संस्थानों द्वारा किये जाने वाले प्रवाह के लिये अतिरिक्त खर्च की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नियामक के अनुसार व्यय अनुपात कम होने से निवेशकों को कमीशन में 1300 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमन 2018

- नियामक ने सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमन 2018 तैयार किया है, जो उन अपराधों पर प्रतिबंध लगाता है जिनका प्रभाव बाजारव्यापी हो, निवेशकों को नुकसान पहुँचाता हो या बाज़ार की अखंडता को प्रभावित करता हो तथा सहमति मार्ग के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है।
- सेबी का मानना है कि हालाँकि अंदरूनी व्यापार या फ्रंट रनिंग जैसे गंभीर अपराधों को सहमति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है फिर भी नियामक इस तरह के मामलों पर निर्णय लेने के दौरान सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करेगा।
- इस बीच, नियामक किसी भी कार्यवाही को नहीं रोकेगा जिसमें आवेदक एक विलफुल डिफाल्टर है या यदि उसी अपराध के लिये पहले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो।

बांध पुन:स्थापन और सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति (CCEA) ने 3466 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर बांध पुन:स्थापन और सुधार परियोजना (DRIP) के संशोधित लागत अनुमान को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 198 बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार तथा व्यापक प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थागत मज़बूती के लिये इस परियोजना में विश्व बैंक वित्तीय सहायता देगा।
- 3466 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 2628 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा और 747 करोड़ रुपए डीआरआईपी राज्य/क्रियान्वयन एजेंसियाँ और शेष 91 करोड़ रुपए केंद्रीय जल आयोग देगा।
- CCEA ने पूर्व प्रभाव से इस परियोजना के लिये 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक दो वर्षों के समय विस्तार की स्वीकृति भी दी है।

प्रभाव

- यह परियोजना चयनित वर्तमान बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार लाएगी तथा जोखिम को कम कर निचले इलाकों की आबादी और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- इस परियोजना से प्राथमिक रूप में जलाशय पर निर्भर शहरी और ग्रामीण समुदाय तथा निचले इलाके के समुदाय लाभान्वित होंगे। निचले इलाकों में रहने वाले लोग बांध के विफल होने या संचालन विफलता के कारण सर्वाधिक जोखिम में रहते हैं।
- संस्थागत व्यवस्था को मज़बूत बनाकर बांध सुरक्षा संगठनों को और अधिक कारगर बनाया जाएगा ताकि बांध ढाँचागत दृष्टि से मज़बूत हों और कर्मचारियों तथा अधिकारियों की क्षमता सृजन के साथ संचालन की दृष्टि से भी मज़बूत हों।

नोट :

उद्देश्य

1. घटक - I बांध तथा इसके आस-पास के ढाँचों का पुन:स्थापन।
2. घटक - II संस्थागत मज़बूती।
3. घटक - III परियोजना प्रबंधन।

- इस योजना में 198 बांध परियोजनाओं के पुन:स्थापन का प्रावधान है। ये परियोजनाएँ भारत के 7 राज्यों– केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड (दामोदर घाटी निगम) तथा उत्तराखंड (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.) में स्थित हैं।

क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक और संशोधित लागत के साथ बांधों की संख्या इस प्रकार दी गई है:-

पृष्ठभूमि

- मूल रूप से DRIP की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी जिसमें राज्य का हिस्सा 1968 करोड़ रुपए और केंद्र का हिस्सा 132 करोड़ रूपए था।
- प्रारंभ में यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि के लिये थी। यह 18 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ हुई और इसकी समाप्ति अवधि 30 जून, 2018 थी।
- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में सैद्धांतिक रूप से परियोजना क्रियान्वयन को दो वर्षों का विस्तार देते हुए परियोजना समाप्ति की संशोधित तिथि को 30 जून, 2020 कर दिया गया।

रुपए को बचाने के लिये एनआरआई बॉण्ड जारी करने का विकल्प

चर्चा में क्यों ?

विगत कुछ समय से जारी रुपए के मूल्य में तेज गिरावट से इस अनुमान को बल मिला है कि भारतीय रिज़र्व बैंक देश में डॉलर के निवेश को आकर्षित करने में मदद के लिये 30-35 अरब डॉलर के एनआरआई बॉण्ड जारी करने का विकल्प चुन सकता है।

प्रमुख बिंदु

- इस बॉण्ड को जारी करने का उद्देश्य भारतीय मुद्रा को मज़बूती प्रदान करने के लिये अनिवासी भारतीयों से धन एकत्र करना है।
- इस वर्ष की शुरुआत के बाद से रुपए में 7% की गिरावट दो कारणों से हुई है। एक तरफ, भारत के पूंजी बाज़ारों से पूंजी बाहर जा रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने वर्ष की पहली छमाही में 47,836 करोड़ रुपए भारतीय पूंजी बाज़ार से निकाल लिये जो कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सर्वाधिक है।
- दूसरी तरफ, भारतीय निर्यातों की मांग में कमी आई है, जबकि कच्चे तेल जैसी वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष जुलाई माह में भारत का चालू खाता घाटा पाँच वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
- इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव ने डॉलर की मांग में वृद्धि की है, इस प्रकार रुपए के मूल्य में गिरावट आई है।

क्या यह बॉण्ड रुपए को बचा सकता है ?

- एनआरआई बॉण्ड सैद्धांतिक रूप से रुपए की मांग में वृद्धि करने और डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।
- हालाँकि, रुपए पर इन बॉण्ड्स का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अनिवासी भारतीयों के लिये कितने आकर्षक हैं। वर्ष 2013 में जब यू.एस. फेडरल रिज़र्व के अपने बॉण्ड-खरीद कार्यक्रम को कम करने के फैसले के बाद रुपए में केवल चार महीने में 25% की गिरावट देखी गई, तो भारतीय रिज़र्व बैंक 30 बिलियन डॉलर से अधिक विदेशी पूंजी इकट्ठा करने में सक्षम रहा।
- उल्लेखनीय है कि रुपए की गिरावट को रोकने में मदद के लिये वर्ष 1998 और वर्ष 2000 में भी एनआरआई बॉण्ड जारी किये गए थे। हालाँकि ये बॉण्ड अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके रुपए को अस्थायी रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे उन मूल आर्थिक मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते हैं जो रुपए के पतन का वास्तविक कारण हैं।
- जब तक आरबीआई घरेलू मुद्रास्फीति पर लगाम नहीं लगाता और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने तथा आयात को रोकने के लिये कदम नहीं उठाती है, तब तक एनआरआई बॉण्ड जारी करने जैसे आपातकालीन उपाय रुपए को केवल अस्थायी राहत ही प्रदान कर सकते हैं।

नोट :

एनआरआई बॉण्ड क्या है ?

- ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों को जारी किये गए बॉण्ड हैं जो भारत में अपना पैसा निवेश करने में रुचि रखते हैं।
- चूँकि ये बॉण्ड अन्य समान निवेशों की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं, इसलिये इन्हें उस समय के दौरान पूंजी आकर्षित करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है जब अन्य घरेलू संपत्तियाँ विदेशी निवेशकों की रुचि को आकर्षित करने में विफल रहती हैं।
- कई निवेशक इन्हें एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं क्योंकि ये बॉण्ड भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।

सरकारी पैनल ने कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के कायापलट की सिफारिश की

चर्चा में क्यों

13 अप्रैल, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी दलवाई समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। गौरतलब है कि अशोक दलवाई समिति का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति की सिफारिश करना था।

रिपोर्ट में उल्लेखित मुख्य बिंदु

- समिति ने सिफारिश के मसौदे पर अब तक कुल 13 खंड प्रस्तुत किये हैं।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु सरकार को सप्लाई-पुश उत्पादन प्रणाली की जगह डिमांड-लेड उत्पादन प्रणाली को अपनाते हुए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का कायापलट करना चाहिये।
- किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अपनाई गई रणनीति पर निगरानी रखने के लिये कृषि मंत्रालय को एक 'सशक्त समिति' की स्थापना करनी चाहिये।
- पूरे भारत में किसानों के बीच पनपते असंतोष, आक्रोश और बेचैनी तथा प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में ये सिफारिशें आई हैं।
- समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है, "अब समय आ चुका है कि कृषि को उद्यम के रूप में देखा जाए।"
- इस रिपोर्ट ने यह भी सुझाया है कि उत्पादन प्रणाली का पुनर्गठन बाज़ार के नज़रिये से किया जाना चाहिये। इसमें गेहूँ और चावल जैसे साधारण अनाजों के उत्पादन की जगह पोषक तत्त्व युक्त अनाजों, दुग्धालय, पशुधन और मत्स्यपालन पर ज़ोर दिया गया है।
- इस रिपोर्ट में कृषि में प्रयुक्त होने वाले जल के प्रबंधन पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया है। प्रतिवर्ष 20-25 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरीगेशन के तहत लाया जाएगा और जलवायु आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

अशोक दलवाई समिति

- 13 अप्रैल, 2016 को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।
- इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य।
- इस सामरिक ढाँचे को लेकर चार चिंताएँ भी थीं, जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुन: मज़बूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी ज़ोर दिया गया था, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2002-03 से 2012-13 और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रतिवर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई।

नोट :

मुद्रा लोन और ऋण जोखिम

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि कॉर्पोरेट ऋण के कारण उत्पन्न होने वाली गैर-निष्पादित संपत्तियाँ (Non-Performing Assets- NPA) मौजूदा समय में एक समस्या है और सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये।

रघुराम राजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार :

- मुद्रा (MUDRA) लोन, ऋण जोखिम के संभावित कारणों में से एक है। इसके अलावा सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी क्रेडिट लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऋणों में दी जाने वाली छूट की संस्कृति भी ऋण जोखिम का कारण बनती है।
- कभी-कभी क्रेडिट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उचित प्रक्रियाओं को छोड़ दिया जाता है जो भविष्य में NPA जैसी स्थिति का कारण बनता है।
- MUDRA लोन और किसान क्रेडिट कार्ड दोनों ही लोकप्रिय ऋण हैं लेकिन सरकार को इनके कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम के बारे में अधिक बारीकी से जाँच करने की आवश्यकता है।
- MSME के लिये सिडबी द्वारा संचालित क्रेडिट गारंटी योजना एक बढ़ती आकस्मिक देयता है और इसकी भी तत्काल जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

मुद्रा (MUDRA) क्या है ?

- 'मुद्रा' अर्थात् माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (Micro Units Development & Refinance Agency-MUDRA) की शुरुआत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 8 अप्रैल, 2015 को की गई थी।
- इसका उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस को आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है जो पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों, छोटे विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फल और सब्जी विक्रेताओं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों को लक्षित करने, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, कारीगरों और खाद्य उत्पादकों को आय सृजित करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है।

क्या पुनर्भुगतान एक चुनौती है ?

- योजना के आलोचकों का कहना है कि ऋण को प्राधिकृत करने और वितरित करते समय बहुत सी सर्वोत्तम प्रथाओं की उपेक्षा की गई है।
- इस साल की शुरुआत में ही सीबीआई ने 65 लाख रुपए मूल्य के 26 मुद्रा ऋणों मंज़ूर करने और वितरित करने में आधिकारिक स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिये पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
- भले ही व्यवसायियों विकास के नाम पर ऋण की मांग की जाती है और बैंकरों द्वारा यह जानते हुए भी कि उन लोगों द्वारा किया जाने वाला पुनर्भुगतान एक चुनौती है, आर्थिक विकास के नाम पर उनके ऋण को मंज़ूरी दे दी जाती है। इस प्रकार पुनर्भुगतान की समस्या बनी रहती है।
- यह योजना उन लोगों के लिये है, जिन्हें कम धनराशि के ऋण की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे फंडों तक वे नहीं पहुँच पाते है, क्योंकि समस्या यह होती है कि ऐसे उधारकर्त्ताओं के कारोबार की प्रकृति अस्थिर होती है और उनके व्यापार का वार्षिक चक्र अतिसंवेदनशील होता है जैसे- सब्जी विक्रेता। अत: उन्हें दिये गए ऋण की वसूली कर पाना आसान नहीं होता।
- जब संग्रह की बात आती है तो बैंक कर्मचारी 10 लाख रुपए के ऋण की वसूली के लिये एक लाख रुपए वाले 10 ऋण के स्थान पर 10 लाख रुपए का एक बकाया वसूलने का विकल्प चुनते हैं।

ऋण का औसत आकार

- मुद्रा योजना के तहत ऋण को तीन स्तरों पर वितरित किया जाता है जिसकी सीमा 50,000 रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक होती है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सभी तीन स्तरों के तहत लगभग 4.81 करोड़ PMMY ऋणों के लिये 2.53 लाख करोड़ रुपए का ऋण मंज़ूर किया गया था।

नोट :

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत ऋण की औसत राशि 52,706 रुपए थी।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, उसने वित्त वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 28,556 करोड़ रुपए का ऋण दिया।
- इस योजना से उत्पन्न गैर-निष्पादित संपत्ति भारत के सबसे बड़े बैंक के लिये लगभग 5.2% है।
- PMMY को समर्पित वेबसाइट से संबंधित ऋणों की मात्रा या संग्रह के ब्योरे का कोई संकेत नहीं मिलता है।
- सरकार के अनुसार, 2015 में अपनी स्थापना के बाद से मुद्रा योजना के तहत लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों को कुल 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया था।
- इनमें से 3.25 करोड़ उद्यमी ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम शुरू किया हो और 9 करोड़ उधारकर्त्ता महिलाएँ थीं।

ओडिशा ने खाद्य और खरीद नीति में किया बदलाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने खरीफ विपणन सीज़न (KMS) 2018-19 के लिये खाद्य और खरीद नीति के मानदंडों में बदलाव करते हुए खरीद के दायरे में और अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों तथा बटाईदारों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के अनुसार, धान के विपणन योग्य अधिशेष की गणना के लिये किसान के परिवार में प्रति सदस्य धान के तीन क्विंटल की दर से व्यक्तिगत खपत की आवश्यकता में कटौती करने की पिछली प्रथा को KMS 2018-19 से छूट प्रदान की गई है।
- आगामी KMS के दौरान धान और चावल की खरीद के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से KMS 2019 के लिये खाद्य और खरीद नीति को मंज़ूरी देने हेतु कैबिनेट ने यह फैसला किया कि धान की खरीफ फसल की खरीद नवंबर 2018 और अप्रैल 2019 के बीच की जाएगी।
- धान की रबी फसल की खरीद मई से जून 2019 तक की जाएगी।
- कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, किसानों से 55 लाख टन धान खरीदने का एक प्रायोगिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो चावल के मामले में लगभग 37 लाख टन होगा।
- खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री को आवश्यकता अनुसार लक्ष्य को संशोधित करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- किसानों को केंद्र सरकार द्वारा तय धान की आम किस्म के लिये 1,750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए किस्म के लिये 1,770 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान किया जाएगा।
- धन का भुगतान खरीद के तीन दिनों के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन

- 23 लाख टन खरीदा गया चावल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपलब्ध कराया जाएगा, शेष 14 लाख टन चावल केंद्र के साथ किये गए समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (FCI) अन्य राज्यों को प्रदान करेगा।
- पिछले वर्ष की भाँति सभी 308 खरीद ब्लॉकों में धान खरीद प्रक्रिया धान खरीद स्वचालन प्रणाली (P-PAS) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- प्रक्रिया को व्यवधान मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिये धान खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज़ P-PAS सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा तैयार किये जाएंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।

नोट :

- जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार- रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक के बाद वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services- DFS), वित्त मंत्रालय एक वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा जो औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हैं, तक पहुँच और उनके उपयोग का एक मापक होगा।
- सूचकांक में तीन मापक आयाम होंगे-
  1. वित्तीय सेवाओं तक पहुँच
  2. वित्तीय सेवाओं का उपयोग
  3. गुणवत्ता।
- यह एकल समग्र सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर पर समष्टि नीति (Macro Policy) की योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा।
- इंडेक्स के विभिन्न घटक आंतरिक नीति बनाने के लिये वित्तीय सेवाओं के मापन में भी मदद करेंगे।
- वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग विकास संकेतकों में सीधे एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है।
- यह G20 देशों के वित्तीय समावेशन संकेतकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।
- यह शोधकर्त्ताओं को वित्तीय समावेशन और समष्टि अर्थव्यवस्था (macro economy) की अन्य परिवर्ती राशियों के प्रभाव का अध्ययन करने में भी सुविधा प्रदान करेगा।
- यह सूचकांक जनवरी, 2019 में जारी किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

- 'वित्तीय समावेशन' एक ऐसा मार्ग है जिस पर सरकारें आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करके उन्हें आगे बढाने का प्रयास करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित न रहे तथा उसे अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
- ऐसा करके गरीब आदमी को बचत करने एवं विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तथा उधार लेने की आवश्कता पड़ने पर वह उन्हीं औपचारिक माध्यमों से उधार भी ले सकता है।
- ऋण, भुगतान और धन-प्रेषण सुविधाएँ तथा मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों के लिये उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा आदि कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएँ हैं।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत में मोबाइल बैंकिंग का विस्तार
- बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेट (BC) योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना

नोट :

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

वित्तीय समावेशन के लाभ

आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल किये जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं।

- जहाँ एक ओर इससे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे - बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- वहीं दूसरी ओर, इससे देश को 'पूंजी निर्माण' की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है।
- इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा मिलता है।
- वित्तीय दृष्टि से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल लोग ऋण सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते हैं, फिर चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।
- वित्तीय समावेशन से सरकार को सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेरा-फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने की बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

वित्तीय समावेशन के अभाव में होने वाले नुकसान

- वित्तीय समावेशन का अभाव समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिये हानिकारक होता है। जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोग अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं, जहाँ ब्याज दरें अधिक होती हैं और प्राप्त होने वाली राशि काफी कम होती है।
- चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर है, अत: उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद का कानूनन निपटान नहीं किया जा सकता।

भारत में बेरोज़गारी की दर 20 वर्षों में सबसे अधिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत् रोज़गार केंद्र द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, तेज़ी से बढ़ रही बेरोज़गारी भारत के नीति निर्माताओं और प्रशासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

बेरोज़गारी में वृद्धि

- स्टेट ऑफ वर्किंग रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत में बेरोज़गारी के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, कई सालों तक 2-3% पर रुकी होने के बाद बेरोज़गारी दर 2015 में 5% तक पहुँच गई जिसमें युवा बेरोज़गारी सबसे अधिक 16% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बेरोज़गारी दर पिछले 20 सालों में सबसे अधिक है।

कम मज़दूरी है बेरोज़गारी का कारण

- नौकरियों में यह कमी निराशाजनक मज़दूरी दर के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 82% पुरुष और 92% महिला श्रमिक 10,000 रुपए से कम वेतन पाते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि देश के अधिकांश क्षेत्रों में मज़दूरी पिछले 15 वर्षों से सालाना 3% की मुद्रास्फीति समायोजित दर से बढ़ रही है, वहीं कामकाजी आबादी की अधिकांश संख्या ऐसी है जिन्हें सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन मिलता है।

बेरोज़गार विकास

- रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में देश ने शिक्षा क्षेत्रों में जो परिवर्तन किया है उसकी तुलना में सरकार नौकरियों का सृजन करने में असमर्थ रही है। रिपोर्ट में इसे 'बेरोज़गार विकास' (Jobless Growth) के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 10% की वृद्धि के परिणामस्वरूप रोज़गार में वृद्धि 1% से भी कम है।

नोट :

विभिन्न आधिकारिक सर्वेक्षणों का किया गया उपयोग

- यह रिपोर्ट विभिन्न आधिकारिक सर्वेक्षणों जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिये केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय और श्रम ब्यूरो के वार्षिक सर्वेक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय अध्ययनों जैसे स्रोतों का उपयोग कर श्रम और रोज़गार के मुद्दों के बारे में मात्रात्मक डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करती है।

रिपोर्ट का सकारात्मक पहलू

- इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक क्षेत्र है-विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों का सृजन। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों में समस्या यह है कि ये स्थायी होने की बजाय अधिक अनुबंध युक्त और प्रशिक्षु कार्य वाली थीं।
- रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले 30 वर्षों में श्रम उत्पादकता 6 गुना बढ़ी है। जबकि इस अवधि के दौरान प्रबंधन स्तर के वेतन में 3 गुना वृद्धि हुई, उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वालों के वेतन में केवल 1.5 गुना वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, विकास से नियोक्ताओं को श्रमिकों की तुलना में कहीं अधिक लाभ हुआ है।

जातिगत और लैंगिक असमानता का उच्च स्तर

- जातिगत और लैंगिक असमानता का स्तर उच्च पाया गया है। रिपोर्ट में उद्धृत कुछ आँकड़े ये दर्शाते हैं कि -
- सेवा क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 16% है लेकिन घरेलू श्रमिकों के मामले में इनकी संख्या कुल घरेलू श्रमिकों की संख्या का 60% है।
- इसी तरह, कुल श्रमिकों में अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 18.5%, लेकिन कुल चमड़ा श्रमिकों में इनका प्रतिनिधित्व 46% है।

भारत में जारी होने वाले पहले आरईआईटी का महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

दस साल तक कई परामर्श पत्र और नियमों में अनगिनत छूटों के बाद भारत में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (Real Estate Investment Trusts- REIT) अब एक वास्तविकता बनने के लिये तैयार है। पहली बार सूचीबद्ध एंबेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी, भारत में पहला आरईआईटी होगा।

आरईआईटी क्या है ?

- आरईआईटी एक ऐसा मंच है जो निवेशकों को कम मात्रा में प्रतिभूतीकृत अचल संपत्ति निवेश की अनुमति देता है। यह एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जो विभिन्न निवेशकों से एकत्र की गई पूंजी को एक स्थान पर संयोजित करता है।
- आरईआईटी के माध्यम से, लीज़ पर दी जाने वाली अचल संपत्तियों को कई हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें एक पत्र निवेश या प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है।
- आरईआईटी अचल संपत्ति में निवेश को अधिक सुलभ, दीर्घकालिक और आय उन्मुख बनाने में भी मदद करते हैं। वैश्विक स्तर पर दो प्रमुख प्रकार के आरईआईटी हैं: इक्विटी और बंधक।
- आरईआईटी को एक ट्रस्ट के रूप में विनियमित और प्रबंधित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इसका उत्तरदायित्व होगा कि निवेशक निधि का उपयोग कैसे किया जाए और इस निधि की लेखा परीक्षा की जा सकेगी।

क्या यह एक आरईआईटी लिस्टिंग के लिये अच्छा समय है ?

- भारत का आवासीय क्षेत्र पाँच वर्षों से अधिक समय से सुस्ती का सामना कर रहा है, लेकिन वाणिज्यिक कार्यालय के क्षेत्रक ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है।
- आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के सूचीकरण में निराशाजनक प्रतिक्रिया भी चिंता का कारण रही है। आरईआईटी के विपरीत, InvITs के पास परिसंपत्तियों का स्वामित्व नहीं होता है बल्कि केवल उन्हें संचालित करने के लिये लाइसेंस होता है और किसी प्रकार का अनुबंध संबंधी दायित्व नहीं होता है।
- विश्लेषकों का कहना है कि शीर्ष गुणवत्ता वाली संपत्ति और किरायेदार आधार तथा इसकी विकास क्षमता को देखते हुए एंबेसी-ब्लैकस्टोन आरईआईटी निवेशकों को आकर्षित करेगा।

नोट :

भारत में आरईआईटी में इतनी देर क्यों हुई ?

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2008 में इसके लिये मसौदा दिशा-निर्देश जारी किये, लेकिन वर्ष 2014 में उन्हें अधिसूचित किया गया। तब यह कहा गया कि आरईआईटी में अधिकतम तीन प्रायोजक होने चाहिये और उसमें किया जाने वाला निवेश तैयार हो चुकी आय अर्जक संपत्ति में आरईआईटी परिसंपत्तियों का कम-से-कम 80% होना चाहिये।
- 2016 के बजट ने आरईआईटी को लाभांश वितरण कर से छूट दी और उन्हें विदेशी निवेश की अनुमति दी।
- 2016 में, सेबी ने कहा कि आरईआईटी के निवेश प्रबंधकों को प्रस्तावित दस्तावेज़ों में कम-से-कम लगातार 3 वर्षों के लिये फंड के राजस्व, संपत्ति-आधारित ऑपरेटिंग कैश प्रवाह को दर्शाना चाहिये।
- 28 जुलाई, 2017 को एंबेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी सेबी के साथ पंजीकृत हुआ।

आरईआईटी लिस्टिंग के साथ एंबेसी पार्क का लक्ष्य कितना धन जुटाना है ?

- ब्लैकस्टोन समूह और एंबेसी समूह द्वारा सह-प्रायोजित एंबेसी ऑफिस पार्क, आरईआईटी में सूचीकरण के माध्यम से 5,250 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखता है।

भारत के वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र को आकार देने में ब्लैकस्टोन की क्या भूमिका है ?

- ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट भारत में 31 योजनाओं में 5.3 बिलियन डॉलर के निवेश के लिये प्रतिबद्ध है।
- इनमें से उसने 100 मिलियन वर्ग फुट की कार्यालयी संपत्तियों में 9 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसने इसे भारत में शीर्ष कार्यालयी स्थान (ऑफिस स्पेस) निवेशक बना दिया है।
- कंपनी ने 2007 में भारत में अपना रियल एस्टेट डिवीज़न खोला और 2008 में सिनर्जी संपत्ति विकास सेवाओं में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के साथ पहला लेन-देन किया। इसने 2011 में कार्यालय संपत्तियाँ खरीदना शुरू कर दिया।

आंध्र प्रदेश हेतु 455 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के निदेशक मंडल ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सड़क परियोजना के लिये 455 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दो लाख से अधिक लोग बाज़ार, स्कूलों और अन्य सेवाओं से जुड़े एक बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ उठा पाएंगे।
- इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में लगभग 3,300 ग्रामीण आवासों को जोड़ने वाली 6,000 किमी से अधिक सड़कों का निर्माण और उन्नयन करना है।
- एआईआईबी के अनुसार, "बाज़ारों में कृषि और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी की सुविधा के लिये परिवहन लिंक में सुधार के अलावा, सभी मौसम में कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। विद्यालयों में उपस्थिति दर, विशेष रूप से लड़कियों के मामले में सुधार होने की उम्मीद है।
- यह दूसरी परियोजना है जिसके लिये एआईआईबी ने आंध्र प्रदेश में वित्तपोषण किया है। मई 2017 में चीन के नेतृत्व वाले इस बैंक ने राज्य में बिजली परियोजना के लिये 160 मिलियन डॉलर का ऋण मंज़ूर किया था।
- एआईआईबी का अधिदेश स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण में मदद करके एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- एआईआईबी के अनुसार, "शेष राज्य और बाज़ारों के साथ ग्रामीण आबादी को एकीकृत करके, यह परियोजना पूरी तरह से राज्य में आर्थिक विकास का विस्तार करेगी।"
- यह भारत में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में एआईआईबी का तीसरा निवेश है क्योंकि ऐसी परियोजनाएँ सतत विकास लक्ष्यों और भारत सरकार की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं।

नोट :

सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्त्ता

- नया ऋण सात अवसंरचना परियोजनाओं में भारत के प्रति एआईआईबी की कुल 1.76 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता और भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) को इस साल की शुरुआत में अनुमोदित 200 मिलियन डॉलर इक्विटी निवेश की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
- भारत 72 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एआईआईबी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और अब तक बैंक द्वारा दिये गए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता भी है।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) क्या है ?

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीज़ों में सुधार के लिये एक मिशन के रूप में कार्य करता है।
- एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में है जिसका गठन वर्ष 2016 में 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्ध पूंजी के साथ किया गया था। वर्तमान में इसके 86 अनुमोदित सदस्य हैं।
- टिकाऊ बुनियादी ढाँचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एआईआईबी लोगों, सेवाओं और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ रहा है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।
- एआईआईबी ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा व कृषि विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और प्रचालन में ठोस और टिकाऊ परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण प्रदान करता है।

WTO ने वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान घटाया

चर्चा में क्यों

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने वैश्विक व्यापार वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा दिया है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, बाज़ार की तंग क्रेडिट स्थितियों के साथ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को लेकर बढ़ते तनाव की वज़ह से 2018 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3.9 प्रतिशत और 2019 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2018 के लिये नया पूर्वानुमान, डब्ल्यूटीओ द्वारा 12 अप्रैल को घोषित किये गए पूर्वानुमान 4.4 प्रतिशत से कम है।
- लेकिन नया पूर्वानुमान उस समय के निर्दिष्ट अनुमान 3.1 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के बीच ही है। हालाँकि 2018 में व्यापार वृद्धि अब 3.4 प्रतिशत से 4.4 प्रतिशत की सीमा के बीच रहेगी।
- व्यापार वृद्धि मज़बूत होने के बावजूद यह गिरावट प्रमुख व्यापार भागीदारों के बीच बढ़ते तनाव को प्रतिबिंबित करती है।

विश्व व्यापार संगठन (World trade organization)

- विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में मारकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था। सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मलेन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।
- वर्तमान में इसके 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मलेन का आयोजन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया।
- हालाँकि इस रिपोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और चीन का उल्लेख नहीं किया है, जो टैरिफ युद्ध में लिप्त हैं।
- संशोधित व्यापार पूर्वानुमान 2018 में 3.1 प्रतिशत और 2019 में 2.9 प्रतिशत के बाज़ार विनिमय दर से विश्व की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि की उम्मीदों पर आधारित है।
- डब्ल्यूटीओ ने चेतावनी दी है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीगत बहिर्वाह (outflows) और वित्तीय संक्रमण (contagion) झेलना पड़ सकता है। क्योंकि विकसित देशों ने ब्याज दरों में वृद्धि की है जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- भू-राजनैतिक तनाव कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है तथा उत्पादन की श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत ने पाकिस्तानी जलविद्युत के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में भारत-पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की 115वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के परिणामस्वरूप भारत ने पाकिस्तान को पाकल दुल और लोअर कलनाई जलविद्युत परियोजनाओं के स्थलों का मुआयना करने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में सिंधु जल समझौता 1960 के प्रावधानों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पाकल दुल (1000 मेगावाट) और लोअर कलनाई (48 मेगावाट) सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर तकनीकी चर्चाएँ आयोजित की गईं।
- विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों देश सिंधु बेसिन में संधि द्वारा आदेशित सिंधु आयुक्तों की यात्रा के लिये सहमत हुए। संधि के तहत मामलों के लिये स्थायी सिंधु आयोग की भूमिका को और मज़बूत करने पर विचार-विमर्श किया गया।
- नियमित तौर पर होने वाली यह वार्ता इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में हुई पहली द्विपक्षीय वार्ता है।
- इससे पहले स्थायी सिंधु आयोग की पिछली वार्ता मार्च में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

सिंधु जल समझौता

- लगभग एक दशक तक विश्व बैंक की मध्यस्थता में बातचीत के बाद 19 सितंबर, 1960 को समझौता हुआ। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते के तहत छह नदियों—व्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी को दोनों देशों के बीच बाँटा गया था। 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत के पास है; इनमें व्यास, रावी और सतलज आती हैं तथा 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है; इनमें सिंधु, चिनाब और झेलम आती हैं।
- पश्चिमी नदियों पर भारत का सीमित अधिकार है। भारत इन 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देता है और 20% पानी भारत के हिस्से आता है।

भारत के राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने साइप्रस समकक्ष निकोस अनास्तासीड्स से मुलाकात की और दोनों देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित दो प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूरोपीय देशों के साथ भारत के उच्चस्तरीय कार्यक्रमों को जारी रखने के लिये यूरोप के तीनों देशों की यात्रा के पहले चरण में साइप्रस में उपस्थित रहे।
- भारतीय राष्ट्रपति तीन यूरोपीय देशों-साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक के आठ दिवसीय दौरे पर हैं।
- इस दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत की वित्तीय सूचना इकाई और साइप्रस में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिये बनाई गई यूनिट के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं।

नोट :

- उन्होंने यह भी कहा कि भारत और साइप्रस के बीच हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश के क्षेत्र में मदद मिलेगी।
- यह समझौता निवेश पार-प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये संस्थागत ढाँचे को और मज़बूत बनाने में मदद करेगा।
- दोनों देश दोहरे कराधान से बचने के लिये वर्ष 2016 में हुए समझौते में संशोधन करने पर भी सहमत हुए।
- इसके अलावा दोनों देशों के प्रमुखों ने पारस्परिक हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, पर्यटन, नौवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- दोनों देशों ने मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
- उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर बातचीत करने के लिये सामान्य उद्देश्यों को रेखांकित किया गया।

भारत करेगा एफ-16 लड़ाकू विमान के विंग्स का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी एयरोस्पेस की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने भारत में एफ-16 विमान के विंग्स के निर्माण कार्य को शुरू करने हेतु एक समझौते की घोषणा की है।

उद्देश्य

- इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के भविष्य के सभी ग्राहकों के लिये विंग्स प्रदाता बनने और एफ -16 की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भूमिका को मज़बूती प्रदान करना है।
- भारत में एफ -16 विंग्स का निर्माण टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन की रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के साथ ही 'मेक इन इंडिया' का समर्थन करेगा।

प्रमुख बिंदु

- टाटा संस की पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक TASL टाटा समूह की रणनीतिक एयरोस्पेस और रक्षा शाखा है, साथ ही यह एक ऑपरेटिंग और होल्डिंग कंपनी है।
- केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना के लिये एफ-16 विमान की खरीद से इस उत्पादन योजना का कोई संबंध नहीं है।
- पिछले ही वर्ष दोनों कंपनियों ने भारत में एफ -16 ब्लॉक 70 का उत्पादन करने के लिये अपनी मंशा व्यक्त की थी।

लॉकहीड मार्टिन के बारे में

- यह वैश्विक सुरक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, जो दुनिया भर में लगभग 100,000 लोगों को रोज़गार प्रदान करती है।
- मुख्य रूप से यह निरंतर अनुसंधान, डिज़ाइन, विकास, निर्माण, एकीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियों, उत्पादों एवं सेवाओं की पूर्ति के कार्य में लगी हुई है।
- इसका मुख्यालय बेथेस्डा, मैरीलैंड में है।

क्या है एफ -16 ब्लॉक 70 ?

- ब्लॉक 70 नवीनतम लड़ाकू विमान है और एफ -16 का सबसे उन्नत प्रारूप है, जिसमें कई उन्नत और संरचनात्मक तकनीकों को शामिल किया गया है।
- यह बेहतर रडार सिस्टम, उन्नत हथियारों लैस और बढ़ी हुई युद्ध क्षेत्र की क्षमताओं के अनुकूल भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु मज़बूत एवं मुकाबला करने योग्य विरासत को और आगे बढ़ाता है।
- एफ -16 ब्लॉक 70 फाइटिंग फाल्कन की नवीनतम पीढ़ी है।

नोट :

भारत और अमेरिका की पहली 2+2 वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस और राज्य सचिव माइक पोम्पेओ ने राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से अपने भारतीय समकक्ष रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ कई महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

वार्ता संबंधी प्रमुख बिंदु

- दोनों सरकारों के बीच 50 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्र है किंतु भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच शिखर स्तर की भागीदारी के बाद यह सहभागिता का सबसे उच्चतम स्तर है।
- इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये सहयोग करने की बात को दोहराया साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास, समृद्धि और प्रगति के बारे में दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ज़ोर दिया।
- दोनों देशों के समकक्ष, संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से मज़बूत संबंधों को स्थापित करने पर सहमत हुए।
- इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है जिससे दोनों रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा।
- वर्तमान में भारत और अमेरिका के सुरक्षा बल साथ-साथ प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये वर्ष 2019 में भारत के पूर्वी तट पर अमेरिकी बलों के साथ पहली बार तीनों सेनाएँ संयुक्त अभ्यास करेंगी, का निर्णय लिया गया।
- अमेरिका द्वारा भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार बनाने के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई।
- उल्लेखनीय है किअमेरिका ने भारत को STA-1 का दर्जा प्रदान किया है।

सामरिक व्यापार प्राधिकरण या स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइज़ेशन (STA)

- वर्ष 2011 में निर्यात नियंत्रण सुधार पहल के रूप में सामरिक व्यापार प्राधिकरण या स्ट्रैटजिक ट्रेड ऑथोराइज़ेशन की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- इसके अंतर्गत दो सूचियाँ- STA-1 और STA-2 बनाई गईं, जो देश इन दोनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें दोहरी उपयोग की वस्तुओं के निर्यात के लिये लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी।
- STA-1 सूची में NATO के सहयोगी और ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया सहित 36 देश शामिल हैं, इन देशों की अप्रसार व्यवस्था को अमेरिका द्वारा सबसे अच्छा कहा गया है।
- ये देश चारों बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासनेर व्यवस्था के हिस्सा हैं।
- यह व्यवस्था अमेरिका से निर्यात के संबंध में लाइसेंस अपवाद की अनुमति देती है।
- अमेरिकी सरकार इस प्रकार के प्राधिकरण को निश्चित स्थितियों में लेन-देन विशिष्ट लाइसेंस (transaction – specific license) के बिना निश्चित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देती है।
- STA-1 देशों को निर्यातित वस्तुओं में राष्ट्रीय सुरक्षा, रासायनिक या जैविक हथियार, परमाणु अप्रसार, क्षेत्रीय स्थिरता, अपराध नियंत्रण आदि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि STA-1 में शामिल होने से पहले भारत सात अन्य देशों अल्बानिया, हॉन्गकॉन्ग, इज़राइल, माल्टा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान के साथ STA-2 की सूची में शामिल था।
- बैठक के दौरान 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत भारत में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया गया।
- इस वार्ता के दौरान सैन्य संचार से संबंधित समझौते COMCASA पर हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

COMCASA

- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement-COMCASA) एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है तथा उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरिका की प्रमुख आवश्यकता है।
- यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने इन्क्रिप्टेड (Encrypted) संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को भारत के साथ साझा करने की अनुमति देगा, जिससे दोनों पक्षों के उच्च स्तर के सैन्य-नेतृत्व के बीच युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में ही सुरक्षित संचार संभव हो सकेगा।
- इससे संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षित संचार में सहायता मिलेगी।
- इस तरह की उन्नत प्रौद्योगिकियों और संवेदनशील उपकरणों को सामान्यत अमेरिका से खरीदे गए सिस्टमों पर ही स्थापित किया जाता है।
- अत: यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिये मील का पत्थर सिद्ध होगा।
- साथ ही इस तकनीक की मदद से भारत को चीन पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी।
- इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने साथ लड़ने का फैसला किया।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस वार्ता से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका और हिंद महासागर में चीन के विस्तार के प्रभाव को कम करने हेतु बेहद नज़दीक आ गए हैं।
- दोनों देशों के समकक्षों द्वारा दक्षिण एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की गई तथा भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति का समर्थन भी किया।

मोबिलाइज़ योर सिटी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और फ्राँस ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 'मोबिलाइज़ योर सिटी (MYC)' को लागू करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

क्या है मोबिलाइज़ योर सिटी (MYC)?

- यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो फ्राँस और जर्मनी की सरकारों द्वारा समर्थित है।
- इसे दिसंबर, 2015 में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-21) में लॉन्च किया गया।
- वर्ष 2015 में एजेंस फ्रैंसेज डी डेवलपमेंट (AFD) के प्रस्ताव के आधार पर यूरोपीय संघ ने भारत में मोबिलाइज़ योर सिटी कार्यक्रम में निवेश और तकनीकी सहायता के लिये 5 मिलियन यूरो की राशि देने पर सहमति व्यक्त की है।

MYC का उद्देश्य

- तीन पायलट शहरों-नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाऊस गैस (GHG) उत्सर्जन कम करने में समर्थन देना और राष्ट्रीय स्तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार के लिये भारत को मदद देना है।
- तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों से कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए तीन पायलट शहरों के साथ-साथ आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भी लाभ मिलेगा।

प्रस्तावित सहायता के प्रमुख घटक:-

- टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन को समर्थन देना।
- शहरी आवाजाही के नियमन, संचालन और नियोजन के लिये संस्थागत क्षमता को मज़बूत बनाने हेतु समर्थन प्रदान करना।
- श्रेष्ठ व्यवहारों के बारे में देश के अन्य शहरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना।
- परियोजना संबंधी गतिविधियों का व्यौरा एएफडी द्वारा आवास तथा शहरी विकास मंत्रालय और तीन सहयोगी शहरों की सलाह से तैयार किया जाएगा।
- इसमें स्मार्ट सिटीज़, नगरपालिकाओं और परिवहन प्राधिकरण तथा परिवहन संबंधी संस्थानों के लिये स्पेशल परपज़ व्हीकल (SPV) शामिल हैं।

नोट :

वर्तमान में LEMOA का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों ?

भारत-यू.एस.ए. के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन के लिये आधारभूत समझौते, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) को पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में दोनों देशों की 2+2 वार्ता के दौरान तीसरे आधारभूत समझौते, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA), जो सुरक्षित एन्क्रिप्टेड संचार से संबंधित है पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

LEMOA क्या है ?

- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे।
- यह समझौता भारत एवं अमेरिकी सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है।
- यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों जैसे - पोर्ट कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधाएँ प्रदान करता है।
- LEMOA का सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय नौसेना है, जो विदेशी नौसेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सूचना का आदान-प्रदान और अभ्यास करती है।
- नौसेना का यू.एस.ए. के साथ समुद्र में ईंधन हस्तांतरण के लिये एक ईंधन विनिमय समझौता है, जो नवंबर में समाप्त होने वाला है।
- SOPs में अमेरिकी सेना के लिये संपर्क के बिंदुओं को नामित करने और भुगतान के लिये एक आम खाते का निर्माण करना शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOPs) एक संगठन द्वारा संकलित चरण-दर-चरण निर्देशों का एक सेट है, जो कर्मचारियों को जटिल दिनचर्या का संचालन करने में मदद करती है।
- यह मानक तीनों सेनाओं पर लागू होता है और अब तक, तीनों सेनाओं के व्यक्तिगत खाते थे जिनसे सैन्य अभ्यास के दौरान भुगतान किया जा रहा था।

भारत अमेरिका के बीच प्रमुख सूचना संधि

- दोनों देशों द्वारा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (GSOMIA) नामक पहले समझौते पर वर्ष 2002 हस्ताक्षर किये गए थे।
- हाल ही में दोनों देशों की 2+2 वार्ता के दौरान हस्ताक्षरित COMCASA समझौता, CISMOA का संचार और सूचना से संबंधित भारत-विशिष्ट संस्करण है।
- उल्लेखनीय है कि COMCASA को अमेरिका में CISMOA (Communication and Information Security Memorandum of Agreement) भी कहा जाता है।
- आखिरी समझौता भू-स्थानिक सहयोग (BECA) है जो दोनों देशों के बीच सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिये स्थल, समुद्री एवं वैमानिकी तीनों प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायता करने के लिये वैधानिक ढाँचा निर्धारित करेगा।

प्रत्यायन पर चौथा विश्व सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में प्रत्यायन पर चौथे विश्व सम्मेलन (World Summit on Accreditation WOSA-2018) का आयोजन किया गया।

प्रत्यायन क्या है ?

- प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों का मूल्यांकन किया जाता है।
- प्रत्यायन का कार्य इस उद्देश्य के लिए नामित निकायों द्वारा ही किया जाता है।

नोट :

WOSA क्या है ?

- प्रत्यायन पर वैश्विक सम्मेलन (WOSA) का आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जाता है जो प्रत्यायन के विषय पर भागीदारों को अपने ज्ञान एवं सूचनाओं को साझा करने हेतु मंच प्रदान करता है।
- इसका आयोजन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation) द्वारा किया जाता है।
- WOSA-2018 की थीम 'परिणाम-आधारित प्रत्यायन के समक्ष चुनौतियाँ एवं अवसर' (CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN OUTCOME BASED ACCREDITATION) है।

पूर्व में आयोजित WOSA	थीम
WOSA-2012	प्रत्यायन के माध्यम से उत्कृष्टता की प्राप्ति (Achieving Excellence through Accreditation)
WOSA-2014	शिक्षा योग्यता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता (International Recognition of Education Qualification)
WOSA-2016	परिणाम आधारित प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance through Outcome Based Accreditation)

WOSA-2018 के उप-विषय (sub-themes)

- उप-विषय 1 –अचीविंग एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग आउटकम्स
- उप-विषय 2 –रोल ऑफ इंडस्ट्री इन टेक्नीकल एजुकेशन
- उप-विषय 3- रैंकिंग एंड रेटिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस- डू दे हैव ए रोल इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ?
- उप-विषय 4- लिंकिंग गवर्नमेंट फंडिंग विद क्वालिटी
- उप-विषय 5- यूज़ ऑफ आईसीटी इन एक्रेडिटेशन इन लार्ज ज्यूरिस्डिक्शंस

WOSA का महत्त्व

- WOSA-2018 अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं उद्योग के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने हेतु भविष्य में की जाने वाली साझेदारियों के लिये मंच ढूंढने एवं विश्व भर में छात्रों व पेशेवरों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिये खुली वार्ता का वातावरण तैयार करने का अवसर है।
- इसमें हिस्सा लेने वाले साझीदार वर्तमान में जारी वैश्विक प्रत्यायन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त कर सकेंगे।
- शैक्षिक संस्थानों को विश्व भर के उद्योगों, नीति-निर्माताओं एवं प्रत्यायन एजेंसियों से बातचीत करने एवं उनके दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के बारे में

- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation- NBA) केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्यायन के माध्यम से भारत में पेशेवर एवं तकनीकी संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना AICTE अधिनियम की धारा 10(प) के अंतर्गत वर्ष 1994 में की गई थी।
- NBA को जून 2014 से वॉशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्त्ता का दर्जा प्रदान किया गया है।
- इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित परिणाम-आधारित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को अपनाया है।

नोट :

भारतीय राष्ट्रपति की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 से 9 सितंबर 2018 तक तीन यूरोपीय देशों, क्रमश: साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य की राजकीय यात्रा पर रहे और इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा इन देशों के साथ कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।

साइप्रस की यात्रा

- इस यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस एन एनास्टासिएड्स के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, इसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का मुद्दा भी शामिल है।
- भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत की वित्तीय सूचना इकाई और साइप्रस में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिये बनाई गई यूनिट के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारत और साइप्रस के बीच हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश के क्षेत्र में मदद मिलेगी।
- यह समझौता निवेश पार-प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये संस्थागत ढाँचे को और मज़बूत बनाने में मदद करेगा। दोनों देश दोहरे कराधान से बचने के लिये वर्ष 2016 में हुए समझौते में संशोधन करने पर भी सहमत हुए।
- इसके अलावा, दोनों देशों के प्रमुखों ने पारस्परिक हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, पर्यटन, नौवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- दोनों देशों ने मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की।
- उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर बातचीत करने के लिये सामान्य उद्देश्यों को रेखांकित किया।

बुल्गारिया की यात्रा

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके बुल्गारियाई समकक्ष रूमेन रादेव ने असैन्य परमाणु सहयोग सहित चार विषयों से जुड़े समझौतों पर दस्तखत किये।
- इन समझौतों में प्रमुख रूप से भारत और बुल्गारिया के बीच आपस में निवेश, पर्यटन सहयोग, असैनिक परमाणु अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ काम करना तथा हिंदी के अध्ययन हेतु आईसीसीआर तथा सोफिया विश्वविद्यालय के बीच मज़बूत भागीदारी को बढ़ाना है।
- उल्लेखनीय है कि बुल्गारिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य देश है।
- दोनों देशों के समकक्षों ने संयुक्त रूप से साउथ पार्क, सोफिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
- भारतीय राष्ट्रपति ने सोफिया विश्वविद्यालय के छात्रों को "परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में शिक्षा और साझा समृद्धि" विषय वस्तु पर संबोधित किया।

चेक गणराज्य की यात्रा

- बुल्गारिया यात्रा की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति चेक गणराज्य के लिये रवाना हुए।
- चेक गणराज्य में उन्होंने भारतीय व्यापारी प्रनितिधिमंडल के साथ मुलाकात की।
- यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध हज़ारों साल पुराने हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच वह गर्मज़ोशी आज भी बरकरार है।
- उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त मज़बूत विनिर्माण आधार वाला देश है। ''यह हमारे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।
- उन्होंने वहाँ रह रहे भारतीयों को अपने देश का सांकृतिक दूत बताया।
- नोट: यह भारतीय राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष में पहली आधिकारिक यात्रा है।

नोट :

बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लव कुमार देव ने संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली और ढाका से इस कार्यक्रम से जुड़े।
- इन तीन परियोजनाओं में बांग्लादेश के भेरामारा तथा भारत के बहरामपुर के बीच मौजूदा पारेषण लाइन के ज़रिये बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, अखौरा और अगरतला के बीच रेल संपर्क तथा बांग्लादेश रेलवे के कुलोरा-शाहबाजपुर सेक्शन को बहाल किया जाना शामिल है।
- उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के नेताओं को अपने संबंध पड़ोसियों की तरह रखना चाहिये और इसके लिये किसी प्रोटोकॉल के दवाब में आए बिना एक-दूसरे के यहाँ अक्सर आना-जाना चाहिये।
- इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री हाल के दिनों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से काठमांडू में हुई बिम्सटेक की बैठक, शान्ति निकेतन और लंदन में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक सहित कई अवसरों पर भी मिल चुके हैं।
- उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और उनके बीच हाल के दिनों में हुई कई मुलाकातें पड़ोसी देशों के बीच निकटता का प्रमाण है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 की अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करने का फैसला लिया था।
- यह काम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच मौजूद पारेषण लाइन के ज़रिये किया जाएगा और इस कार्य में पश्चिम बंगाल सहयोग दे रहा है।
- उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा हो जाने से अब भारत से बांग्लादेश को 16 गीगावॉट बिजली की आपूर्ति हो रही है।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2021 तक बांग्लादेश को एक मध्यम आय वाला देश बनाने तथा 2041 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने के बांग्लादेश के लक्ष्य की सराहना की।

विश्व आर्थिक मंच ने जारी की 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों

तकनीकी में उन्नयन और नवाचार के साथ ही मानव कौशल से जुड़े कामों में मशीनों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' में यह दावा किया गया है कि 2025 तक आधे से अधिक नौकरियों पर मशीनों का कब्ज़ा होगा। स्वचालित रोबोटों के इस्तेमाल से काम का स्वरुप तथा मानव श्रम का तरीका भी बदल जाएगा। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कामों के मशीनीकरण की रफ़्तार तथा उसमें आने वाले बदलाव का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से 300 से अधिक वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वे में 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी और 20 विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 प्रतिशत धारण करती हैं।
- वर्तमान में कुल कार्य का 71 फ़ीसदी हिस्सा मानव श्रम द्वारा होता है।
- 2022 तक आते-आते यह हिस्सा 58 तक रह जाएगा, वहीं 2025 तक यह हिस्सेदारी 48 पर सिमट जाएगी।
- विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' में यह दावा किया है।

नोट :

- नौकरियों में व्यापक स्तर पर छटनी किये जाने के बावजूद कंप्यूटर प्रोग्राम वाली मशीनें, रोबोट मानव रोज़गार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- चूँकि इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रोबोट क्रांति यानी ऑटोमेशन की इस प्रक्रिया के दौरान अगले पाँच सालों में 5 करोड़ 80 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।

चुनौतियाँ क्या हैं ?

- एक तरफ रोज़गार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होने का अनुमान है तो वहीं दूसरी तरफ, इससे मानव श्रम की नई भूमिकाओं की गुणवत्ता, स्थान, स्वरुप और स्थायित्व में महत्त्वपूर्ण बदलाव आएंगे।
- कंप्यूटर प्रोग्राम वाली मशीनों, रोबोटों की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए मानव श्रम के कौशल को निखारना होगा।
- यह वाकई आलोचनात्मक है कि ज़्यादातर उद्योग अपने मौजूदा मानव संसाधन के कौशल को विकसित करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं।
- ऐसे उद्योग जो गतिशील, औरों से अलग तथा प्रतिस्पर्द्धी बने रहना चाहते हैं उन्हें अपने मानव संसाधनों में भी निवेश करना ही होगा।
- मशीनी औद्योगिक क्रांति के इस चरण में मानव संसाधन में निवेश करना आर्थिक तथा नैतिक आधारों पर अनिवार्य है।

आगे की राह

सबसे पहले हमें रोबोट क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों के संबंध में एक समग्र अध्ययन करना होगा। लेकिन एक ही दशक में मध्य देश का एक बड़ा तबका नौकरियों से हाथ धो बैठेगा। अत: ऑटोमेशन को लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। मशीनीकरण के माध्यम से आए बदलावों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपने कौशल क्षमता में निश्चित समय के भीतर आवश्यक सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। अत: सरकार तथा उद्योगों को चाहिये कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त समय के साथ-साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए। तकनीकों के इस बदलते दौर में ज़रूरत इस बात की है कि विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिये लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिये अवसंरचना का भी विकास किया जाए।

उपराष्ट्रपति की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा

चर्चा में क्यों ?

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू 14 से 20 सितंबर, 2018 तक तीन देशों- सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित किया।

उद्देश्य

इस यात्रा के दौरान उक्त देशों की सरकारों के प्रमुखों, प्रधानमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। इस यात्रा से इन तीनों देशों में से प्रत्येक देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा बनाने में काफी मदद मिली।

प्रमुख बिंदु

तीनों देशों ने यूएनएससी में भारत की दावेदारी और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया।

- तीनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन को प्रारंभिक तौर पर अपनाने और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया गया।
- तीनों देशों ने योग और आयुर्वेद में काफी रुचि दिखाई तथा रोमानिया में उपराष्ट्रपति ने आयुर्वेद पर दो पुस्तकों का विमोचन भी किया और एक आयुर्वेद सूचना केंद्र का उद्घाटन किया।
- भारत ने तीनों देशों के साथ संयंत्र संरक्षण, पर्यटन, वायु सेवाओं, तेल अनुसंधान, राजनयिक प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग से संबंधित क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- सभी देशों के नेताओं ने भारत के आर्थिक विकास की प्रशंसा की और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ जुड़ने और साझेदारी करने के लिये उत्सुकता दिखाई।

नोट :

उपराष्ट्रपति की सर्बिया यात्रा

- अपने तीन राष्ट्रों के दौरे के पहले चरण में भारतीय उपराष्ट्रपति ने 14-16 सितंबर 2018 तक सर्बिया का दौरा किया।
- भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक और गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह-संस्थापक के रूप में विशेष संबंध हैं। दोनों देश परस्पर हितों के मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन भी करते हैं।
- इस वर्ष, भारत और सर्बिया भी राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- सर्बिया और भारत के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार में वृद्धि हेतु संयंत्र संरक्षण और संयंत्र संगरोध में सहयोग पर समझौता तथा वायु सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किये गए।

उपराष्ट्रपति की माल्टा यात्रा

- उपराष्ट्रपति 16-18 सितंबर, 2018 तक माल्टा की यात्रा पर रहे। भारत 1964 में माल्टा को मान्यता देने और माल्टा की आज़ादी के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रमुख देशों में एक था। भारत-माल्टा वार्षिक व्यापार लगभग 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इस यात्रा के दौरान माल्टा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।
- उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान भारत और माल्टा के बीच तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए- (i) समुद्री सहयोग पर जहाज़रानी मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन, बुनियादी ढाँचा और पूंजी परियोजना मंत्रालय, माल्टा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (ii) विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भूमध्यसागरीय एकेडमी ऑफ डिप्लोमैटिक स्टडीज़, माल्टा विश्वविद्यालय के बीच परस्पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन (iii) भारत और माल्टा के बीच पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।

उपराष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा

- उपराष्ट्रपति ने 18-20 सितंबर, 2018 तक रोमानिया का दौरा किया। भारत और रोमानिया गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं- रोमानियाई भाषाविज्ञानी, दार्शनिक और कवि भारतीय विचारों से प्रभावित थे और इसका प्रभाव उनके कार्यों में भी पाया गया।
- आधुनिक समय में रोमानिया के साथ भारत के राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे। वर्तमान में दोनों देश उच्च स्तरीय और मंत्रिस्तरीय यात्राओं का नियमित आदान-प्रदान कर रहे हैं। भारत-रोमानिया वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 810 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इस यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इसके आलावा, पेट्रोलियम-गैस विश्वविद्यालय, प्लोएस्टी और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, गांधीनगर के मध्य समझौता ज्ञापन और बुखारेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सीआईआई, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- रोमानिया के यूरोपीय संघ के अध्यक्ष बनने के बाद यूरोपीय संघ-भारत व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने के लिये मज़बूत समर्थन प्राप्त हुआ।

बहुपक्षवाद, यूएनएससी सुधार हेतु जी-4 देशों की बैठक

चर्चा में क्यों

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के संबोधन में बहुपक्षवाद की निंदा किये जाने के कुछ समय बाद हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्राज़ील, जापान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों- क्रमशः अलॉयसियो नून्स फेरेरा, तारो कोनो तथा हीको मास की जी-4 बैठक की मेज़बानी की।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में भारत और अन्य जी-4 देशों ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रारंभिक सुधार किये जाने की मांग की।
- जी-4 देशों के मंत्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 21वीं शताब्दी की समकालीन ज़रूरतों के लिये संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता हेतु सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है।

नोट :

- जी-4 देशों के मंत्रियों ने व्यक्त किया कि सुरक्षा परिषद सुधार का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के भारी बहुमत के बावजूद, 2009 में शुरू हुई बातचीत ने 10 वर्षों में वास्तविक प्रगति नहीं की है।
- इस बैठक के दौरान जी-4 देशों के मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद सुधार की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और उन्होंने अपने देशों के संबंधित अधिकारियों को सुधार कार्य आगे बढ़ाने के तरीके पर विचार करने के लिये काम करने को कहा।
- उल्लेखनीय है कि जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र के बजट में पाँचववें हिस्से का योगदान करते हैं जबकि जी-4 देशों में विश्व की आबादी का पाँचवाँ हिस्सा रहता है।
- मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि "यूएनएससी की वर्तमान संरचना बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आज की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिये सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना आवश्यक है।"
- विदेश मंत्रियों द्वारा दिये गए सामूहिक बयान में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था की कार्यपद्धति को मज़बूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिये उनके समर्थन पर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

ट्रंप के आरोप

- UNSC के स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होने के इन चार देशों की मांग के लिये अमेरिका का कोई सक्रिय विरोध नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सुधार के लिये एक सौहार्द्रपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।
- अपने भाषण में ट्रंप ने बहुपक्षीय संस्थानों के खिलाफ व्यापक आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर हमला किया।
- इस प्रक्रिया पर नज़र रखने वाले राजनयिकों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय निकायों में अमेरिकी असंतोष को देखते हुए, UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों में से एक चीन ने इस निकाय के विस्तार के लिये किये जा रहे प्रयासों को धीमा कर दिया है।
- एक अधिकारी के अनुसार, हालाँकि सुधार के लिये कोई सक्रिय अमेरिकी समर्थन नहीं है, जबकि अन्य देशों को इस दिशा में कदम उठाने और संयुक्त राष्ट्र के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी साझा करने के लिये ट्रंप द्वारा किये गए आह्वान से सक्रिय चीनी विरोध के मुकाबले सुधार का समर्थन हो सकता है।

जी-4 देश और कॉफ़ी क्लब

- सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिये जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ने जी-4 के नाम से एक गुट बनाया है और स्थायी सदस्यता के मामले में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार का यूएफसी (Uniting for Consensus-UFC) देश विरोध करते हैं। इनमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश शामिल हैं, जिन्हें 'कॉफ़ी क्लब' कहा जाता है।
- कॉफ़ी क्लब के देश स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्षधर न होकर अस्थायी सदस्यता के विस्तार के समर्थक हैं, लेकिन इन देशों की आशंका सामूहिक न होकर व्यक्तिगत हितों पर कहीं अधिक टिकी है।

सुरक्षा परिषद क्या है ?

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और इसके पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन) हैं।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है, जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।
- इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

J-J द्वारा दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण पर मुआवज़े का फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा किये गए दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण के मामले में मरीज़ों हेतु मुआवज़े की राशि निर्धारित करने के लिये केंद्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, साथ ही राज्यों को भी अलग-अलग समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऐसे मामलों में मरीज़ों को मुआवज़ा मुहैया कराने के लिये कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं हैं।

केंद्रीय समिति

- नई केंद्रीय समिति का गठन 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रत्येक मरीज़ को 20 लाख रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की थी।
- नई केंद्रीय समिति की अध्यक्षता सफदरजंग अस्पताल के खेल चोट केंद्र (sports injury centre) के निदेशक आर. के. आचार्य करेंगे और इस समिति में पाँच सदस्य होंगे।
- केंद्रीय समिति आधार मुआवज़े और मजदूरी के नुकसान के आधार पर कुल मुआवज़ा राशि का निर्धारण करेगी।
- हिप प्रत्यारोपण कराने वाले ऐसे सभी मरीज़ मुआवज़े के हकदार हैं जिन्हें एक से अधिक बार सर्जरी करानी पड़ी या हिप प्रत्यारोपण के बाद भी अक्षमता से पीड़ित हैं।
- मरीज़ अपनी सुविधा के अनुसार केंद्रीय विशेषज्ञ समिति या राज्य स्तरीय समितियों से संपर्क कर सकते हैं।

राज्य स्तरीय समितियां

- पैनल के अनुसार, राज्य स्तरीय समितियाँ डिवाइस के उपयोग के कारण मरीज़ों में होने वाली अक्षमता तथा परेशानियों के दावों का मूल्यांकन करेंगी।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राज्य स्तरीय समितियों में दो ऑर्थोपेडिक सर्जन, सरकारी मेडिकल कॉलेज का एक रेडियोलॉजिस्ट और औषध नियामक के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- राज्यों से समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिये भी कहा गया है ताकि प्रभावित मरीज़ इन समितियों से संपर्क कर सकें।
- राज्य स्तरीय समिति की सहायता से केंद्रीय विशेषज्ञ समिति उचित कानून के तहत स्वीकार्य मुआवज़े की सटीक राशि निर्धारित करेगी जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) को सूचित किया जाएगा और CDSCO मरीज़ों के दिये जाने वाली मुआवज़ा राशि के लिये आदेश पारित करेगा।

क्या है हिप ट्रांसप्लांट ?

हिप ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें एक कृत्रिम हिप का प्रत्यारोपण किया जाता है।

दोषपूर्ण हिप ट्रांसप्लांट का प्रभाव

- दोषपूर्ण हिप ट्रांसप्लांट के कारण रक्त में कोबाल्ट और क्रोमियम का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है।
- इसके कारण शरीर में टॉक्सिन शामिल हो जाते हैं जो ऊतकों को नुकसान पहुँचाते है साथ ही, शरीर के अन्य अंगों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
- इन सबके कारण मरीज़ को न केवल स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं बल्कि उसके शरीर में अत्यधिक दर्द रहता है और चलने-फिरने में भी कठिनाई होती है।

नोट :

नासा के स्पिट्ज़र दूरबीन ने अंतरिक्ष में पूरे किये 15 साल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 15 साल पूरे कर लिये हैं। उल्लेखनीय है स्पिट्ज़र को 25 अगस्त, 2003 को सौर कक्षा में लॉन्च किया गया था।

स्पिट्ज़र के बारे में

- यह नासा के चार 'ग्रेट ऑब्ज़र्वेटरी' कार्यक्रमों का आखिरी टेलीस्कोप था। अन्य तीन कार्यक्रम थे- हबल स्पेस टेलीस्कोप, द कॉम्पटन गामा रे ऑब्ज़र्वेटरी व चंद्रा एक्स-रे ऑब्जरवेटरी।
- शुरुआत में इस दूरबीन को केवल 2.5 वर्ष के लिये निर्धारित किया गया था लेकिन अब यह अपने अपेक्षित जीवन-काल से काफी आगे निकल गया है।
- स्पिट्ज़र अवरक्त किरणों (infrared light) का पता लगाता है जो प्राय: गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण है। पृथ्वी पर अवरक्त किरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है जिसमें नाइट-विज़न यंत्र आदि शामिल हैं।
- स्पिट्ज़र ने अपनी अवरक्त दृष्टि (infrared vision) और उच्च संवेदनशीलता के साथ, ज्ञात ब्रह्मांड में कुछ सबसे दूर स्थित आकाशगंगाओं के अध्ययन में योगदान दिया है।
- स्पिट्ज़र ने इस अवलोकन में लगभग 106,000 घंटे व्यतीत किये हैं।
- स्पिट्ज़र द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उल्लेख 8,000 से अधिक पत्र-पत्रिकाओं में किया गया है।

स्पिट्ज़र द्वारा की गई कुछ प्रमुख खोजें

- इस अंतरिक्ष दूरबीन ने न केवल ब्रह्मांड में सबसे पुरानी आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है बल्कि शनि के चारों ओर एक नए वलय का भी खुलासा किया है। साथ ही, धूलकणों के विशालकाय भंडार के माध्यम से नए सितारों और ब्लैक होल्स का भी अध्ययन किया।
- स्पिट्ज़र ने हमारे सौरमंडल से परे अन्य ग्रहों की खोज में सहायता की, जिसमें पृथ्वी के आकार वाले सात ग्रह जो TRAPPIST-1 के चारों तरफ प्रक्रिमा कर रहे थे, के बारे में पता लगाना भी शामिल है।

स्पिट्ज़र द्वारा की गई कुछ अन्य खोजें निम्नलिखित है:

- शनि के चारों ओर एक पतले तथा धुँधले वलय की खोज (जो शनि के व्यास का लगभग 300 गुना है।)
- एक गैसीय एक्सोप्लेनेट की सतह पर तापमान की विविधता को प्रदर्शित करने वाले पहले एक्सोप्लेनेट मौसम का मानचित्रण।
- क्षुद्रग्रह और ग्रहों के टुकड़े।
- नवजात सितारों की छिपी हुई परतें।
- अंतरिक्ष में बकीबॉल्स (Buckyballs)। (Buckyballs अंतरिक्ष में 60 कार्बन परमाणुओं से बनी त्रि-आयामी, गोलाकार संरचनाएँ हैं।)
- आकाशगंगाओं के विशाल समूह।
- आकाशगंगा (Milky way) का सबसे व्यापक मानचित्रण।

चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर में कम ऊर्जा खपत वाली चिलर प्रणालियाँ लगाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिलर (Chiller) स्टार लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है।

नोट :

कार्यक्रम के बारे में

- चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने तैयार किया है।
- इस कार्यक्रम के तहत इनके द्वारा ऊर्जा की खपत करने की दृष्टि से इन्हें स्टार रेटिंग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- आरंभ में इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है और यह 31 दिसंबर, 2020 तक मान्य रहेगा।

उर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

स्टार लेबलिंग प्रक्रिया

- BEE ने इस पहल के तहत आसान एवं त्वरित मंज़ूरी के लिये एक ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
- निर्मातागण चिलर उपकरण की उपयुक्त स्टार रेटिंग से लाभ उठाने के लिये ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
- नामित एजेंसियों से प्राप्त परीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ-साथ BEE की ओर से निर्धारित सत्यापन हो जाने के बाद स्टार लेबल (1 से लेकर 5 तक) प्रदान किया जाएगा।
- '5 स्टार' प्राप्त करने वाले उपकरण को सबसे कम ऊर्जा खपत वाला चिलर माना जाएगा।

चिलर क्या है ?

- चिलर एक मशीन है जो वाष्प-संपीड़न (vapour-compression) या अवशोषण प्रशीतन चक्र (absorption refrigeration cycle) के माध्यम से द्रव से गर्मी को हटा देती है।
- चिलर का व्यापक उपयोग भवनों में अंतर्निहित जगह के वातानुकूलन और औद्योगिक प्रक्रिया से जुड़ी कूलिंग में किया जाता है।

कार्यक्रम की आवश्यकता

- चूँकि चिलर को ऊर्जा गहन प्रणाली माना जाता है, इसलिये वाणिज्यिक भवनों में 40 प्रतिशत से भी अधिक ऊर्जा की खपत चिलर ही करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चिलर ऊर्जा की खपत को कम करना और इसके इस्तेमाल करने वालों के बीच जागरूकता पैदा करना आवश्यक है, ताकि लोग कम ऊर्जा खपत वाले चिलर का इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर हो सकें।

मेट्रो रेल प्रणाली में मानकीकरण और स्वदेशीकरण के लिये समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

देश की प्रगति के लिये परिवहन संरचना एक महत्त्वपूर्ण कारक है। तेज़ी से हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण तथा शहरी केंद्रों के कारण शहरों तथा नगरों में तेज़ गति से आबादी सघन होती जा रही है। इस तेज़ गति के साथ लोगों और वस्तुओं की आवाजाही तथा विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मेट्रो रेल परियोजनाएँ न केवल परिवहन समाधान के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, बल्कि शहरों की स्थिति को बदलने के साधन के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

देश में मेट्रो की स्थिति

- देश के दस नगरों में 490 किलोमीटर की मेट्रो लाइनें चालू हैं। विभिन्न शहरों में 600 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।
- आने वाले वर्षों में मेट्रो रेल क्षेत्र में काफी विस्तार होने की संभावना है। अगले कुछ वर्षों में 350 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि शहरों के विस्तार या मेट्रो रेल के नए निर्माण की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।
- दिल्ली और एनसीआर में भीड़भाड़ को कम करने के लिये मेट्रो रेल नेटवर्क के अतिरिक्त क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) चलाया जा रहा है।

नोट :

- आरआरटीएस के पहले चरण में तीन गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग 380 किलोमीटर की कुल लम्बाई को कवर करते हैं। इस परिवहन व्यवस्था से दिल्ली, सोनीपत, अलवर तथा मेरठ से जुड़ जाएगी।

वित्तीय स्थिति

- भारत सरकार मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय समर्थन दे रही है। सरकार एक्विटी तथा गौण बॉण्ड और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋणों की गारंटी देकर वित्तीय समर्थन प्रदान कर रही है।
- पिछले चार वर्षों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये केंद्र सरकार के बजट आवंटन में वृद्धि, हमारे शहरों को भीड़भाड़ तथा जाम से मुक्त करने और आवाजाही बढ़ाने के साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है।
- राज्य सरकारों, निजी साझेदारों और निवेशकों के अतिरिक्त केंद्र सरकार का बजट आवंटन बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए वार्षिक हो सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण कदम

- देश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रणालीगत और सतत् विकास के लिये विभिन्न अन्य कदम उठाए गए हैं। रेल बोर्ड से सहमति मिलने के बाद रॉलिंग स्टॉक तथा सिग्नल प्रणालियों या मेट्रो रेल के लिये मानकों को 2017 में अधिसूचित किया गया।
- रॉलिंग स्टॉक के लिये मानकों से ढाँचे का मानक तय होता है। हाल में इलेक्ट्रिकल प्रणालियों के लिये रेल बोर्ड द्वारा मानक स्वीकृत किये गए हैं और शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
- विभिन्न नई मेट्रो प्रणालियों ने अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रणालियों की खरीदारी प्रारंभ कर दी है।
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुसंधान परियोजना के माध्यम से एनपीसीआई तथा सी-डैक द्वारा डीएमआरसी के सहयोग से स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली तथा रुपे मानक पर आधारित संपूर्ण प्रणाली के लिये विस्तृत विनिर्देश तैयार किये गए हैं।

ई. श्रीधरन की अध्यक्षता में समिति का गठन

- मेट्रो रेल में मानकीकरण और स्वदेशीकरण के लिये डॉ. ई. श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा सात अन्य सदस्य एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का पद संयुक्त सचिव शामिल हैं।
- यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तीन महीनों के बाद मानकीकरण के विशेष कार्य के आधार पर डॉ. श्रीधरन निर्दिष्ट अवधि के लिये विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल कर सकते हैं।

स्वदेशी पर अधिक बल

- बीईएल को कहा गया है कि वह अपनी निधि से गेट का प्रोटोटाइप बनाए।
- इस कार्य के लिये पहले ही काफी मात्रा में धन खर्च किया जा चुका हैं और अब अक्तूबर, 2018 में राष्ट्रीय कॉमन मोबीलिटी कार्ड (एनसीएमसी) पर आधारित पहला स्वदेशी गेट लॉन्च किये जाने की संभावना है।
- विश्व की सर्वाधिक आधुनिक सिग्नल प्रणाली यानी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली के विनिर्देश संयुक्त रूप से बीईएल, सी-डैक, डीएमआरसी, एसटीक्यूसी द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से तैयार किये जा रहे हैं। सीबीटीसी प्रणाली पहली बार देश में कोच्चि मेट्रो रेल द्वारा लागू की गई।
- लेकिन कई अन्य क्षेत्र हैं जिनके लिये स्वदेशी मानक बनाए जाने की आवश्यकता है। इनमें मेट्रो स्टेशन की रूपरेखा, प्लेटफॉर्म, संकेतक, सुरंगों का आकार, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, आपदा प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण अनुकूल और कचरा प्रबंधन प्रणाली तथा स्टेशनों पर सौर पैनलों के लिये मानक शामिल हैं।
- इन स्वदेशी मानकों से यह सुनिश्चित होगा कि सभी नई मेट्रो परियोजनाओं के लिये मेट्रो रेल उप-प्रणालियाँ निर्धारित मानकों की पुष्टि करती हैं।

नोट :

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 (National Digital Communications Policy-2018 or NDCP-2018) को मंज़ूरी देने के साथ ही दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर 'डिजिटल संचार आयोग' करने के लिये भी स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय डिजिटल नीति-2018 के लक्ष्य

- सभी के लिये ब्रॉडबैंड।
- डिजिटल संचार के क्षेत्र में 4 मिलियन अतरिक्त रोज़गार का सृजन।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में डिजिटल क्षेत्र के योगदान को 2016 के 6% से बढ़ाकर 8% करना।
- इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्थान से शीर्ष 50 देशों में पहुँचाना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना।
- डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।

उल्लेखनीय है कि ये सभी लक्ष्य 2022 तक हासिल किये जाएंगे

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के उद्देश्य

- प्रत्येक नागरिक को 50Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1Gbps तथा 2022 तक 10Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
- नए युग के कौशल निर्माण के लिये 1 मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) प्रणाली का विस्तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना।
- व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिये व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था का निर्माण करना।
- वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी हेतु सहायता देना।
- नागरिकों को सुरक्षा आश्वासन देने के लिये उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दायित्व लागू करना।
- डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं को सुरक्षित रखना।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की रणनीति

- राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
- सभी नए शहर तथा राजमार्ग सड़क परियोजनाओं में समान सेवा मार्ग और उपयोगिता गलियारों की स्थापना करना।
- मार्ग उपयोग के समान अधिकार, लागत मानक तथा समय-सीमा के लिये केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच सहयोगी संस्थागत व्यवस्था बनाना।
- स्वीकृतियों में बाधाओं को दूर करना।
- ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कों के विकास में सहायता देना।

राष्ट्रीय संचार नीति का प्रभाव

- राष्ट्रीय संचार नीति-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित करना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।

नोट :

- उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति- 2018 हमें 5G, IOT, M2M जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद नए विचारों तथा नवाचार की ओर ले जाएगी।

सतत' पहल

चर्चा में क्यों ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी, यानी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल) के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित करते हुए एक अभिनव पहल सतत् (SATAT) की शुरुआत करेंगे।

- इस पहल के तहत उद्यमियों से संपीड़ित जैव-गैस (Compressed Bio-Gas-CBG) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वचालित ईंधन (Automotive Fuel) में CBG के उपयोग हेतु बाज़ार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

उद्देश्य

- सतत (SATAT) नामक इस पहल का उद्देश्य किफायती परिवहन के लिये सतत विकल्प (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation-SATAT) प्रदान करना है जो वाहन-उपयोगकर्त्ताओं के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाभान्वित करेगा।

महत्त्व

- इस महत्त्वपूर्ण पहल में अधिक किफायती परिवहन ईंधन, कृषि अवशेषों, मवेशियों का गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता है।

कृषि अवशेष, गोबर और ठोस कचरे को CBG में परिवर्तित करने के लाभ

- अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- किसानों के लिये अतिरिक्त राजस्व का स्रोत।
- उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोज़गार को बढ़ावा।
- जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में मदद।
- प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी।
- कच्चे तेल/गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध सुरक्षा।

CBG की उत्पादन क्षमता तथा स्रोत

- भारत में विभिन्न स्रोतों से संपीड़ित जैव-गैस के उत्पादन की अनुमानित क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन है।
- संपीड़ित जैव-गैस संयंत्रों को मुख्य रूप से स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इन संयंत्रों में उत्पादित CBG को हरित परिवहन ईंधन विकल्प के रूप में विपणन के लिये ओएमसी के ईंधन स्टेशन नेटवर्क में अधिक संख्या में सिलेंडरों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा।
- देश में 1,500 मज़बूत सीएनजी स्टेशन नेटवर्क वर्तमान में 32 लाख गैस आधारित वाहनों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं।
- जैव ईंधन के क्षेत्र में कार्यरत समूह, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत स्थापित, संपीड़ित जैव-गैस के लिये एक अखिल भारतीय मूल्य निर्धारण मॉडल की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- उद्यमी निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिये जैव-उर्वरक, कार्बन डाइऑक्साइड सहित इन संयंत्रों के माध्यम से अन्य उप-उत्पादों को अलग कर बाज़ार में बेचने में सक्षम होंगे।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 CBG समेत उन्नत जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से ज़ोर देती है।

नोट :

- भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Money - Dung-Money)) योजना शुरू की थी ताकि खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को CBG तथा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सके।
- बजट 2018-19 में इस योजना के मुख्यत: दो उद्देश्य हैं : गाँवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना।
- गोबर-धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायोगैस, बायो-CNG में परिवर्तित किया जाएगा।
- संपीड़ित जैव-गैस विभिन्न बायोमास/अपशिष्ट स्रोतों से उत्पादित की जा सकती है, जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, गन्ने का रस निकालने के बाद बचे अवशेष, डिस्टिलरी के अवशिष्ट, मवेशियों का गोबर और सीवेज उपचार संयंत्रों के अपशिष्ट शामिल हैं।
- मौजूदा समय तथा भविष्य के बाज़ारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्त्ताओं के लिये आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु संपीड़ित बायो-गैस नेटवर्क को सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये एनजीटी द्वारा उठाया गया कदम

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केरल समेत छह पश्चिमी घाट वाले राज्यों को उन गतिविधियों के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी देने से रोक दिया है जो पर्वत श्रृंखलाओं के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- माधव गाडगिल के नेतृत्व वाली पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की रिपोर्ट ने राज्य में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था। इस रिपोर्ट का विरोध अधिकांश राजनीतिक दलों और चर्च के एक वर्ग ने किया था।
- इस पैनल ने निर्देश दिया था कि पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा जिसे केंद्र सरकार ने पहले अधिसूचित किया था, को हाल ही में केरल में आई बाढ़ के संदर्भ में कम नहीं किया जाना चाहिये।
- अधिकरण की न्यायपीठ ने अपने आदेश में इस बात की विशेष रूप से व्याख्या की कि इन क्षेत्रों की मसौदा अधिसूचना में कोई भी बदलाव पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, विशेष तौर पर केरल की हालिया घटनाओं को देखते हुए। न्यायपीठ द्वारा जारी किया गया यह आदेश गोवा फाउंडेशन की दायर याचिका के संदर्भ में था।
- पैनल की प्रमुख न्यायपीठ ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF and CC) को 26 अगस्त को समाप्त होने वाली पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर मसौदा अधिसूचना को दोबारा प्रकाशित करने की अनुमति दी थी। साथ ही पैनल ने आदेश दिया कि मामले का निपटारा छः महीने के भीतर किया जाए।
- इसने यह आदेश दिया कि पुनः प्रकाशित अधिसूचना का मसौदा ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

न्यायपीठ ने देरी के लिये चेताया

- अधिकरण ने अधिसूचना के संबंध में आपत्तियों को दर्ज करने में देरी के लिये पश्चिमी घाट वाले राज्यों की आलोचना की और पाया कि "राज्यों की आपत्तियों के कारण देरी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये अनुकूल नहीं हो सकती है" और मामले को जल्द-से-जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिये।
- इस पीठ की अध्यक्षता एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल द्वारा की गई तथा न्यायमूर्ति एसपी वांगडी सदस्य के रूप में और नागिन नंदा विशेषज्ञ सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे।
- पूर्व में WGEEP ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अधिक विस्तृत क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय कार्य समूह जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा QSERP रिपोर्ट की जाँच के लिये नियुक्त किया गया था, ने इसे कम कर दिया था। मंत्रालय ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर मसौदा अधिसूचनाएँ जारी कर दी थीं।
- अधिकरण की प्रमुख न्यायपीठ, जिसने यह उल्लेख किया था कि पश्चिमी घाट क्षेत्र की पारिस्थितिकी गंभीर खतरे में है, ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि पश्चिमी घाट क्षेत्र सबसे धनी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों के निपटारे हेतु आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अन्य चार पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में हैं।

नोट :

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा इसमें 10 न्यायिक सदस्य होते हैं जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। पर्यावरण संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले 10 अन्य सदस्यों को भी न्यायाधिकरण में शामिल किया जाता है।
- न्यायाधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पर्यावरण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर स्वत: संज्ञान ले सकता है। पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने या नियमों का उल्लंघन करने के दोषी लोगों को दंडित कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ रुपए या किसी कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का दंड लगा सकता है तथा सश्रम कारावास की सज़ा भी सुना सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिये शुरू की वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सागरों और महासागरों में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित संधि 2020 पर वार्ता की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- वार्ता के चार सत्र (प्रत्येक सत्र दो सप्ताह के लिये) आयोजित किये जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं का आयोजन 2 वर्षों के दौरान किया जाएगा।
- इन वार्ताओं का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना और महासागरों में होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगाना है।
- वार्ता राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों या विशेष रूप से किसी भी देश से संबंधित क्षेत्रों से परे रिक्त स्थान से संबंधित होगी।
- बातचीत समुद्रों के संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री संसाधनों और प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक साझाकरण के साथ ही पर्यावरणीय प्रभावों के शोध पर ध्यान केंद्रित करेगी।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि

- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करती है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिये नियमों की स्थापना करती है।
- संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। उल्लेखनीय है कि उस समय यह अमेरिका की भागीदारी के बिना ही प्रभावी हुआ था।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- क्षेत्रीय समुद्र के लिये 12 नॉटिकल मील सीमा का निर्धारण।
- अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन की सुविधा।
- द्वीप समूह और स्थलबद्ध देशों के अधिकारों में वृद्धि।
- तटवर्ती देशों हेतु 200 नॉटिकल मील EEZ (Exclusive Economic Zone) का निर्धारण।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों के दोहन की व्यवस्था।

क्यों मौन हैं कुछ देश इस मुद्दे पर ?

- व्हेल का शिकार करने वाले कुछ राष्ट्रों जैसे जापान, आइसलैंड और नॉर्वे के दूसरे देशों की तुलना में अधिक सतर्क होने की उम्मीद है क्योंकि वे मछली पकड़ने के अत्यधिक सख्त प्रतिबंधों से डरते हैं।
- अमेरिका भी इस मुद्दे पर मौन है क्योंकि ये सभी समुद्री संसाधनों के विनियमन का विरोध कर रहे हैं और इन देशों द्वारा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि नहीं की गई है।
- इसके अलावा रूस ने भी लंबे समय से इस वार्ता से स्वयं को अलग रखा है।

नोट :

नीति आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा हिमालयी झरनों को बचाने का आग्रह

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक समूह ने सरकार से देश के हिमालयी राज्यों में झरना जल प्रणालियों को नुकसान से बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिये एक समर्पित मिशन स्थापित करने का आग्रह किया है, क्योंकि ये क्षेत्र के निवासियों के लिये पीने और सिंचाई दोनों कार्य हेतु जल के स्रोत के रूप में शीर्ष प्राथमिकता रखते हैं।

प्रमुख बिंदु

- देश के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में फैला हुआ और लगभग 5 करोड़ लोगों को आवास प्रदान करने वाला भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) इन प्राकृतिक भूजल स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर है, जो विकास और जलवायु परिवर्तन से निरंतर प्रेरित शहरीकरण के कारण बढ़े हुए खतरे के अंतर्गत आता है।
- विशेषज्ञ समूह ने "जल सुरक्षा के लिये हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार" नामक अपनी रिपोर्ट में कहा, "लगभग आधे बारहमासी झरने पहले ही सूख गए हैं या मौसम आधारित हो गए हैं और हज़ारों गाँवों को वर्तमान में पीने तथा अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिये पानी की कमी की विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।"
- रिपोर्ट के लेखकों, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञ शामिल थे, ने रिपोर्ट में कहा कि हिमालयी क्षेत्र में छोटे आवासों के लिये जल प्रदान करने वाले लगभग 60% निम्न-निर्वहन वाले झरनों ने पिछले कुछ दशकों में स्पष्ट गिरावट दर्ज की है।
- इसके अलावा हिमालय में कृषि क्षेत्र के लगभग 64% भाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही ये प्राकृतिक झरने अक्सर इस क्षेत्र में सिंचाई के एकमात्र स्रोत होते हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 3,810 गाँवों में झरनों की उपस्थिति के साथ मेघालय में सभी पूर्वी हिमालयी राज्यों की तुलना में इन जल स्रोतों की सबसे ज़्यादा संख्या थी, वहीं सबसे अधिक घनत्व सिक्किम में था जहाँ 94% गाँवों में झरने थे।
- पश्चिमी हिमालय में सबसे ज़्यादा 3,313 गाँवों में झरने और 50.6% का सर्वाधिक घनत्व, दोनों जम्मू-कश्मीर में थे।

शिमला का संकट

- हाल ही में पहाड़ी क्षेत्र में विकट संकट की स्थिति तब स्पष्ट रूप से देखी गई जब हिमाचल प्रदेश के आधे दर्जन ज़िलों और राज्य की राजधानी शिमला को मुख्य जल स्रोतों के पूर्णत: या आंशिक रूप से सूख जाने के बाद इसी वर्ष मई माह में गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा।
- जबकि राज्य अधिकारियों के अनुसार, खराब जल प्रबंधन को मुख्य कारण माना गया, लेकिन इस संकट के योगदानकर्त्ता के रूप में उन्होंने झरनों से निम्न जल प्रवाह और कम बर्फ के पिघलने को भी ज़िम्मेदार ठहराया।

झरनों में प्रदूषण

- रिपोर्ट में कहा गया है कि झरनों में प्रदूषण के कई स्रोत पाए गए और यह भूगर्भीय या 'प्राकृतिक' और मानवजनित या मानव निर्मित दोनों के कारण हुआ। माइक्रोबियल सामग्री, सल्फेट्स और नाइट्रेट का कारण मुख्य रूप से मानवजनित स्रोत थे एवं फ्लोराइड, आर्सेनिक व लौह से प्रदूषण का कारण मुख्य रूप से भूगर्भीय स्रोत थे।
- झरनों के पानी में कोलिफोर्म बैक्टीरिया (Coliform Bacteria) सेप्टिक टैंक, घरेलू अपशिष्ट जल, पशुधन और स्रोत क्षेत्र में खाद से या झरने को जलीय चट्टानी परत से जल प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह झरनों में नाइट्रेट के स्रोत का कारण सेप्टिक टैंक, घरेलू अपशिष्ट जल, कृषि उर्वरक और पशुओं से है।

झरनों के प्रंबंधन हेतु कार्य-योजना

- विशेषज्ञ समूह, झरनों के प्रबंधन हेतु बहुआयामी, सहयोगी दृष्टिकोण जिसमें झरना जल प्रबंधन के मौजूदा कार्यों के साथ-साथ निकाय को व्यवस्थित रूप से और अधिक मज़बूती प्रदान करना शामिल होगा, की सिफारिश करता है।
- इस कार्यक्रम को झरना जल प्रबंधन पर जल-भूविज्ञान आधारित, सामुदायिक-समर्थन प्रणाली के हिस्से के रूप में एक एक्शन-रिसर्च प्रोग्राम की अवधारणा पर प्रारूपित किया जा सकता है।

नोट :

- समूह ने इस पर विशेष ध्यान दिया कि "500 कस्बों और 10 शहरों की वज़ह से विकसित होते शहरीकरण के कारण भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 60,000 से अधिक गाँवों के जल संसाधनों पर जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है।"
- यह कार्यबल झरना जल प्रबंधन का कायापलट करने के लिये 8 साल के कार्यक्रम अपनाए जाने हेतु विचार करता है। इसमें शामिल हैं: देश के झरनों के लिये डिजिटल एटलस तैयार करना, 'पैरा-हाइड्रोजियोलॉजिस्ट' को प्रशिक्षण देना जो 'झरना स्वास्थ्य कार्ड' के ज़मीनी स्तर पर संरक्षण और भूमिका का नेतृत्व कर सकते हैं।

बाढ़ के बाद केरल की नदियों में पानी का स्तर गिरा

चर्चा में क्यों ?

अगस्त माह के मध्य में आई विनाशकारी बाढ़ के लगभग तीन हफ्ते बाद केरल में अजीब घटना देखने को मिली। यहाँ बाढ़ के कारण नदियों के जल स्तर में जो वृद्धि हुई थी वह दूसरे दिन अचानक तेज़ी से कम हो गई।

प्रमुख बिंदु

- भरतपुझा नदी का तल जल स्तर कम हो जाने से कई जगहों पर दिखाई देने लगा है। कई अन्य नदियों का भी जल स्तर गिरना शुरू हो गया है, जिसने राज्य में संभावित सूखे की स्थिति के बारे में अटकलों को मज़बूती प्रदान की है, विशेषकर पूर्वोत्तर मानसून के विफल रहने की दशा में यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- जबकि विशेषज्ञों ने इस तरह के भय को दूर किये जाने की मांग की है, इस घटना ने राज्य में जल की कमी की समस्या को उजागर कर दिया है।

मुख्य कारण

- केंद्र सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र (CWRDM) के अनुसार, नदियों के गिरते हुए जल स्तर का मुख्य कारण उच्च भूमि क्षेत्रों में ऊपरी मिट्टी का अत्यधिक कटाव और नदियों में गाद निक्षेपण है।
- पहाड़ियों और उच्च भूमि क्षेत्रों में शीर्ष मिट्टी को कई जगहों पर दो मीटर तक की गहराई तक अचानक आई बाढ़ द्वारा हटा दिया गया। जब बाढ़ के कारण ऊपरी मिट्टी बह गई, तो इसके साथ ही वर्षा जल को सोखने की पहाड़ियों की क्षमता भी कम हो गई।
- वनों की कटाई के कारण पारिस्थितिकीय विनाश, उच्च भूमि क्षेत्रों में हानिकारक भूमि उपयोग और धाराओं तथा नदियों में रेत खनन ने ऊपरी मिट्टी के बह जाने और गाद निक्षेपण में योगदान दिया। इन सभी कारणों के ऊपर सूक्ष्म रूप से जलवायु परिवर्तन का भी असर था।
- नदियों के सिकुड़ने के सटीक कारणों को जानने के लिये एक "विस्तृत, स्थान-विशिष्ट भौगोलिक जाँच" आवश्यक है। सरकार ने पहले ही इसके कारणों को ढूंढने का कार्य CWRDM को सौंपा है और उसने जाँच के लिये वैज्ञानिकों का एक पैनल गठित किया है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट, (NIT-C) के विशेषज्ञों ने कहा कि बाढ़ के बाद नदियों और कुओं में जल स्तर का नीचे आना सामान्य बात है।

भूजल स्तर में भी कमी

- सामान्यत: एक नदी मुहाने तक अपने द्वारा लाई गई रेत से होकर ही बहती है। हालाँकि, इस बार बाढ़ के साथ बहाकर लाई गई रेत और मुलायम चट्टानों से नदियाँ भर चुकी हैं अत: नदियों में जल का स्तर कम हो गया। जब नदी का जल स्तर घटता है तो भूजल स्तर का भी तब तक पुन: भरण नहीं हो पाता जब तक नदियाँ और भूजल की तालिका जुड़े हुए न हों।
- उम्मीद है कि भूगर्भीय घटना भविष्य में ठीक हो जाएगी। लेकिन संबंधित अधिकरणों को भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में अवैज्ञानिक निर्माण और खनन कार्य को रोकना चाहिये क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ नाजुक पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएँ पैदा कर रही हैं।

देश के अधिकांश नदी खंड प्रदूषित : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या में वृद्धि हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- CPCB के आकलन के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी खंडो की संख्या 351 हो गई है उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व यह संख्या 302 थी।
- ऐसे प्रदूषित खंड जिनके पानी कि गुणवत्ता सबसे अधिक खराब है, की संख्या 45 हो गई है, जबकि 2 वर्ष पूर्व यह संख्या 34 थी।
- इस आकलन के अनुसार, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई नदी खंड महाराष्ट्र, असम तथा गुजरात की नदियों की तुलना में कम गंदे हैं।
- 351 में से 117 प्रदूषित नदी खंड केवल तीन राज्यों महाराष्ट्र, असम तथा गुजरात में हैं।

सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंड:

- मीठी नदी का पोवाई से धारावी खंड- यहाँ BOD (Biochemical Oxygen Demand) 250mg/l है।
- गोदावरी नदी का सोमेश्वर से राहेद खंड- यहाँ BOD 5.0 से 80 mg/l है।
- साबरमती नदी का खेरोज से वाउथा नदी खंड- यहाँ BOD 4.0 से 147mg/l है।
- हिंडन नदी का सहारनपुर से ग़ाज़ियाबाद खंड- यहाँ BOD 48 से 120mg/l है।
- उत्तर प्रदेश में प्रदूषित हिस्सों के संकलन में गंगा नदी को 5-8.8 mg/l की BOD रेंज के साथ 'प्राथमिकता 4' नदी के रूप में इंगित किया गया है।

CPCP का मापन आधार

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 1990 के दशक से ही BOD मापन के आधार पर नदियों की गुणवत्ता निगरानी से संबंधित कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।
- नदी में BOD का स्तर जितना अधिक होता है नदी उतनी ही अधिक प्रदूषित मानी जाती है।
- नदी का स्वास्थ्य तथा जल के उपचार के लिये किये गए उपायों की प्रभाविता को BOD के स्तर के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है।
- 30mg/l के बराबर या उससे अधिक BOD स्तर वाली नदी को 'प्राथमिकता-1' की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 1 से 6mg/l के BOD स्तर वाली नदियों को प्राथमिकता श्रेणी-5 में रखा जाता है।
- 3mg/l से नीचे के BOD स्तर वाली नदियों को CPCB स्वस्थ नदी मानता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

ई-कचरे का खतरनाक संग्रहण : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कई इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट (e-waste) पुनर्चक्रण केंद्र (recyclers) कचरे का पुनर्चक्रण नहीं कर रहे हैं और कुछ तो खतरनाक परिस्थितियों में इसे संगृहीत कर रहे हैं, जबकि अन्य के पास इस तरह के कचरे का प्रबंधन करने की क्षमता भी नहीं है।

नोट :

भारत में पुनर्चक्रण केंद्र

- भारत में अब तक 178 पंजीकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र हैं जिन्हें ई-कचरे को संसाधित करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- भारत एक साल में लगभग दो लाख टन ई-कचरे का उत्पादन करता है और इसकी अधिकांश मात्रा को अनौपचारिक क्षेत्र में संसाधित किया जाता है।

ई-कचरा प्रबंधन नियम

- ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अक्तूबर 2016 से प्रभाव में आया।
- ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता, उपचारकर्त्ता व उपयोग- कर्त्ताओं आदि सभी पर लागू होंगे।
- अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई-कचरे के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा, न कि उसमें से कीमती धातुओं को निकालने के बाद।
- इस नियम से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 प्रभावी था।

ई-कचरा प्रबंधन संशोधन नियम

- ई-कचरा संग्रहण के नए निधार्रित लक्ष्य 1 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्न चरणों में ई-कचरे का संग्रहण लक्ष्य 2017-18 के दौरान उत्पन्न किये गए कचरे के वज़न का 10 फीसदी होगा जो 2023 तक प्रतिवर्ष 10 फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023 के बाद यह लक्ष्य कुल उत्पन्न कचरे का 70 फीसदी हो जाएगा।
- यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों की औसत आयु से कम होंगे तो ऐसे में नए ई-उत्पादकों के लिये ई-कचरा संग्रहण हेतु अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।
- उत्पादों की औसत आयु समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- हानिकारक पदार्थों से संबधित व्यवस्थाओं में आरओएच के तहत ऐसे उत्पादों की जाँच का खर्च सरकार वहन करेगी यदि उत्पाद आरओएच की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो उस हालत में जाँच का खर्च उत्पादक को वहन करना होगा।
- उत्पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिये खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
- 22 मार्च, 2018 को अधिसूचना जीएसआर 261 (ई) के तहत ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमों के अनुपालन की जाँच

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह जाँचने के लिये अधिकार दिया जाता है कि रीसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) एजेंसियाँ नियमों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई जाँच

- पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2018 में 11 पंजीकृत केंद्रों और एक गैर-नियंत्रित पुनर्चक्रण केंद्र की जाँच की।
- पर्यावरण मंत्रालय ने जिन पुनर्चक्रण केंद्रों की जाँच की वे कानपुर, ठाणे (मुंबई), वापी (गुजरात), कोलकाता, बंगलूरू और अलवर (राजस्थान) में स्थित हैं।
- इन जाँचों के बाद मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा कि इन पुनर्चक्रण केंद्रों में कई तरह के उल्लंघन पाए गए जैसे- ई-कचरे का भंडारण, हैंडलिंग और प्रसंस्करण के गैर-पर्यावरणीय तरीके अपनाना और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन न करना आदि। इसके अलावा कुछ पुनर्चक्रण केंद्र ऐसे थे जो परिचालन में नहीं थे या ई-कचरे का प्रबंधन करने के लिये ये केंद्र पर्याप्त नहीं थे।

कचरा निपटान के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं

- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कानपुर स्थित पुनर्चक्रण केंद्र खान ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया गया जिसे वार्षिक रूप से 7,190 टन ई-कचरा इकट्ठा करने, भंडारण करने, सभी विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग करने और उसका निपटान करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- विभिन्न प्रकार के ई-कचरे में एयर कंडीशनर कंप्रेसर, टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर और सर्किट बोर्ड आदि शामिल हैं। लेकिन जाँच में पाया गया गया कि यह कंपनी किसी भी प्रकार के ई-कचरे का पुनर्चक्रण नहीं करती है बल्कि केवल मैन्युअल रूप से उनमें उपस्थित घटकों को हटा देती है। इसके अलावा, यहाँ खतरनाक कचरे के निपटान के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं है।

नोट :

क्या है ई-कचरा ?

- देश में जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन बढ़ा है, उसी अनुपात में ई-कचरा भी बढ़ा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल हैं।
- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण और टी.वी., वाशिंग मशीन व फ्रिज़ जैसे घरेलू उपकरण (इन्हें White Goods कहा जाता है) और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उनसे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन/उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है।
- ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी वस्तुएँ जिन्हें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ तो जुड़ी हैं ही, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ई-कचरे का प्रभाव

- ई-कचरे में शामिल विषैले तत्त्व तथा उनके निस्तारण के असुरक्षित तौर-तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं।
- माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं, जिन्हें ज़हरीला माना जा सकता है और जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिये घातक होते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये घातक हैं।

निष्कर्ष

भले ही ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में नियम लागू किये गए हैं लेकिन ये नियम केवल तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट को देखकर यही कहा जा सकता है कि नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चक्रवाती तूफान 'डे' (DAYE)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्नचक्रवाती तूफान ओडिशा के तट पर पहुँचा। उल्लेखनीय है कि 'डे' (DAYE) नामक यह चक्रवाती तूफ़ान इस साल बंगाल की खाड़ी में उठने होने वाला पहला तूफान है जिसका नामकरण किया गया है और इसका यह नाम म्यांमार ने रखा है।

चक्रवात

- चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज़ आँधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्द्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्द्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में (Counter-Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा (Clockwise) में चलते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है।

भारत में आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।
- भारतीय उपमहाद्वीप के आस-पास उठने वाले तूफान घड़ी चलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान है जो विशाल निम्न दबाव केंद्र और भारी तड़ित-झंझावतों के साथ आता है और तीव्र हवाओं व घनघोर वर्षा की स्थिति उत्पन्न करता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है।
- ऐसे चक्रवात मुख्यत: 30° उत्तरी एवं 30° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति हेतु उपरोक्त दशाएँ यहाँ मौजूद होती हैं।
- भूमध्य रेखा पर निम्न दाब के बावजूद नगण्य कोरिओलिस बल के कारण पवनें वृत्ताकार रूप में नहीं चलतीं, जिससे चक्रवात नहीं बनते।
- दोनों गोलार्द्धों में 30° अक्षांश के बाद ये पछुआ पवन के प्रभाव में स्थल पर पहुँचकर समाप्त हो जाती हैं।
- वृहद् समुद्री सतह जहाँ तापमान 27°C से अधिक हो, कोरिओलिस बल का होना, उर्ध्वाधर वायु कर्तन (Vertical Wind Shear) का क्षीण होना, समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण आदि इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिये अनुकूल स्थितियाँ हैं।

चक्रवातों का नामकरण

- हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाइलैंड) एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं।
- जैसे ही चक्रवात इन आठों देशों के किसी भी हिस्से में पहुँचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है।
- इस प्रक्रिया के चलते तूफ़ान को आसानी से पहचाना जा सकता है और बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। किसी नाम का दोहराव नहीं किया जाता है।
- नामकरण करने वाला शासी निकाय क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Specialised Meteorological Centre- RSMC), नई दिल्ली में स्थित है।
- प्रत्येक देश उन दस नामों की एक सूची तैयार करता है जो उन्हें चक्रवात के नामकरण के लिये उपयुक्त लगते हैं। शासी निकाय अर्थात् RSMC प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए नामों में आठ नामों को चुनता है और उसके अनुसार आठ सूचियाँ तैयार करता है जिनमें शासी निकाय द्वारा अनुमोदित नाम शामिल होते हैं।
- वर्ष 2004 से चक्रवातों को RSMC द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार नामित किया जाता है।

नोट :

चक्रवातों के नामकरण का इतिहास

- 1900 के मध्य में समुद्री चक्रवाती तूफान का नामकरण करने की शुरुआत हुई ताकि इससे होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके, संदेश आसानी से लोगों तक पहुँचाया जा सके तथा सरकार और लोग इसे लेकर बेहतर प्रबंधन और तैयारियाँ कर सकें, लेकिन तब नामकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित नही थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, नामकरण की विधिवत प्रक्रिया बन जाने के बाद से यह ध्यान रखा जाता है कि चक्रवाती तूफानों का नाम आसान और याद रखने लायक होना चाहिये इससे स्थानीय लोगों को सतर्क करने, जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है।
- 1950 के मध्य में नामकरण के क्रम को और भी क्रमवार ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों ने इसकी बेहतर पहचान के लिये इनके नामों को पहले से क्रमबद्ध तरीके से रखने हेतु अंग्रेज़ी वर्णमाला के शब्दों के प्रयोग पर ज़ोर दिया।
- 1953 से मायामी नेशनल हरीकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (WMO) तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आ रहा है। WMO जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है।
- पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था क्योंकि ऐसा करना विवादास्पद काम था। इसके पीछे कारण यह था कि जातीय विविधता वाले इस क्षेत्र में सावधान और निष्पक्ष रहने की जरूरत थी ताकि यह लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाए।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक मुद्दे

परिवार कानून सुधार पर विधि आयोग का परामर्श पत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र ज़ारी करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

प्रमुख बिंदु:

- अपनी सिफारिशों में विधि आयोग ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिये ही खतरा बन जाए।
- साथ ही यह भी कहा कि एक एकीकृत राष्ट्र को "समानता" की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह हमें मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ अपनी विविधता को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।
- चूँकि अंतर किसी मज़बूत लोकतंत्र में हमेशा ही भेदभाव नहीं दर्शाता है। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का अर्थ केवल तभी चरितार्थ होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति को आश्वस्त करता है।
- धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों ही विविधता को बहुमत के शोरगुल में कम नहीं किया जा सकता है, साथ ही धर्म के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को वैधता प्राप्त करने के लिये उसे विश्वास के जामा के पीछे छिपाना नहीं चाहिये।

सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना:

- आयोग ने आगे के लिये रास्ता बताते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता समस्या का समाधान नहीं है बल्कि सभी व्यक्तिगत कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि उनके पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य प्रकाश में आ सकें और संविधान के मौलिक अधिकारों पर इनके नकारात्मक प्रभाव का परीक्षण किया जा सके।
- क्योंकि कानूनों को संहिताबद्ध करने के परिणामस्वरूप व्यक्ति कुछ हद तक सार्वभौमिक सिद्धांतों तक पहुँच सकता है जो समान संहिता की बजाय समानता को लागू करने को प्राथमिकता देता है।
- यह देखते हुए कि विवाह और तलाक के मामलों को अतिरिक्त न्यायिक रूप से सुलझाया जा सकता है, यह कानून के पूरी तरह से उपयोग करने के कई रूपों को हतोत्साहित करेगा।
- इसने विवाह और तलाक के लिये कुछ उपायों का भी सुझाव दिया जो सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।
- इनमें लड़कों एवं लड़कियों के विवाह लिये 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में स्वीकार करना ताकि वे बराबरी की उम्र में विवाह कर सकें, व्यभिचार को पुरुष एवं महिलाओं के तलाक के लिये आधार बनाना और तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे सुझाव शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को अपराधमुक्त घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशीय संवैधानिक खंडपीठ ने चार अलग-अलग लेकिन समेकित निर्णयों में आपसी सहमति से दो समान लिंग वाले व्यक्तियों के बीच बनने वाले यौन संबंधों को वैध घोषित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसने 2013 के फैसले को संवैधानिक रूप से अस्वीकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिकता को अपराध मानने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था।
- पाँच न्यायाधीशीय खंडपीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने की और इसमें जस्टिस आर.एफ. नरीमन, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा शामिल थे।
- यह फैसला नर्तक जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ रितु डालमिया, होटल उद्यमी अमन नाथ और केशव सूरी तथा बिज़नेस एक्जीक्यूटिव आयशा कपूर द्वारा दायर की गई पाँच याचिकाओं के संबंध में था।
- इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई चार दिवसीय सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि वह याचिकाओं का प्रतिरोध नहीं करेगा और फैसले को "न्यायालय की बुद्धिमत्ता" पर छोड़ देगा।

क्या है धारा 377 ?

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 का संबंध अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों से है। इसके अनुसार यदि दो लोग आपसी सहमति अथवा असहमति से आपस में अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और दोषी करार दिये जाते हैं तो उनको 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है। अधिनियम में इस अपराध को संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध माना गया है।
- यद्यपि व्यक्ति के चयन की स्वतंत्रता को महत्त्व देते हुए 2009 में हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से एकांत में बनाए जाने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करने का निर्णय दिया था। किंतु 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता की स्थिति में उम्रकैद के प्रावधान को पुन: बहाल करने का फैसला दिया गया।

विश्व में भूख की समस्या में लगातार तीसरे वर्ष बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि 2030 तक भूख की समस्या को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को बाधित करते हुए संघर्षों एवं जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप लगातार तीसरे वर्ष 2017 में वैश्विक भूख की समस्या में वृद्धि हुई।

प्रमुख बिंदु

- खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति की विश्व 2018 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग पूरे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भूख की समस्या बढ़ रही है तथा 2017 में नौ में से एक व्यक्ति या 821 मिलियन लोग भूख से ग्रसित रहे।
- इस बीच, 2014 के 600 मिलियन की तुलना में मौजूदा समय में 672 मिलियन या आठ में से एक से भी अधिक वयस्क मोटापे से ग्रस्त हैं। सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि "और अधिक प्रयास किये बिना, 2030 तक भूख उन्मूलन के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है।"
- यह लगातार तीसरा वर्ष था जब एक दशक तक गिरावट के बाद वैश्विक भूख के स्तर में वृद्धि हुई है। तापमान में बढ़ती विविधता; तीव्र, अनियमित वर्षा और बदलते मौसम आदि ने खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले वर्ष 51 देशों में लगभग 124 मिलियन लोगों ने संघर्ष और जलवायु आपदाओं से प्रेरित भूख के संकट के स्तर का सामना किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन, सोमालिया, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान जैसे कई राष्ट्र जो लंबे समय से संघर्षों से जूझ रहे हैं, सूखे और बाढ़ जैसे एक या अधिक जलवायु खतरों से भी पीड़ित हैं।
- हाल ही में चैरिटी सेव द चिल्ड्रेन ने चेतावनी दी कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में वित्तपोषण कम होने और युद्धरत दलों द्वारा खाद्य आपूर्ति रोके जाने से 600,000 बच्चे इस वर्ष के अंत तक चरम भूख की वजह से मर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दक्षिण अमेरिका में भूख की बदतर स्थिति, क्षेत्र की मुख्य निर्यातक वस्तुओं - विशेष रूप से कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण अनुमानत: 2.3 मिलियन लोगों ने जून माह में वेनेज़ुएला छोड दिया था।

नोट :

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन की अनिश्चित या अपर्याप्त उपलब्धता मोटापे में भी योगदान देती है क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधन वाले लोग सस्ते, ऊर्जा-सघन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं जिसमें वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा शामिल होती है।
- भोजन की अनुपलब्धता से मनोवैज्ञानिक और उपापचयी परिवर्तन भी हो सकते हैं। भ्रूणावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में भोजन की अनुपलब्धता जीवन में आगे चलकर मोटापे को आमंत्रित करता है।
- भूख की समस्या का हल गरीबी को समाप्त करने से हो सकता है तथा इसके लिये परिवर्तनकारी निवेश की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ बड़े एवं विकसित देश इस दिशा में मानवीय सहायता के रूप में बेहतर कार्य कर रहे हैं लेकिन ये प्रयास समस्या के मूल कारणों को लक्षित नहीं करते हैं, अत: भूख की समस्या अभी भी विकट बनी हुई है।

आत्महत्या करने वाली 37% महिलाएँ भारतीय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए इंडिया स्टेट लेवल रोग बर्डन इनिशिएटिव नामक एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार, भारत में 15-39 साल की आयु वर्ग में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), भारत के लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान सहित अन्य संस्थानों का संयुक्त अध्ययन है।
- दुनिया भर में इस प्रकार की मौतों यानी आत्महत्या से करने वाली महिलाओं में से 37 प्रतिशत हिस्सा भारतीय महिलाओं का है, वहीं बुज़ुर्गों में आत्महत्या की दर पिछली तिमाही में बढ़ी है। हाल ही में इन तथ्यों का खुलासा किया गया है।
- वैश्विक रूप से आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों में भारत की आनुपातिक संख्या उच्च गति से बढ़ रही है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2016 में 15-39 साल की आयु वर्ग के लोगों द्वारा आत्महत्या, भारत में मौत का एक प्रमुख कारण था जहाँ महिलाओं के बीच आत्महत्या के कारण मौत का प्रतिशत 71.2 था, तो वहीं पुरुषों के बीच इस आयु वर्ग में यह प्रतिशत 57.7 था।
- वर्ष 1990 से 2016 के दौरान दुनिया भर में आत्महत्या के कारण हुई कुल मौतों में भारत का बहुत अधिक योगदान रहा, विशेष रूप से महिलाओं में इसकी वृद्धि चिंता का कारण है।
- वैश्विक रूप से आत्महत्या के कारण मौतों में भारत का योगदान 1990 के 25.3% से बढ़कर 2016 में 36.6% और महिलाओं के बीच 18.7% से बढ़कर 24.3% हो गया।
- यदि आत्महत्या की दर में कमी नहीं होती है तो वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की संभावना शून्य हो जाएगी।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, नगालैंड में सबसे कम जबकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएँ होती हैं।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये SDR लगातार उच्च था।

HIV और LGBTQ+ समुदाय सहित सभी मरीज़ों का बिना भेदभाव के समान रूप से चिकित्सा उपचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए एक चार्टर का लक्ष्य है कि एचआईवी रोगियों और LGBTQ+ समुदाय सहित सभी मरीज़ों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से चिकित्सा सुबिधा उपचार प्राप्त हो।

चार्टर संबंधी प्रमुख बिंदु

- मरीज़ों के अधिकारों से संबंधित यह चार्टर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा तैयार किया गया है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप देने हुए स्वास्थ्य मंत्रालय इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू करने की योजना बना रहा है।
- इस चार्टर का उद्देश्य चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों द्वारा LGBTQ+ समुदाय और एचआईवी रोगियों समेत सभी मरीज़ों को उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- इस चार्टर के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन का यह कर्त्तव्य है कि अस्पताल से प्राप्त होने वाली सुविधाओं में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो।

क्यों महत्त्वपूर्ण है चार्टर ?

- समलैंगिक पुरुष और ट्रांसजेंडर, भारत में एचआईवी/एड्स से प्रभावित महत्त्वपूर्ण समूहों में से हैं।
- इसके अलावा LGBTQ + समुदाय और एचआईवी रोगियों को सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जो स्वास्थ्य देखभाल के अपने अधिकार को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- लगभग डेढ़ साल तक PLHIVs (एचआईवी ग्रसित लोग) समुदायों ने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, अस्पतालों या क्लीनिकों द्वारा सकारात्मक परीक्षण किये जाने के बाद भी कई चुनौतियों का सामना किया है।
- आज भी LGBTQ + समुदाय PLHIVs समुदाय, का हिस्सा होने के दोहरे कलंक का सामना कर रहा है।
- उनके इस कलंक को दूर करने और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्रदान करने की सख्त आवश्यकता थी, अत: सरकार LGBTQ+ समुदाय और एचआईवी/एड्स रोगियों के स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

एचआईवी और एड्स सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के बारे में

- हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एचआईवी और एड्स सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के प्रवर्तन की घोषणा की है।

अधिनियम का उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी के शिकार और प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधित भेदभाव, कानूनी दायित्त्व को शामिल करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शिकायतों और शिकायत निवारण के लिये औपचारिक व्यवस्था करना है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकना और नियंत्रित करना है।
- यह अधिनियम एचआईवी और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को उनके उपचार के संबंध में सूचित करने के साथ ही गोपनीयता प्रदान करता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिये प्रतिष्ठानों को उनके दायित्वों के लिये उत्तरदायी ठहराता है।
- उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को 20 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने जारी की HIV आकलन रिपोर्ट 2017

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation- NACO) ने HIV आकलन रिपोर्ट 2017 जारी की।

HIV आकलन रिपोर्ट 2017 के अनुसार

- 2017 में भारत में HIV पीड़ित लोगों (PLHIV) की संख्या लगभग 21.40 लाख थी, इनमें वयस्क पीड़ित की संख्या 0.22 फीसदी थी।
- वर्ष 2017 में HIV संक्रमण के लगभग 87,580 नए मामले सामने आए और 69,110 लोगों की एड्स से संबंधित बीमारियों से मौत हुई।
- इस दौरान माँ से बच्चों में HIV के संक्रमण को रोकने के लिये 22,675 माताओं को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) की ज़रूरत पड़ी। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) शरीर में HIV वायरस को बढ़ने से रोकती है।

नोट :

- राष्ट्रीय स्तर पर HIV के फैलने की गति कम रही, लेकिन देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों और कुछ खास समुदायों में इस महामारी में वृद्धि हुई है।
- हाल के वर्षों की तुलना में HIV संक्रमण के नए मामलों की गति में कमी आई है।
- 1995 में एड्स महामारी की अधिकता की तुलना में कार्यक्रम के प्रभाव से इसके संक्रमण में 80 फीसदी से अधिक की कमी आई है।
- इसी तरह 2005 में एड्स के कारण हुई मौतों की अधिकता की तुलना में 71 फीसदी की कमी आई है।
- UN-एड्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, एड्स के नए संक्रमण और एड्स से संबंधित बीमारियों के कारण मौतों का वैश्विक औसत घटकर क्रमश: 47 फीसदी और 51 फीसदी तक आ गया है।

HIV आकलन रिपोर्ट के बारे में

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (National AIDS Control Programme- NACP) के तहत HIV आकलन रिपोर्ट, HIV श्रृंखला का 14वाँ संस्करण है।
- यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकीय संस्थान के सहयोग से द्विवार्षिक HIV आकलन रिपोर्ट जारी करता है।
- भारत में HIV आकलन का पहला संस्करण 1998 में आया था, जबकि पिछला संस्करण वर्ष 2015 में जारी हुआ था।
- HIV आकलन का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर HIV महामारी की स्थिति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना है।

HIV आकलन की आवश्यकता

- ऐसे आकलन की ज़रूरत इसलिये पड़ती है, क्योंकि ऐसे महत्त्वपूर्ण संकेतकों को मापने का कोई भरोसेमंद उपाय नहीं है, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के देशों में महामारी की निगरानी करने और इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के आकलन के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो 35 HIV/एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत में HIV/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिये नेतृत्व प्रदान करता है।
- 1986 में, देश में पहले एड्स मामले की पहचान के बाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एड्स समिति गठित की गई थी।
- एड्स के विस्तार के साथ ही भारत में इसके प्रति जागरुकता लाने तथा रोकथाम के उपाय अपनाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत महसूस होने लगी।
- 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1992-1999) शुरू किया गया था और कार्यक्रम को लागू करने के लिये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) का गठन किया गया था।

असम के डायन विरोधी कानून को राष्ट्रपति की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 (Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Bill, 2015) को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है, साथ ही इसने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रही 65 वर्षीय महिला के अभियान को फिर से जीवंत कर दिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अधिनियम के तहत अपराध को "संज्ञेय तथा गैर-जमानती" बनाया गया है। इसके तहत किसी महिला को डायन कहने पर सात साल की सज़ा तथा 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नोट :

- यदि किसी महिला को डायन बताकर उसकी हत्या की जाती है तो उस अपराधी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिये सज़ा) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
- बीरुबाला रभा 1996 में अपने बेटे का इस सामाजिक बुराई का शिकार होकर हत्या किये जाने के बाद इस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं।
- स्थानीय जादूगरों (shaman) द्वारा बहिष्कार किये जाने की आशंका के बावजूद वह आत्मविश्वास के साथ डटी रहीं और इस अंधविश्वास के खिलाफ मिशन शुरू करने से पहले 50 से अधिक महिलाओं को डायन के रूप में चिन्हित होने से बचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की।
- इस कानून के पीछे एक और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पुलिस महानिदेशक कुलधर साइकिया हैं। कोकराझार ज़िले के उप महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए उन्होंने 2001 में प्रोजेक्ट प्रहरी लॉन्च किया और इस सामाजिक बुराई पर नियंत्रण के लिये सामाजिक अभियानों के साथ सामान्य पुलिस व्यवस्था का भी सहयोग लिया।
- यह कानून वर्तमान संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि संचार तकनीक का उपयोग अंधविश्वास, काला जादू और सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है जिसके घातक परिणाम होते हैं और इसमें मुख्य रूप से गरीब समूहों का जीवन प्रभावित होता है।
- झारखंड, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में अलग-अलग डायन प्रताड़ना अधिनियम बनाए गए हैं, इनमें असम अधिनियम को सबसे मज़बूत माना जाता है क्योंकि यह इस तरह के अपराध को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक संज्ञेय, गैर-जमानतीय अपराध बनाता है।

दुनिया भर में हर 5 सेकंड में 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मृत्यु : यूएन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग तथा विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टीमेशन (IGME) ने शिशु मृत्यु दर अनुमान पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 15 वर्ष से कम आयु के 6.3 मिलियन या प्रत्येक 5 सेकंड में 1 बच्चे की मृत्यु हुई है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक जगह बच्चों के लिये जीवन की सबसे जोखिम भरी अवधि उसके जन्म का पहला महीना होता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 के पहले महीने में 2.5 मिलियन नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 5.4 मिलियन मौतें जीवन के पहले पाँच वर्षों में हुईं जो कुल नवजात शिशु मृत्यु के करीब आधे हिस्से के बराबर है।
- इसके अलावा उप-सहारा अफ्रीका या दक्षिण एशिया में पैदा हुए बच्चे की उच्च आय वाले देश में पैदा हुए बच्चे की तुलना में पहले महीने में मृत्यु होने की संभावना नौ गुना अधिक थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से लेकर अब तक पाँच वर्ष से कम उम्र के नवजात शिशुओं को बचाने की प्रगति धीमी रही है।
- 5 वर्ष से कम उम्र के अधिकांश बच्चों की मृत्यु निमोनिया, दस्त मलेरिया तथा नवजात शिशु संबंधी रोग (neonatal sepsis) के कारण उत्पन्न जटिलताओं की रोकथाम के अभाव या समय पर इलाज नहीं होने के कारण हो जाती है।
- इस आयु वर्ग में क्षेत्रीय भिन्नताएँ मौजूद हैं, उप-सहारा अफ्रीका के बच्चों की मृत्यु का जोखिम यूरोप की तुलना में 15 गुना अधिक है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों के भीतर भी असमानताएँ दिखाई देती हैं। पाँच वर्ष की आयु के शिशुओं की मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में 50% अधिक है।
- इसके अलावा, अशिक्षित माताओं के बच्चों की मृत्यु की संभावना उच्च शिक्षित माताओं से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में दोगुने से अधिक होती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो 2030 तक पाँच साल से कम उम्र के 56 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी जिसमें आधे नवजात शिशु होंगे।

नोट :

भारत की स्थिति

- UN IGME की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2017 में 6,05,000 नवजात शिशुओं की मौत हुई, जबकि पाँच से 14 साल आयु वर्ग के 1,52,000 बच्चों की मृत्यु हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भारत में करीब 8,02,000 बच्चों की मौत हुई।
- यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि यासमीन अली हक के मुताबिक शिशु मृत्यु दर की रोकथाम के मामले में भारत में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में जन्म से लेकर पाँच वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों की मृत्यु दर इसी आयु वर्ग के जन्म दर के समान है।
- अस्पतालों में प्रसव कराए जाने में वृद्धि, नवजात शिशुओं के देखभाल के लिये सुविधाओं का विकास और टीकाकरण की बेहतर व्यवस्था होने से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
- नवजात शिशु मृत्यु दर 2016 के 8.67 लाख के मुकाबले कम होकर 2017 में 8.02 लाख हो गई 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 44 शिशु प्रति 1,000 थी।
- यदि लैंगिक आधार पर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2017 में लड़कों के मामले में यह प्रति 1,000 बच्चों पर 30 थी, जबकि लड़कियों में यह प्रति 1,000 पर 40 थी।
- सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले पाँच वर्षों में लिंगानुपात में सुधार आया है, साथ ही बालिकाओं के जन्म और जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई है।
- पोषण' अभियान के तहत जरूरी पोषक तत्त्व मुहैया कराने और देश को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कराने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों से भी फर्क पड़ेगा।

समाधान

- हालाँकि दुनिया भर में 1990 से लेकर अब तक बच्चों के जीवन को बचाने के लिये उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन अभी भी लाखों बच्चे मर रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाओं, स्वच्छ जल, बिजली तथा टीकों जैसे सरल समाधानों के साथ बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है।
- वैश्विक स्तर पर 2017 में उप-सहारा अफ्रीका में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मृत्यु का आँकड़ा उनकी कुल संख्या का आधा हिस्सा था, जबकि दक्षिणी एशिया में यह 30% अधिक था।
- रिपोर्ट के अनुसार, इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या में कमी आ रही है।
- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का आँकड़ा जबरदस्त रूप से 1990 के 12.6 मिलियन से घटकर 2017 में 5.4 मिलियन हो गया है।
- 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की मौत के मामले में यह संख्या इसी अवधि में 1.7 मिलियन से घटकर दस लाख हो गई है।

UN IGME के बारे में

- यूएन इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टीमेशन या UN IGME को वर्ष 2004 में बाल मृत्यु दर पर डेटा साझा करने तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अनुमानों को सुसंगत बनाने के लिये गठित किया गया था।
- यह बाल मृत्यु दर अनुमान लगाने के लिये विधियों में सुधार, बाल अस्तित्व के लक्ष्यों की प्रगति पर रिपोर्ट तथा बाल मृत्यु दर का उचित मूल्यांकन कर देशों की क्षमता में वृद्धि करने का काम करता है।
- UN IGME का नेतृत्व यूनिसेफ द्वारा किया जाता है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह और यूनाइटेड नेशन पापुलेशन डिविजन ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनोमिक एंड सोशल अफेयर्स शामिल हैं।

हाथ से मैला ढोने वालों से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

स्वच्छता श्रमिकों के कल्याण के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय, सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग (NCSK) द्वारा एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय, औसत पाँच दिनों में एक व्यक्ति की मौत हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह आँकड़ा, जो अख़बार की रिपोर्टों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों पर आधारित है, सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनर की मौतों के लिये ज़िम्मेदार पहला ऐसा आधिकारिक प्रयास है।
- NCSK के अनुसार, जनवरी 2017 के बाद से हाथ से मैला ढोने वाले खतरनाक कार्यों में नियोजित 123 लोगों ने काम पर रहते हुए अपनी जान गवाँ दी। पिछले एक हफ्ते में अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल छह मौतें देखी गई हैं। हालाँकि, इस अभ्यास में शामिल अधिकारियों ने स्वीकार किया कि आँकड़ों की कमी को देखते हुए भी यह संख्या सकल अनुमान से अधिक हो सकती है।
- सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में नियोजित लोगों की कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। आँकड़ों को संकलित करने के सभी पिछले और जारी अभ्यासों को सूखे शौचालयों, खुली नालियों और गाँवों में एकल गड्ढे वाले शौचालयों से मानव उत्सर्जन को हटाने वालों के लिये लेखांकन तक ही सीमित किया गया है।
- मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ज़हरीले सीवरेज सिस्टम में प्राय: प्रवेश करने के घातक कार्य को शामिल करने वाले अधिक खतरनाक रूपों को आधिकारिक रूप से इसमें दर्ज नहीं किया गया है। यह इसके बावजूद है कि भारत में 1993 के अधिनियम के तहत हाथ से सफाई करने को गैरकानूनी घोषित किया गया था, उसे 2013 में संशोधित किया गया और सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई को भी इसमें शामिल किया गया।
- NCSK के पास उपलब्ध आँकड़ों में 28 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुई मौतों की सूचना है।
- यह आंकड़े दर्ज किये गए उन उदाहरणों से स्पष्ट है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में सर्वाधिक मामलों की संख्या के आधार पर इसी क्रम में हैं। दूसरी तरफ, NCSK के आँकड़े महाराष्ट्र में इस अवधि में सिर्फ दो मौतें को दर्शाते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार, अकेले महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 65,181 परिवार हैं जिनमें कम-से-कम एक व्यक्ति हाथ से मैला ढोने के कार्य में नियोजित है, जो कि देश में सर्वाधिक है और ग्रामीण भारत के कुल 1.82 लाख परिवार जो इस कार्य में लगे हैं, का 35 प्रतिशत है।
- SECC डेटा में भारत के शहरी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जहाँ सीवर की सफाई अधिक बार होती है। SECC के अनुसार, मध्य प्रदेश अपने गाँवों में 23,105 की संख्या के साथ हाथ से मैला ढोने वालों की सर्वाधिक संख्या वाला दूसरा राज्य है लेकिन यह NCSK के आँकड़ों में कोई मौत नहीं दर्शाता है।
- NCSK के आँकड़ों के अनुसार, हाथ से मैला ढोने वालों की मौतों के मामले में कानून के तहत अनिवार्य 10 लाख रुपए का मुआवज़ा 123 मामलों में से केवल 70 मामलों में ही चुकाया गया है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स द्वारा किये जा रहे एक अभ्यास में हाथ से मैला ढोने वाले कार्यों में शामिल लोगों की गणना में आँकड़ों की कमी स्पष्ट देखी जा सकती है । यह गणना 18 राज्यों में केवल 170 ज़िलों तक ही सीमित है। पुन: यह शहरी क्षेत्रों में सीवर साफ करने वालों के साथ-साथ हाथ से मैला ढोने वालों के किसी भी रूप को पूरी तरह से शामिल नहीं करती है।
- गणना प्रक्रिया ज़िलों में सर्वेक्षण शिविर लगाकर केंद्र सरकार की टीमों द्वारा आयोजित की गई, जहाँ हाथ से मैला ढोने में लगे लोग स्व-घोषणा प्रक्रिया के तहत अपना नाम दर्ज करा सकते थे। इसके बाद, राज्यों को पहचान की गई संख्या की पुष्टि करना था।
- हालाँकि जून के अंत तक इस अभ्यास को समाप्त किया जाना था, अधिकारियों ने पुष्टि की कि इसमें इसलिये देर हुई क्योंकि केंद्र सरकार की टीमों और राज्य सरकारों ने अब तक लगभग 50,000 लोगों में से केवल 20,000 लोगों को ही हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के रूप में स्वीकार किया है।
- सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) द्वारा तैयार किये गए आँकड़ों और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्य में लगे लोगों की मौतों की वास्तविक संख्या जनवरी 2017 से अब तक लगभग 300 है।

क्या है हाथ से मैला ढोना (मैनुअल स्केवेंजिंग)?

- किसी व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालयों या सीवर से मानवीय अपशिष्ट (मल-मूत्र) को हाथ से साफ करने, सिर पर रखकर ले जाने, उसका निस्तारण करने या किसी भी प्रकार की शारीरिक सहायता से उसे संभालने को हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्केवेंजिंग कहते हैं।
- इस प्रक्रिया में अक्सर बाल्टी, झाड़ू और टोकरी जैसे सबसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस कुप्रथा का संबंध भारत की जाति व्यवस्था से भी है जहाँ तथाकथित निचली जातियों द्वारा इस काम को करने की उम्मीद की जाती थी।

नोट :

एक दशक में लगभग 271 मिलियन भारतीय गरीबी से हुए मुक्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा 2018 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में जारी किये गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2005-06 के बाद से भारत में 270 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी के चंगुल से मुक्त हुए हैं और देश में गरीबी दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी हो गई है, यह एक आशाजनक संकेत है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं। यह जनसंख्या उन 104 देशों की आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है जिनके लिये 2018 MPI की गणना की गई है।
- इन 1.3 अरब लोगों में से लगभग 46 प्रतिशत लोग गंभीर रूप से गरीबी का सामना कर रहे हैं और MPI के तहत शामिल किये गए आयामों में से कम-से-कम आधे आयामों से वंचित हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी से निपटने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसे में यहाँ "आशाजनक संकेत दिखते हैं कि गरीबी का सामना इस प्रकार किया जा सकता है और इस ढंग से इसका सामना किया जा रहा है।"

नया दृष्टिकोण

- सूचकांक में यह व्यक्त किया गया है कि भारत में गरीबी दर दस साल की अवधि में 55 प्रतिशत से घटकर 28 फीसदी या लगभग आधी हो गई है। भारत पहला ऐसा देश है जिसके लिये समय के साथ प्रगति का अनुमान लगाया गया है।
- हालाँकि गरीबी का स्तर विशेष रूप से बच्चों के मामलों में चौंकाने वाला है, इसलिये भारत में हुई प्रगति का उपयोग इसे सुलझाने में किया जा सकता है।
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो लोगों को गरीबी का अनुभव करने के कई तरीकों को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और यह वैश्विक गरीबी के स्तर तथा इसकी प्रकृति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- हालाँकि समय के साथ प्रगति की समान तुलना अभी तक अन्य देशों के लिये नहीं की गई है लेकिन UNDP के मानव विकास सूचकांक की नवीनतम जानकारी कई उप-सहारा अफ्रीकी देशों समेत सभी क्षेत्रों में विकास की महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

- MPI को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2010 में विकसित किया गया था।
- इस सूचकांक द्वारा गरीबी निर्धारण में आय आधारित सूचकांकों के अलावा विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है।
- इसे पहले के सभी 'मानव गरीबी सूचकांकों' के स्थान पर विकसित किया गया है।

भारत बना यौन अपराधियों की रजिस्ट्री करने वाला 9वाँ देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देश में यौन अपराधों के दोषियों के बारे में जानकारी को डेटा के रूप में उपलब्ध कराने के लिये नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में इस रजिस्ट्री में देश भर में विभिन्न यौन अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए लगभग 4.4 लाख लोगों के नाम और उनका विवरण शामिल हैं।

नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेडंर्स

- इस डाटाबेस में 2005 के बाद यौन अपराधों के लिये दोषी पाए गए लोगों के बारे में प्राप्त जानकारियों को संग्रहित किया गया है जिसमें दोषी का नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट जैसे विवरण शामिल किये गए हैं।

नोट :

- गृह मंत्रालय के अनुसार, डाटाबेस किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता नहीं करेगा।
- नई दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के बाद इस तरह की रजिस्ट्री शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया था।
- डाटाबेस की निगरानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा की जाएगी। NCRB इस पर भी नज़र रखेगा कि राज्य पुलिस समय पर रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है या नहीं।
- इसमें पहली बार अपराध करने वालों से लेकर बार-बार अपराध करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा गया है।
- डाटाबेस में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offenders Act- POCSO) और छेड़खानी के दोषी अपराधियों को शामिल किया जाएगा।

पोर्टल cybercrime.gov.in

- नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स के साथ-साथ एक अन्य पोर्टल gov.in को भी लॉन्च किया गया जिसमें लोग बाल अश्लीलता, बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री और बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने वाली सामग्री आदि के बारे में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज़ करा सकेंगे।
- यह न केवल पीड़ितों/शिकायतकर्त्ताओं की सहायता करेगा बल्कि नागरिक समाज संगठनों और ज़िम्मेदार नागरिकों को गुप्त रूप से ऐसी शिकायतों की रिपोर्ट करने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों की जाँच संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- इसके अलावा पीड़ित या शिकायतकर्त्ता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 'रिपोर्ट और ट्रैक' विकल्प चुनकर अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं।

यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने वाला 9वाँ देश

- भारत NDSO (National Database on Sexual Offenders) कि शुरुआत करने वाला दुनिया का नौवाँ देश बन गया है।
- यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय डाटाबेस रखने वाले अन्य देश हैं- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो।
- उल्लेखनीय है कि इन सभी देशों में मात्र अमेरिका ही ऐसा देश हैं जहाँ इस प्रकार का डाटाबेस आम जनता के लिये उपलब्ध है, अन्य देशों में यह डाटाबेस "जाँच और निगरानी" के उद्देश्य से केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये सुलभ है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

चर्चा में क्यों ?

23 सितबंर, 2018 को रांची, झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की व्यापकता

- इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है। निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
- देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- 5 लाख रुपए की राशि में सभी प्रकार की जाँच, दवा, अस्पताल में भर्ती का खर्च आदि भी शामिल होंगे।
- देश भर के 13,000 से ज़्यादा अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट :

- आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध होगा।
- यह योजना 1,350 चिकित्सा पैकेज को कवर करती है जिसमें सर्जरी, चिकित्सा एवं देखभाल, दवाइयाँ और निदान की लागत आदि शामिल हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पुरानी और नई सभी बीमारियों को शामिल किया गया है।
- यह योजना पेपरलेस तथा कैशलेस होगी।
- उपचार के लिये अस्पताल लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल कर पाएंगे।
- इस योजना के लाभार्थी भारत भर में कही भी सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
- योजना के बारे में जानकारी या सहायता प्राप्त करने अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिये 24X7 हेल्पलाइन नंबर- 14555 उपलब्ध है।

कौन होंगे लाभार्थी ?

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवारों को परिभाषित मानदंडों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है।

SECC के अनुसार योजना के लाभार्थी

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा है।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिसकी मुखिया महिला है और जिसमें 16 से 59 वर्ष आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य दिव्यांग है और उस परिवार में शारीरिक रूप से सक्षम कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, मानवीय आकस्मिक मज़दूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वत: शामिल माने गए हैं जिनके रहने के लिये छत नहीं है, जो निराश्रित, खैरात पर जीवन-यापन करने वाले, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किये गए बंधुआ मजदूर हैं।
- 31 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश योजना लागू करने को तैयार
- 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने के लिये केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, केरल तथा पंजाब ने इस योजना को लागू न करने का विकल्प चुना है।
- उल्लेखनीय है कि तेलंगाना सरकार अपनी योजना आरोग्यश्री को जारी रखेगी जिसके अंतर्गत राज्य के 80 लाख परिवारों को कवर किया जाता है।

लाभार्थियों का निजी डाटा रहेगा सुरक्षित

- स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों के निजी डाटा और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है और इनका इस्तेमाल निर्धारित कानूनी व्यवस्थाओं तथा नियमों के अनुकूल किया जाएगा।
- लाभार्थियों से संबंधित सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तरीकों को अपनाया जा रहा है।
- लाभार्थियों के डेटा के सुरक्षित इस्तेमाल के लिये विभिन्न स्तरों पर 94 से अधिक कंट्रोल सेट बनाए गए हैं।
- आँकड़ों को इकट्ठा करने, उन्हें सुरक्षित रखने और उनके इस्तेमाल के लिये कड़े नियम तय किये गए हैं।

गंभीर कुपोषण से निपटने के लिये पोषण मानदंड

चर्चा में क्यों ?

भारत की शीर्ष पोषण समिति, राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड (National Technical Board on Nutrition- NTBN) ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन से संबंधित मानदंड जारी करने की सिफारिश की है।

नोट :

NTBN की सिफारिशें

- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, दाल और सब्जियों से तैयार ताज़ा भोजन तथा आंगनवाडी केंद्रों द्वारा वितरित किया गया पौष्टिक आहार खिलाना चाहिये।
- छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों को दिया जाने वाला भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त खाद्य सामग्री से तैयार किया जाना चाहिये।
- सिफारिशों के अनुसार, आंगनबाड़ी केंद्रों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता तथा गर्म ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना होगा।
- इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और कंद, विटामिन सी से समृद्ध फलों के साथ-साथ ताजा दूध और हर सप्ताह 3-4 अंडे भी दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार का भोजन स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों, माँ या ग्रामीण समितियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिये।
- दिशा-निर्देशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा या पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजने के लिये आंगनवाड़ी श्रमिकों और सहायक नर्स मिडवाइफ़ (ANM) की भूमिका तय की गई है।
- शेष बच्चों को 'समुदाय आधारित प्रबंधन' के तहत नामांकित किया गया है, जिसमें पोषण संबंधी प्रावधान, प्रगति की निरंतर निगरानी, एंटीबायोटिक दवाओं पर नियंत्रण और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ-साथ परामर्श सत्र और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना शामिल है।
- ये उपाय कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिये 'समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन' का हिस्सा हैं। सरकार ने अब तक केवल गंभीर रूप से कुपोषित ऐसे बच्चों जिनका चिकित्सकीय उपचार जटिल है, को अस्पताल में भर्ती करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इन दिशा-निर्देशों को वर्ष 2011 में सार्वजनिक किया गया था।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, भारत में 5 साल से कम आयु के 7.5% या 8 मिलियन बच्चे गंभीर रूप से वेस्टिंग जैसी समस्या से पीड़ित हैं।

राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड (National Technical Board on Nutrition- NTBN)

- भारत सरकार ने पोषण संबंधी नीतिगत मामलों पर तकनीकी सुझाव देने के लिये 2017 में पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया था।
- बोर्ड की भूमिका सलाहकारी और विशिष्ट होगी।

कार्य

- महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण के बारे में तकनीकी सुझाव देना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक उपायों (व्यवहार परिवर्तन सहित) पर सलाह देना।
- मौजूदा वैज्ञानिक और परिचालित अनुसंधान का विश्लेषण करना, शोध अंतराल की पहचान करना और अनुसंधान संबंधी विषयों पर तकनीकी सिफारिशें देना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, अन्य क्षेत्रों तथा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पोषण सर्वेक्षणों की रूपरेखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अन्य सर्वेक्षणों के साथ उनकी संबद्धता का तकनीकी रूप से मार्गदर्शन करना।
- भारत विशिष्ट विकास संकेतकों का निर्माण करना।

व्यभिचार अब अपराध नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध का दर्जा देने वाली 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसने इस धारा को बरकरार रखा था।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार

- भारतीय दंड संहिता की धारा 497 महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है। अत: यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- धारा 497 स्पष्ट रूप से मनमानी है क्योंकि स्त्री पर पुरुष की कानूनी संप्रभुता गलत है। अत: पत्नी पति की संपत्ति नहीं है।
- व्यभिचार अपराध की अवधारणा में फिट नहीं है। यदि इसे अपराध के रूप में माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की अत्यधिक निजता में अत्यधिक घुसपैठ होगी।
- धारा 497, अनुच्छेद 14 और 15 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है क्योंकि यह लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और इसके तहत केवल पुरुषों को दंडित किया जाता है।
- व्यभिचार को अपराध मानना एक 'पुरातन विचार' है जिसमें पुरुष को अपराधी और महिला को पीड़ित माना जाता है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा नहीं है।
- धारा 497 संस्थागत भेदभाव और विसंगतियों एवं असंगतताओं से भरा हुआ था।
- धारा 497 उस सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार, एक महिला विवाह के साथ अपनी पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है। ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह सिद्धांत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। व्यभिचार अनैतिक हो सकता है लेकिन गैरकानूनी नहीं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 497

- धारा 497 के अनुसार, यदि कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता है तो वह परस्त्रीगमन (व्यभिचार) के अपराध का दोषी होगा।
- परस्त्रीगमन के इस अपराध के लिये पुरुष को पाँच साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकती है।
- ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं होगी।
- इसके अलावा, अगर पति किसी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला के साथ संबंध बनाता है, तो उसे व्यभिचार का अपराधी नहीं माना जाता है।

ब्रिटिश काल के कानून ने महिलाओं को छूट क्यों दी ?

- लॉर्ड मैकॉले के अधीन 1837 के प्रथम विधि आयोग के मूल IPC व्यभिचार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जिसमें इसे केवल एक गलती माना गया था।
- 1860 में सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में द्वितीय विधि आयोग ने व्यभिचार को अपराध तो माना लेकिन एक ऐसे समाज (जहाँ बाल-विवाह, पति-पत्नी की उम्र में बड़ा फासला हो और जहाँ एक से अधिक विवाह करने पर कोई रोक न हो) में महिलाओं को व्यभिचार के लिये सजा से देने से बचाया।
- IPC का मसौदा तैयार करने वालों ने इस फैसले को महिलाओं के प्रति सहानुभूति के रूप में देखा और पुरुषों को असली अपराधी माना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धारा 497 की स्थिति

- 1954 के 'युसूफ अब्दुल अज़ीज बनाम बॉम्बे राज्य' मामले संविधान पीठ ने धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं के पक्ष में किये गए विशेष प्रावधान के रूप में माना क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15(3) विधायिका को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान करने की छूट देता है।
- 1985 के सौमित्र विष्णु मामले में तीन जजों की पीठ ने 1954 के निर्णय को आधार बनाया तथा इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देने की मांग को केवल एक 'भावनात्मक अपील' कहकर खारिज़ कर दिया और कहा कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति भारतीय समाज के लिये ज़्यादा बड़ी बुराई है।
- 1988 के वी.रेवती बनाम भारत संघ मामले में दो जजों की बेंच ने इस कानून में लैंगिक भेदभाव की बात को खारिज़ किया और कहा कि इस कानून में पुरुष ही व्यभिचार का दोषी हो सकता है। तब सर्वोच्च न्यायलय ने कहा था कि किसी वैवाहिक रिश्ते को तोड़ना घर तोड़ने जैसे अपराध से कम गंभीर नहीं है और धारा 497 को समाप्त करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह नीति का सवाल है न कि संवैधानिकता का।

नोट :

वैश्विक परिदृश्य में व्यभिचार

- वर्तमान में कई यूरोपीय राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने व्यभिचार से जुड़े विभिन्न आपराधिक कानूनों को बरकरार रखा है।
- कुछ राज्यों में केवल 'खुले और कुख्यात' व्यभिचार पर प्रतिबंधित लगाए हैं तो कुछ में 'आदतन' व्यभिचार को प्रतिबंधित किया गया है जिसके लिये जुर्माना (10 डॉलर से 1000 डॉलर तक) एवं तीन साल तक कारावास का प्रावधान है।
- सऊदी अरब, यमन और पाकिस्तान जैसे देशों में व्यभिचार को अभी भी गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है।

निष्कर्ष

- सामाजिक प्रगति के साथ लोगों को नए अधिकार भी मिलते हैं और नए विचारों की पीढ़ी भी जन्म लेती है। व्यभिचार के मामलों में केवल पुरुष को दोषी बनाना भेदभावपूर्ण था, जबकि विवाहेत्तर संबंधों में पुरुष व महिला दोनों की समान भागीदारी होती है। अत: इस पुराने कानून को समाप्त किया जाना वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विविध

कृष्ण कुटीर

- कृष्ण कुटीर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की स्वाधार गृह योजना के तहत 1000 विधवाओं के लिये निर्मित एक विशेष गृह है और किसी सरकारी संगठन द्वारा सृजित अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा सुविधा केंद्र है।
- विधवाओं हेतु गृह 'कृष्ण कुटीर' का निर्माण उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) द्वारा 57.48 करोड़ रुपए (भूमि की लागत सहित) की लागत से 1.4 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है।
- इसके निर्माण हेतु वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और इसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

चौथा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्ग्रेस

- आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद येस्सो नाइक नीदरलैंड में चौथे अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्ग्रेस का उद्घाटन करेंगे।
- 1-4 सितंबर, 2018 तक चलने वाली इस कॉन्ग्रेस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महर्षि आयुर्वेद फाउंडेशन, नीदरलैंड; अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कॉन्ग्रेस, नई दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, पुणे द्वारा नीदरलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जा रहा है
- यह कॉन्ग्रेस नीदरलैंड एवं यूरोप को उसके पड़ोसी देशों में आयुर्वेद के संवर्द्धन एवं प्रचार पर फोकस करेगी।
- भारतीय दूतावास द्वारा 'आयुर्वेद सहित स्वास्थ्य देखभाल में भारत-नीदरलैंड सहयोग' विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन 3 सितंबर, 2018 को किया जाएगा।
- इस संगोष्ठी को आयुष मंत्री और नीदरलैंड के मेडिकल केयर एवं स्पोर्ट मंत्री ब्रुनो ब्रुनीस द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने किया पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के.पी. ओली के साथ काठमांडू में संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया।
- यह धर्मशाला भारत-नेपाल मैत्री की प्रतीक है।
- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ एवं जानकी धाम के मंदिरों का उल्लेख किया।
- उल्लेखनीय है कि ये तीनों मंदिर नेपाल में अवस्थित हैं।
- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान इस धर्मशाला के निर्माण का ऐलान किया था।

वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के लिये जीडीपी के अनुमान जारी किये।
- जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 8.2 प्रतिशत रही जो वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में दर्ज की गई 7.7 प्रतिशत के मुकाबले और ज्यादा बेहतरी को दर्शाती है।
- इस विकास का आधार काफी व्यापक है और यह उपभोग व्यय में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा नियत (फिक्स्ड) निवेश में 10.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बदौलत संभव हो पाया है।

नोट :

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सांख्यिकीय गतिविधियों के मध्य समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के संवर्द्धन हेतु मई 1951 में 'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (CSO) की स्थापना की गई थी।
- यह राष्ट्रीय खातों को तैयार करने, औद्योगिक आँकडों को संकलित एवं प्रकाशित करने के साथ-साथ ही आर्थिक जनगणना एवं सर्वेक्षण कार्य भी आयोजित करता है।
- यह देश में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की सांख्यिकीय निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC)

हाल ही में केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

- PM-STIAC (Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council) के रूप में नामित 21 सदस्यीय समिति, जिसमें एक दर्जन सदस्य विशेष रूप से आमंत्रित हैं, की अध्यक्षता मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजय राघवन करेंगे।
- इस परिषद के 9 प्रमुख सदस्य - वी.के. सारस्वत (DRDO के पूर्व प्रमुख, तथा नीति आयोग के सदस्य), ए.एस. किरण कुमार (ISRO के पूर्व अध्यक्ष), बाबा कल्याणी (भारत फोर्ज के MD), प्रो. संघमित्र बंदोपाध्याय (भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक), मंजुल भार्गव (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर तथा गणित के फील्ड मेडल विजेता), प्रो. अजय कुमार सूद (भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू के प्रोफ़ेसर), मेजर जनरल माधुरी कानितकर (आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज की डीन), सुभाष काक (ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी, अमेरिका के प्रोफेसर) शामिल हैं।
- आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मंत्रालयों के सचिव विशेष आमंत्रितों के रूप में शामिल होंगे। इनमें परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, कृषि, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा शामिल हैं।
- यह समिति नीतियों और निर्णयों के निर्माण और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी, कार्रवाई-उन्मुख और आने वाले समय के अनुकूल सलाह प्रदान करेगी तथा देश में सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये विज्ञान और तकनीकी को निर्देशित करने में सहायता करेगी।
- यह शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग इत्यादि में नवाचार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- PM-STIAC प्रभावी रूप से SAC-कैबिनेट और SAC-PM (2014 से चल रही वैज्ञानिक सलाहकार समितियाँ) को भंग कर देगा।

मोवेलो साइक्लोथोन

नीति आयोग ने शहरों को साइकिल के अनुकूल बनाने के लिये एक अनोखा कदम उठाते हुए मोवेलो साइक्लोथोन (Movelo Cyclothon), स्वच्छता तथा परिवहन के सुलभ तरीके को बढ़ावा देने के लिए एक साइकिल रैली, की शुरुआत की।

- इस साइकिल रैली की शुरुआत वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किये जाने वाले गतिशीलता सप्ताह के अंतर्गत किया गया।

'गतिशीलता सप्ताह' के बारे में:

- 'गतिशीलता सप्ताह' में 31 अगस्त, 2018 से 6 सितंबर, 2018 तक 7 दिनों के अंदर 17 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
- ये कार्यक्रम गतिशीलता के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाएंगे।

वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन के बारे में:

- इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों व उद्योग जगत के सहयोग से किया जाएगा।

नोट :

- इसमें विश्वभर के राजनेता तथा उद्योगपति, शोध संस्थान, शिक्षा जगत और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- इस सम्मेलन से सरकार के लक्ष्यों यथा बिजली से चलने वाले वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तथा रोज़गार के अवसरों के सृजन आदि को प्रोत्साहन मिलेगा।

सम्मेलन के मुख्य विषय

- सार्वजनिक पारगमन सुविधा पर विचार करना।
- आँकड़ों का विश्लेषण और मोबिलिटी।
- परिसंपत्ति ऊपयोगिता एवं सेवाएँ।
- वैकल्पिक ऊर्जा।
- व्यापक विद्युतीकरण।
- माल परिवहन।

नेता एप

हाल ही में नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन एप (National Electoral Transformation App- NETA) लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि इस एप को पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया।

- यह एप एक ऐसा मंच है जहाँ मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों की समीक्षा और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और साथ ही प्रतिनिधियों को उनके कर्त्तव्यों के लिये ज़िम्मेदार भी ठहरा सकते हैं।
- यह एप युवा आईटी विशेषज्ञ प्रथम मित्तल द्वारा विकसित किया गया है।
- अमेरिका की समर्थन प्रणाली से प्रेरित यह एप उपयोगकर्त्ताओं को अपने विधायकों और सांसदों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।
- राजस्थान के अजमेर और अलवर निर्वाचन क्षेत्रों में फरवरी, 2018 के उपचुनाव के दौरान इस एप को प्रस्तुत किया गया था तथा बाद में इसका उपयोग मई 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में किया गया था।

मिल बाँचें कार्यक्रम

- हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मिल-बाँचें कार्यक्रम की शुरुआत की।
- राज्य के सरकारी स्कूलों और समाज के बीच शुरू किया जाने वाला यह कार्यक्रम अपनी तरह का पहला संवादात्मक कार्यक्रम है।
- 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों को उपहार देने की इच्छा व्यक्त की है। इन उपहारों में किताबों के अलावा अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जो छात्रों के लिये उपयोगी हो सकती हैं।
- राज्य में इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बच्चों का बहु-आयामी विकास करना है।
- 'मिल-बाँचें मध्य प्रदेश' कार्यक्रम के लिये पंजीकृत 2 लाख से अधिक स्वयंसेवकों में 820 इंजीनियर, 843 डॉक्टर, 36 हज़ार निजी क्षेत्र के कर्मचारी, 19 हज़ार सार्वजनिक प्रतिनिधि और लगभग 45 हज़ार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं।

जीएम सरसों के परीक्षण संबंधी निर्णय पर रोक

हाल ही में देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के संबंध में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने मधुमक्खियों की आबादी पर जीएम सरसों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये परीक्षणों को अनुमति देने वाले निर्णयों पर रोक लगा दी है।

- समिति के दो सदस्यों द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप (CGMCP) के प्रोटोकॉल के बारे में चिंता व्यक्त करने के कारण इस निर्णय को रोका गया है।
- GEAC को प्रस्तुत किये गए अपने आवेदन में CGMCP ने लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मधुमक्खियों पर अध्ययन करने के लिये अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया ताकि वह तिलहनी फसलों में परागण के साथ-साथ शहद के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कीटों पर अपने ट्रांसजेनिक सरसों की प्रजाति, DMH -11 के प्रभावों का अध्ययन कर सके।

नोट :

जीएम फसल

- जीएम फसल, उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है।
- ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके तथा फसल को कीट प्रतिरोधी अथवा सूखा रोधी बनाया जा सके।

DMH-11

- Dhara Mustard Hybrid-11 या DMH-11 सरसों की एक किस्म है जिसका विकास दिल्ली विश्वविद्यालय के NAAS सदस्य, दीपक पेंटल द्वारा किया गया है।
- इसे वरुण नामक पारंपरिक सरसों की प्रजाति को पूर्वी यूरोप की एक प्रजाति के साथ क्रॉस कराकर तैयार किया गया है।
- यदि इस किस्म को अनुमोदित किया जाता है, तो यह भारतीय क्षेत्रों में विकसित होने वाली पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल होगी।

दवा प्रतिरोधी सुपरबग

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि एक सुपरबग जो सभी ज्ञात एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोधी है तथा गंभीर संक्रमण यहाँ तक कि मौत का भी कारण बन सकता है, दुनिया भर के अस्पतालों के वार्डों में अज्ञात रूप से फ़ैल रहा है।

- मेलबर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने 10 देशों से प्राप्त नमूनों का अध्ययन किया तथा मल्टीड्रग-प्रतिरोधी बग के तीन प्रकारों की खोज की, जिन्हें वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध किसी भी दवा द्वारा विश्वसनीय रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
- बैक्टीरिया, जिसे स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस (Staphylococcus epidermidis) के नाम से जाना जाता है, पहले से ज्ञात और अधिक घातक सुपरबग MRSA से संबंधित है।
- यह स्वाभाविक रूप से मानव त्वचा पर पाया जाता है और आमतौर पर बुजुर्गों या मरीजों को संक्रमित करता है।
- यह अध्ययन नेचर माइक्रोबायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया।

MRSA

- मेथिसिलिन- रेसिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस (Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus- MRSA) एक जीवाणु है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में संक्रमण का कारण बनता है।

इंडियन रुफ्ड टर्टल

कुछ माह पूर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में एक मंदिर के तालाब में श्रद्धालुओं द्वारा फेंके गए तेल, अगरबत्ती, फूल और अन्य वस्तुओं के कारण उस तालाब का प्रदूषित होने से इसमें रहने वाले इंडियन रुफ्ड टर्टल Indian Roofed Turtle (Pangshura tecta) की एक छोटी आबादी का जीवन संकट में पड़ गया था।

- एक अभिनव विचार ने तालाब में प्रदूषण को कम करने में मदद की है। इस विचार के तहत भगवन विष्णु की कुर्म (कछुआ) अवतार की मूर्ति को तालाब के समीप स्थापित किया गया है।

इंडियन रुफ्ड टर्टल

- इंडियन रुफ्ड टर्टल (Pangshura tecta) जियोमेडिडे (Geoemydidae) कुल के कछुए की एक प्रजाति है।
- इसे खोल के शीर्ष भाग में स्थित अलग "छत" द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। यह दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में पाया जाता है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में एक आम पालतू जानवर है।
- वर्ष 2000 में इसे IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय (least concern) श्रेणी के अंतर्गत रखा गया।

नोट :

मिशन होप

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मिशन पर भेजने हेतु अपने पहले दो अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है।

- हज्ज़ा अल-मंसौरी (Hazza al-Mansouri) और सुल्तान अल-नेदी (Sultan al-Neyadi) को UAE के इस अंतरिक्ष मिशन के लिये चुना गया है।
- तेल समृद्ध UAE ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में मानव रहित यान भेजेगा और इस तरह का मिशन शुरू करने वाला पहला अरब देश बनेगा।
- UAE द्वारा इस मिशन को 'होप' नाम दिया गया है।
- UAE के इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 20 बिलियन दिरहम (5.4 बिलियन डॉलर) है।
- अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही UAE अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाले मध्य पूर्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सऊदी अरब के सुल्तान बिन सलमान अल-सऊद अंतरिक्ष में गए थे।

'स्पेस एलिवेटर'

- जापान में वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्पेस एलिवेटर (लिफ्ट) विकसित किया है जिसका प्रयोग जल्दी ही किया जा सकता है।
- शिज़ुका विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित परीक्षण उपकरण को दक्षिणी द्वीप तनेगाशिमा (Tanegashima) से जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा H-2B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- परीक्षण में 6 सेमी. लंबे, 3 सेमी. चौड़े और 3 सेमी. ऊँचाई वाले एक डिब्बे के भीतर एक छोटा एलिवेटर स्टैंड शामिल है।
- यदि यह परीक्षण सफल रहा तो अंतरिक्ष में दो मिनी सैटेलाइट्स के बीच 10 मीटर लंबाई तक का केबल लगाया जा सकेगा जिससे दोनों सैटेलाइट एक-दूसरे से अच्छी तरह संपर्क में रहेंगे।
- एलिवेटर बॉक्स की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखने के लिये सैटेलाइट में कैमरे भी लगाए जाएंगे।
- अंतरिक्ष में एलिवेटर का विचार पहली बार रूस के वैज्ञानिक कॉन्स्टानटिन त्सिओल्कोवास्की (Konstantin Tsiolkovsky) ने 1895 में दिया था उन्होंने यह विचार एफिल टावर को देखने के बाद दिया था। उसके एक सदी बाद ऑर्थर सी क्लार्क (Arthur C. Clarke) ने अपने उपन्यास में भी इस विचार को दोहराया था।
- जापान की निर्माण कंपनी ओबायाशी वर्ष 2050 तक स्वयं द्वारा निर्मित एलिवेटर के माध्यम से इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है।

आरिफ़ रहमान अल्वी

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) पार्टी के डॉ. आरिफ़ रहमान अल्वी को पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।

- डॉ. आरिफ़ ने पीएमएल-एन समर्थित उम्मीदवार मुत्ताहिद मजलिस-ए-अमाल (MMA) के प्रमुख फ़ज़लुर्रहमान और PPP के वरिष्ठ नेता ऐताज़ एहसान को हराकर यह चुनाव जीता है।

काज़ींड

- संयुक्त सैन्याभ्यास 'काज़ींड' (KAZIND) कज़ाखस्तान के ओतर क्षेत्र में 10 से 23 सितंबर 2018 तक भारतीय और कज़ाखस्तान की सेना के बीच आयोजित किया जाएगा।
- यह दोनों देशों के बीच तीसरा संयुक्त सैन्याभ्यास है ।
- इस सैन्याभ्यास का दूसरा संस्करण पिछले वर्ष भारत में आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य कज़ाखस्तान और भारतीय सेना के बीच सैन्य संबंधों और विनिमय कौशल तथा अनुभवों के लिये द्विपक्षीय सेना के निर्माण और प्रसार को बढ़ावा देना है।

नोट :

भारतीय प्रतिप्रतिस्पर्द्धा आयोग

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशियल्टी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा उत्पादों एवं सेवाओं की अनुचित कीमत वसूलने की आशंकाओं की जाँच कराने का फैसला किया है।

- CCI ने प्रतिप्रतिस्पर्द्धा कानून 2002 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में आयोग के महानिदेशक द्वारा की गई जाँच के बाद सौंपी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में प्राइवेट सुपर स्पेशियल्टी अस्पतालों द्वारा अनुचित मूल्य वसूलने का मामला सामने आया था।

भारतीय प्रतिप्रतिस्पर्द्धा आयोग के बारे में

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) का गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2003 को किया गया था।
- CCI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल होते हैं।
- CCI के कर्त्तव्य
- प्रतिस्पर्द्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना।
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत्रूप से बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- आयोग से विधि के अंतर्गत स्थापित किसी भी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रतिप्रतिस्पर्द्धा संबंधी मुद्दों पर अपनी राय देना तथा प्रतिस्पर्द्धा के संबंध में परामर्श आरंभ करना, प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों पर जन-जागरूकता पैदा करना और प्रशिक्षण देना भी अपेक्षित है।

पिच टू मूव

हाल ही में 'पिच टू मूव' प्रतियोगिता के अंतिम दौर का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान विज्ञान भवन में किया गया।

- पिच टू मूव प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन के हिस्से के रूप में नीति आयोग और भारतीय आटोमोबाइल निर्माता संघ (Society of Indian Automobile Manufacturers- SIAM) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया।
- प्रतियोगिता के अंतिम दौर में मोबिलिटी से संबंधित 32 स्टार्ट-अप ने उद्योग विशेषज्ञों और उपक्रम निवेशकों के निर्णायक मंडल के समक्ष अपने-अपने विचार रखे।
- विचार और विकास के स्तर पर स्टार्ट-अप समूह से दो विजेताओं का चयन किया गया।
- विकास स्तर के स्टार्ट-अप वर्ग से 'मोबिसी' नामक डॉकलेस बाइक शेयरिंग ऐप को विजेता चुना गया जबकि विचार स्तर पर एनड्रॉयड आधारित टिकट संबंधी सुविधा 'जर्नी' को विजेता चुना गया।
- प्रतियोगिता में देशभर के उन सभी नवोदित स्टार्ट-अप्स प्रतिभागियों ने भाग लिया जो कारोबार से जुड़े नए विचारों को निर्णायक मंडल के समक्ष पेश करने के इच्छुक थे।

डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह

डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में WHO के सर्वोच्च पद को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह का आगामी कार्यकाल फरवरी 2019 से प्रारंभ होगा।

- यह निर्वाचन WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति की बैठक में हुआ।
- डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह 1 फरवरी, 2014 को दक्षिण-पूर्व एशिया के WHO के क्षेत्रीय निदेशक का पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बनीं।
- उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में भारत में दो दशकों तक सेवा की।
- 1987 में वह विश्व बैंक के स्वास्थ्य, जनसंख्या और पोषण विभाग के लिये चुनी गईं।
- डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने 2000 से 2013 तक दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिये WHO के उप क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

नोट :

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है तथा इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की स्थापना 1948 में की गई थी। यह WHO के छह क्षेत्रीय संगठनों में पहला था।
- WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 11 सदस्य देश-भारत, बांग्लादेश, भूटान, कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इंडियन ओसियन वेव एक्सरसाइज़ 2018

हाल ही में भारत ने 23 अन्य देशों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित सुनामी मॉक अभ्यास IOWave 18 (Indian Ocean Wave Exercise- IOWave) में भाग लिया।

- IOWave18 नामक इस अभ्यास का आयोजन यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC-UNESCO) द्वारा किया गया।
- IOWave18 सुनामी अभ्यास में सभी पूर्व तटीय राज्यों ने भाग लिया।
- भारत में IOWave18 का आयोजन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की मदद से भू-विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services -INCOIS), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और तटवर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया गया।
- इस दो दिवसीय सुनामी मॉक अभ्यास में सभी तटवर्ती राज्यों ने INCOIS से सूचना बुलेटिन हासिल करते हुए अपनी संचार व्यवस्था का परीक्षण किया।
- NDMA के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. नाइक ने अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया।

IOC-UNESCO

- यूनेस्को का अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO- IOC-UNESCO) संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एकमात्र सक्षम संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में यूनेस्को के कार्यकारी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- इसने 26 दिसंबर, 2014 को आई सुनामी के बाद भारतीय समुद्र सुनामी चेतावनी और शमन व्यवस्था (Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System- IOTWMS) की स्थापना में मदद की थी।

INCOIS

- INCOIS की स्थापना वर्ष 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।

सोर्स इंडिया

तुर्की में 87वें इज़मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है तथा भारत इस व्यापार मेले में एक बड़ा बिज़नेस पैविलियन 'सोर्स इंडिया' लॉन्च करेगा।

- भारत इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का साझेदार देश है।
- इज़मीर इंस्ताबुल और अंकारा के बाद तुर्की का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है।

नोट :

- सोर्स इंडिया के माध्यम से भारत की 75 कंपनियाँ तुर्की और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से मेल-जोल बढ़ाएंगी।
- यह सोर्स इंडिया पैविलियन की एक श्रृंखला है जिसे भारत व्यापार संवर्द्धन परिषद (Trade Promotion Council of India-TPCI) द्वारा दुनिया भर के महत्त्वपूर्ण व्यापार मेलों में आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है।

TPCI

- TPCI, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग का व्यापार एवं निवेश संवर्द्धन संगठन है।
- यह भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच व्यापार और निवेश में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का काम करता है।

'आपूर्ति'

हाल ही में रेल मंत्रालय और रेल सूचना सेवा केंद्र ने 'मोबिलिटी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया तथा इस दौरान भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (Indian Railways E-Procurement System -IREPS) से संबंधित मोबाइल 'आपूर्ति' को लॉन्च किया गया।

- इस एप में भारतीय रेल की ई-संविदा और ई-नीलामी संबंधी गतिविधियों के आँकड़े और सूचनाएं उपलब्ध हैं।
- उपयोगकर्त्ता ई-संविदा गतिविधियों के लिये संविदाओं के प्रकाशन, उनके समापन और खरीद संबंधी जानकारी इस एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- इस एप के द्वारा स्क्रैप की बिक्री संबंधी ई-नीलामी गतिविधियों के लिये उपयोगकर्त्ताओं को आगामी नीलामी, नीलामी कार्यक्रम, बिक्री शर्तों, ई-नीलामी के लिये उपलब्ध सामग्रियों और नीलामी इकाइयों की जानकारी मिल सकेगी।
- IREPS की विवरणिका भी एप पर उपलब्ध है।
- एप में उपयोगकर्त्ताओं के फीडबैक की भी जानकारी मिलेगी, जिससे एप में लगातार सुधार करने में सहायक होगा।

मूव- ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन

'मूव- ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन' का आयोजन नीति आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों व उद्योग जगत के सहयोग से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया जा रहा है।

- यह अपनी तरह का पहला मोबिलिटी शिखर सम्मेलन है जिसमें पूरी दुनिया के राजनेता, उद्योगपति, शोध संस्थान, शिक्षा जगत और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- सम्मेलन के तीन प्रमुख घटक हैं – सम्मेलन, प्रदर्शनी और विशेष कार्यक्रम।
- सम्मेलन के दौरान आपसी परिचर्चा और विचार-विमर्श के लिये सम्मेलन में छह प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं:
  1. परिसंपत्ति का अधिकतम उपयोग
  2. व्यापक विद्युतीकरण
  3. वैकल्पिक ऊर्जा
  4. सार्वजनिक पारगमन सुविधा पर विचार करना
  5. माल परिवहन
  6. आँकड़ों का विश्लेषण और मोबिलिटी।

'भारत के वीर'

गृह मंत्रालय ने अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा प्रचारित एक निजी पहल 'भारत के वीर' जो शहीद हुए अर्धसैनिक कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान करता है, को ट्रस्ट के रूप में मान्यता दे दी है।

नोट :

- भारत के वीर में किये जाने वाले योगदान को आयकर से छूट प्रदान की गई है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे।
- अभिनेता अक्षय कुमार और पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद को इसके ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है।
- आम जनता 'भारत के वीर' एप और वेबसाइट के माध्यम से मरने वाले जवानों के परिवारों को सहायता प्रदान करने में योगदान दे सकती है।

हाइफा का युद्ध

हाल ही में भारतीय दूतावास ने हाइफा के युद्ध के 100 वर्ष पूरा होने पर हाइफा में एक समारोह का आयोजन किया।

- हाइफा का युद्ध 23 सितंबर, 1918 को हुआ था जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के आधिपत्य वाले हाइफा शहर को मुक्त करवाया था।
- इससे पहले, इज़राइल की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने इस शहर को मुक्त कराने में मेजर दलपत सिंह जिन्हें 'हीरो ऑफ हाइफा' भी कहा जाता है, की स्मृति में एक पट्टिका का अनावरण किया था।
- इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात तीन मूर्ति मेमोरियल को तीन मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुन: नामित किया है।
- तीन मूर्ति मेमोरियल का निर्माण 1922 में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के तीन रियासतों ने भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था।

बंगलूरू स्पेस एक्सपो (BSX-2018)

हाल ही में छठे बंगलुरु एक्सपो का आयोजन 6-8 सितंबर, 2018 को बंगलूरू में किया गया।

- इसका आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जाता है।
- BSX-2018 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा इसरो तथा अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया।
- तीन दिवसीय कार्यक्रम में 'वर्ल्ड स्पेस-बिज़' (World Space-Biz) विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किये गए।
- सम्मेलन का विषय भारत में नई अंतरिक्ष तकनीकों को सक्षम करने पर विशिष्ट ध्यान देने के साथ "भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में गतिशीलता का निर्माण करना" (Creating Dynamism in Indian Space Ecosystem) है।

द्वितीय विश्व हिंदू कॉन्ग्रेस

1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगाँठ के अवसर पर शिकागो में दूसरे विश्व हिंदू कॉन्ग्रेस (World Hindu Congress) का आयोजन किया जा रहा है।

- विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित प्रथम सम्मलेन का आयोजन वर्ष 2014 में नई दिल्ली में किया गया था।
- चार वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला विश्व हिंदू सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य है कि सभी हिंदू एक साथ आएँ, अपने विचारों को साझा करें और एक-दूसरे को प्रेरित करें।
- विश्व हिंदू सम्मेलन 2018 की थीम 'सुमंत्रिते सुविक्रांतते' (सामूहिक रूप से चिंतन करें, वीरतापूर्वक प्राप्त करें) है।

विश्व धर्म सम्मेलन 1893

- 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी में कई अन्य सम्मेलनों के बीच सबसे बड़ी और विशेष घटना थी।
- विश्व धर्म सम्मेलन पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों की पहली औपचारिक सभा को प्रदर्शित करता है। आज इसे दुनिया भर में औपचारिक पारस्परिक संवाद के जन्मदाता के रूप में पहचाना जाता है।
- स्वामी विवेकानंद ने वहाँ एकत्रित हुए 5000 प्रतिनिधियों को प्रभावित किया जब उन्होनें "मेरे अमेरिकी भाइयो एवं बहनो" शब्दों के साथ उनका अभिवादन किया था।

नोट :

रोबैट (Robat)

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने पहला पूर्ण रूप से स्वायत्त रोबोट विकसित किया है जो चमगादड़ की तरह ही किसी माध्यम में आगे बढ़ने के लिये ध्वनि का उपयोग करता है।

- इस रोबोट को इज़रायल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी (Tel Aviv University) के शोधकर्त्ताओं द्वारा तैयार किया गया है। चूँकि यह चमगादड़ के समान ही दृष्टिकोण का उपयोग करता है, इसलिये इसे रोबैट (Robat) नाम दिया गया है।
- PLOS कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इस प्रक्रिया में आस-पास की वस्तुओं से निकलने वाली आवाजों का पता लगाना तथा उनका विश्लेषण कर जानकारी हासिल करना शामिल है।
- रोबैट में एक अल्ट्रासोनिक स्पीकर स्थापित किया गया है जो मुख की तरह काम करता है, आमतौर पर चमगादड़ के समान आवृत्ति वाली ध्वनि का उत्पन्न करता है, साथ ही इसमें दो अल्ट्रासोनिक माइक्रोफ़ोन भी लगे हैं जो कान की तरह कार्य करते हैं।

पुदुचेरी शार्क

हाल ही में EGREE फाउंडेशन के फील्ड जीव वैज्ञानिकों ने कुम्भाभिषेकम के लैंडिंग प्वाइंट में 'पुदुचेरी शार्क' की उपस्थिति दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि 2007 और 2016 के बाद यह तीसरी बार है जब इसे देखा गया है।

- पुदुचेरी शार्क वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं।
- IUCN की रेडलिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
- ये लुप्तप्राय प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं।
- पुदुचेरी शार्क आकार में छोटी होती है यानी कि इसकी लंबाई 1 मीटर (3.3 फीट) से अधिक नहीं होती, जबकि इसका रंग भूरा होता है।
- इस प्रजाति की पहचान इसके ऊपरी दाँतों से की जा सकती है, जो कि आधार की ओर मज़बूत तथा ऊपर की ओर मुलायम होते हैं।
- इसके अतिरिक्त इसकी पहचान पृष्ठीय पंखों से भी की जा सकती है, जो कि बड़े होते हैं।
- इस शार्क को उन 25 'मोस्ट वांटेड लॉस्ट' (most wanted lost) प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है जो वैश्विक वन्यजीव संरक्षण की 'खोई हुई प्रजातियों की खोज' (Search for Lost Species) पहल का हिस्सा है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2018

8 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। उल्लेखनीय कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है।

- विश्व में बड़े स्तर पर व्याप्त निरक्षरता को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का विचार पहली बार 1965 में 8 से 19 सितंबर तक ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा में सामने आया।
- अक्तूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को-UNESCO) के 14वें आम सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- 8 सितंबर, 1967 को पूरी दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है।
- इस वर्ष 52वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम 'साक्षरता और कौशल विकास' (Literacy and skills development) है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 22 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं।
- सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य क्रमश: केरल (93.91%) लक्षद्वीप (92.28%), मिज़ोरम (91.58%), त्रिपुरा (87.75%) और गोवा (87.40%) हैं।
- बिहार और तेलंगाना सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य हैं।

बिमल जालान

कुछ समय पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद सरकार ने अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार का चयन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान (1997-2003) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

नोट :

- जालान के अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी. चंद्रमौली और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग इस समिति के सदस्य होंगे।
- हालाँकि अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति के संदर्भ में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करेगी।

स्लिनेक्स- 2018

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स (SLINEX-2018) के छठे संस्करण का आयोजन (7-13 सितंबर, 2018) किया जा रहा है।

- इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन त्रिंकोमली (श्रीलंका) में किया जा रहा है।
- भारत तथा श्रीलंका के बीच इस नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी।
- इस अभ्यास में भारत की ओर से तीन नौसैनिक जहाज़ किर्च, सुमित्रा और कोरा दिव्ह (KORA DIVH) के अलावा दो समुद्री गश्ती विमान और एक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है।
- श्रीलंका की वायु सेना के कर्मचारी इस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग ले रहे हैं।

तेलंगाना के दो सिंचाई केंद्रों को मिला सिंचाई विरासत का दर्ज़ा

हाल ही में तेलंगाना स्थित दो सिंचाई परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं नहर आयोग (International Commission on Irrigation and Drainage- ICID) के तहत 'विरासत सिंचाई परियोजनाओं' (Heritage Irrigation Structures) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

- यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं नहर आयोग के शीर्ष निकाय इंटरनेशनल एक्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा सस्काटून (कनाडा) में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया।
- 'विरासत सिंचाई परियोजना' का दर्जा प्राप्त करने वाले दो बांध हैं- सदरमट्ट एनिकट (Sadarmatt Anicut) तथा पेड्डा चेरूवु।

सदरमट्ट एनिकट

- यह तेलंगाना के निर्मल ज़िले में गोदावरी नदी पर निर्मित है।
- इस बांध का निर्माण नवाब विकार उल उमरा बहादुर ने करवाया था।
- अपने निर्माण के समय से ही यह बांध खानपुर तथा कादेम में 13,100 एकड़ के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करता है।

पेड्डा चेरूवु

- यह तेलंगाना के कमारेड्डी ज़िले में स्थित है।
- इसका निर्माण 1897 में हैदराबाद राज्य के छठे निजाम मीर महबूब अली खान के शासनकाल के दौरान किया गया था।
- यह 618 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं नहर आयोग

- अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं नहर आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- यह एक प्रमुख वैज्ञानिक, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन है।
- ICID सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया भर के पेशेवर विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है।

नोट :

तेजस

विंग्स की चौड़ाई: 8.20 मीटर
लंबाई: 13.20 मीटर
ऊँचाई: 4.40 मीटर
वजन: 6560 किग्रा.
गति: 2376 किमी./घंटा
रेंज: 3000 किमी.
विमान का ढाँचा कार्बन फाइबर, एल्युमीनियम अलॉय और टाईटेनियम से मिलकर बना है।
हवा से हवा में तथा हवा से सतह पर मिसाइल दागने में सक्षम।

हाल ही में भारतीय वायुसेना (IAF) के तेजस एमके-1 के लिये हवा में ईंधन (तरल ईंधन) भरने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षण से पहले शुष्क ईंधन परीक्षण का कार्य 04 और 06 सितंबर, 2018 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था।

- हवा में ईंधन भरने की इस सफलता से IAF के हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) की क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। इससे हवा में लंबे समय तक विमान का परिचालन किया जा सकेगा।
- यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' (Indigenous Light Combat Aircraft) है, जिसे 'वैमानिकी विकास एजेंसी' (Aeronautical Development Agency - ADA) तथा 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (Hindustan Aeronautics Limited - HAL) के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन कार्यरत 'ए.डी.ए.', एल.सी.ए. के डिज़ाइन तथा विकास के लिये एक नोडल एजेंसी है। जबकि HAL, DRDO और CSIR प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ एलसीए कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है।
- यह सबसे छोटे-हल्के वज़न का एकल इंजन युक्त 'बहु-भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान' (Multirole tactical fighter aircraft) है।
- गौरतलब है कि इसे रूस के Mig-21 लड़ाकू विमानों पर अपनी निर्भरता को कम करने तथा स्वदेशी युद्धास्त्रों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

नोमैडिक एलीफैंट-2018

10 सितंबर, 2018 को भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफैंट-2018, मंगोलियाई सशस्त्र बलों (MAF) के फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलानबाटार में शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि यह संयुक्त अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा।

- नोमैडिक एलीफैंट एक वार्षिक, द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका आयोजन भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच साझेदारी को मज़बूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से किया जा रहा है।
- इससे पूर्व वर्ष 2017 में इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के पूर्वी कमान वैरेंगते, मिज़ोरम में किया गया था।
- इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 17 पंजाब रेजिमेंट के एक दल द्वारा किया जा रहा है, जबकि मंगोलियाई सेना का प्रतिनिधित्व मंगोलियाई सशस्त्र बलों की यूनिट 084 द्वारा किया जा रहा है।

यूएस ओपन 2018

यूएस ओपन का आयोजन 27 अगस्त से 09 सितंबर, 2018 तक किया गया। उल्लेखनीय है कि यूएस ओपन विश्व के चार ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है।

यूएस ओपन के अलावा अन्य तीन ग्रैंडस्लैम हैं:

- विंबलडन
- फ्रेंच ओपन
- ऑस्ट्रेलियन ओपन

नोट :

यूएस ओपन 2018 के विजेताओं की सूची		
स्पर्द्धा वर्ग	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	नोवाक जोकोविच (सर्बिया) (14वाँ ग्रैंडस्लैम)	जुआन मार्टिन डेल पोट्रो (अर्जेंटीना)
महिला एकल	नाओमी ओसाका (जापान) (पहला ग्रैंडस्लैम)	सेरेना विलियम्स (USA)
पुरुष युगल	माइक ब्रायन व जैक सोक (USA)	मार्सेलो मेलो (ब्राज़ील) व लुकास कुबोट (पोलैंड)
महिला युगल	एश्ली बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) व कोको वैंडेवेघे (USA)	टिमी बैबोस (हंगरी) व क्रिस्टीना म्लादेनोविच (फ्राँस)
मिश्रित युगल	बेथानी माटेक सैंड्स (USA) व जैमी मरे (ग्रेट ब्रिटेन)	एलिक्जा रोसोल्सका (पोलैंड) व निकोला मेक्टिक (क्रोएशिया)

बिम्सटेक मिलेक्स-2018

बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) के सदस्य देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।

- इस अभ्यास को मिलेक्स-18 (MILEX-18) नाम दिया गया है।
- यह अभ्यास पुणे स्थित औंध मिलिट्री स्टेशन पर (10-16 सितंबर, 2018) आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिये परियोजना तैयार करना तथा परियोजनाओं को लागू करने में सदस्य देशों का सहयोग करना है।
- इस अभ्यास में नेपाल को छोड़कर अन्य सभी देशों के सैनिक भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले नेपाल भी इस अभ्यास में भाग लेने के लिये तैयार था लेकिन बाद उसने इस अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया।
- बिम्सटेक की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी।
- इसके सात सदस्य देश हैं- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका।
- उल्लेखनीय है कि बिम्सटेक के इन सात सदस्य देशों में विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है।

अप्सरा-उन्नत

10 सितंबर, 2018 को ट्रॉम्बे में स्विमिंग पूल के आकार वाले शोध रिएक्टर "अप्सरा-उन्नत" (Apsara-U) का परिचालन शुरू किया गया।

- उच्च क्षमता वाले इस रिएक्टर को स्थापित करने में पूर्णत: स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सुविधाएँ प्रदान करने वाली जटिल संरचना का निर्माण करने में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता को रेखांकित करता है।
- इसमें निम्न परिष्कृत यूरेनियम (Low Enriched Uranium - LEU) से निर्मित प्लेट के आकार वाले प्रकीर्णन ईंधन (dispersion fuel) का इस्तेमाल किया जाता है।
- उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह के कारण यह रिएक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले रेडियो-आइसोटोप के स्वदेशी उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगा।
- इसका उपयोग नाभिकीय भौतिकी, भौतिक विज्ञान और रेडियोधर्मी आवरण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
- एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर "अप्सरा" का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में शुरू हुआ था।
- पाँच दशक से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करने के बाद इस रिएक्टर को 2009 में बंद कर दिया गया था।

आदर्श परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (Model- ICTAI)

हाल ही में नीति आयोग, इंटेल और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने घोषणा की है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अनुप्रयोग आधारित शोध परियोजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिये परिवर्तनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (Model International Center for Transformative Artificial Intelligence -ICTAI) की स्थापना की जाएगी।

नोट :

- यह पहल नीति आयोग के कार्यक्रम 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति' का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों तथा मानकों का विकास करना है।
- बंगलूरू स्थित यह आदर्श ICTAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और गतिशीलता के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित समाधान की तलाश करेगा तथा उनका संचालन करेगा।
- यह आदर्श केंद्र अनुप्रयोग आधारित शोध को प्रोत्साहन देने के लिये AI तकनीकों का विकास करेगा।
- आदर्श ICTAI उद्योग जगत की हस्तियों, नवाचार उद्यमियों तथा AI सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगा।
- इस आदर्श ICTAI द्वारा विकसित ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यासों का उपयोग नीति आयोग पूरे देश में स्थापित होने वाले ICTAI केन्द्रों के निर्माण में करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है ?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी।
- इसके ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार, यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात् यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है।
- यह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह से सोचने वाला सॉफ़्टवेयर बनाने का एक तरीका है।

'युद्ध अभ्यास-2018'

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध-अभ्यास' के चौदहवें संस्करण का आयोजन 16 से 29 सितंबर, 2018 के बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के पास चौबटिया में किया जाएगा।

- इस सैन्य अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच बारी-बारी से किया जाता है।
- 'युद्ध-अभ्यास-2018' एक ऐसे परिदृश्य का अनुसरण करेगा जिसमें दोनों देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार पहाड़ी इलाके में विद्रोह और आतंकवाद के माहौल के खिलाफ संघर्ष का अभ्यास करेंगे।
- दो सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों से 350-350 सैनिक भाग लेंगे।
- युद्ध अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी और इसका आयोजन अमेरिकी सेना के शांति सहभागिता कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़

देश की प्रमुख जहाज़ निर्माता कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) भारत के पहले मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का समुद्री परीक्षण करने के लिये तैयार है।

- इस जहाज़ निर्माण की नींव 30 जून, 2014 को रखी गई थी।
- इसका निर्माण राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एक तकनीकी खुफिया एजेंसी जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की देखरेख में काम करती है) के लिये किया गया है।
- इस परियोजना की लागत लगभग 750 करोड़ रुपए है।
- भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इसका नामकरण किया जाएगा। फिलहाल, इसे केवल VC 11184 नाम दिया गया है।
- यह अपनी तरह का पहला महासागर निगरानी जहाज़ होगा।
- इस जहाज़ के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ऐसे देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस तरह का परिष्कृत महासागर निगरानी जहाज़ है।
- 300 चालक दल वाले इस जहाज़ में उच्च तकनीकी यंत्र और संचार उपकरण लगे हुए हैं, यह दो डीज़ल इंजनों द्वारा संचालित होता है तथा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिये इसमें पर्याप्त स्थान है।

नोट :

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

- आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित HSL देश की प्रमुख जहाज़ निर्माण कंपनी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1941 में भारत में महान उद्योगपति और दूरदर्शी सेठ वालचंद हीराचंद ने 'सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड' के नाम से की थी।
- वर्ष 1952 में भारत सरकार ने इस कंपनी के दो तिहाई भाग पर अधिग्रहण प्राप्त किया तथा 21 जनवरी, 1952 को इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया।
- जुलाई 1961 में सरकार ने कंपनी का शेष एक-तिहाई हिस्सा हासिल किया और शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह शिपयार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्थापित हुआ।
- देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यार्ड को 22 फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था।
- कंपनी का पंजीकृत कार्यालय विशाखापत्तनम में तथा क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

खिड़की मस्जिद

संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण (दिल्ली सर्किल) ने खिड़की मस्जिद परिसर से तांबे के 254 सिक्कों का खजाना खोजा है। उल्लेखनीय है कि 2003 में भी इसी परिसर की सफाई और संरक्षण के दौरान 63 सिक्के मिले थे।

प्रारंभिक जाँच के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये सिक्के शेरशाह सूरी और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के हैं।

खिड़की मस्जिद के बारे में

- यह मस्जिद खिड़की गाँव (नई दिल्ली) के दक्षिणी छोर पर स्थित है।
- मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक (1351-88) के प्रधानमंत्री खान-ए-जहान जुनान शाह ने करवाया था। माना जाता है कि यह मस्जिद उनके द्वारा निर्मित 7 मस्जिदों में से एक है।
- यह मस्जिद खुरदुरे पत्थरों से बनी 2 मंजिला इमारत है जिसकी निचली मंजिल पर कई छोटी-छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं।
- चारों कोनों पर खंभे हैं, जिनसे यह इमारत बहुत मज़बूत प्रतीत होती है।
- पश्चिम दिशा को छोड़कर मस्जिद में तीन दरवाज़े हैं और चारों तरफ मीनारें बनी हुई हैं। मुख्य दरवाज़ा पूर्व की दिशा में खुलता है।
- ऊपरी मंजिल पर झिर्रीदार खिड़कियाँ बनी हैं, जिसके कारण इसका नाम खिड़की मस्जिद पड़ा।

क्षमता विकास योजना

हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने क्षमता विकास योजना को 2,250 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक जारी रखने के लिये अपनी मंज़ूरी दे दी है।

योजना के बारे में

- क्षमता विकास योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं तथा लोगों के लिये विश्वसनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने हेतु संरचनात्मक, तकनीकी और मानव संसाधन को मज़बूत बनाना है।
- क्षमता विकास योजना के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), सांख्यिकीय वर्गीकरण, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य करने, क्षमता सृजन तथा सांख्यिकी समन्वय को मज़बूत बनाने और आईटी अवसंरचना में सुधार करने जैसी महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।
- योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2017 में सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा पूरे देश के लिये (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) श्रम डेटा एकत्रीकरण कार्य लॉन्च किया गया।
- क्षमता विकास योजना के अंतर्गत दो उप-योजनाएँ हैं- आर्थिक गणना और सांख्यिकीय मज़बूती के लिये समर्थन (Support for Statistical Strengthening- SSS)।

नोट :

आर्थिक जनगणना

- आर्थिक जनगणना के अंतर्गत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करने का काम किया जाता है जो विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का आधार होता है।
- अंतिम (61) आर्थिक गणना जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 तक की गई और अब भविष्य में सरकार का इरादा तीन वर्ष में एक बार सर्वेक्षण कराना है।

सांख्यिकीय मज़बूती के लिये समर्थन

- यह उप-योजना राज्य/उप-राज्य स्तर के सांख्यिकीय प्रणालियों/अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये है ताकि मज़बूत राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने में सहायता मिल सके।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रस्तावों के विस्तृत परीक्षण के बाद राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोष जारी किया जाता है।

नियमित रूप जारी गतिविधियों के अतिरिक्त सेक्टरों/क्षेत्रों के बेहतर सांख्यिकी कवरेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने क्षमता विकास योजना के अंतर्गत तीन नए सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव किया है। ये सर्वेक्षण हैं-

1. समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey- TUS)
2. सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Service Sector Enterprises- ASSSE)
3. गैर-निगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises- ASUSE)।

दगडूशेठ गणपति मंदिर तथा बृहदेश्वर मंदिर

गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे देश में ऐतिहासिक मंदिरों की प्रतिकृतियाँ बनाने की 75 वर्षीय परंपरा का अनुसरण करते हुए दगडूशेठ गणपति मंदिर ट्रस्ट ने इस वर्ष तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर की प्रतिकृति में दगडूशेठ गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया है।

दगडूशेठ मंदिर के बारे में

- अपनी आतंरिक संरचना और सुनहरी मूर्ति के लिये प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपति मंदिर की स्थापना 1893 में दगडूशेठ हलवाई ने की थी।
- वर्तमान में पूरे महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी।

बृहदेश्वर मंदिर के बारे में

- तमिलनाडु के तंजौर ज़िले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसका निर्माण महाराजा राजाराज प्रथम द्वारा कराया गया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर नाम भी दिया गया है।
- इस मंदिर के चारों ओर सुंदर अक्षरों में नक्काशी द्वारा लिखे गए शिलालेखों की एक लंबी श्रृंखला शासक के व्यक्तित्व की अपार महानता को दर्शाते हैं।
- यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और अधिकांशत: पत्थर के बड़े खण्ड इसमें इस्तेमाल किये गए हैं।
- इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती।
- इसके शिखर पर एक स्वर्णकलश स्थित है। जिस पत्थर पर यह कलश स्थित है, उसका वजन अनुमानत: 80 टन है और यह एक ही पाषाण से बना है।
- इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्ज़ा दिया है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई होंगे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भार ग्रहण करेंगे।

- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर, 1954 को हुआ और वह 1978 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।

नोट :

- 28 फरवरी, 2001 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 9 सितंबर, 2010 को उनका स्थानांतरण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया तथा 12 फरवरी, 2011 को उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 23 अप्रैल, 2012 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है।

मुख्य न्यायाधीश के लिये अर्हताएँ

- उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
- उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच साल के लिये न्यायाधीश होना चाहिये या
- उसने उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो या
- राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिये।

कार्यकाल

- संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है लेकिन वह 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है।

न्यायाधीश को पद से हटाना

- वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
- इस आदेश को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) समर्थन प्राप्त होना चाहिये।
- न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है।

पहला आदिवासी परिपथ

छत्तीसगढ़ के गंगरेल में पहले 'आदिवासी परिपथ' विकास परियोजना की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरू की जाने वाली यह देश की दूसरी परियोजना है। इस योजना के तहत शुरू की जाने वाली पहली परियोजना 'पूर्वोत्तर सर्किट विकास: इम्फाल और खोंगजोंग' परियोजना है।

- 21 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2016 में मंज़ूरी प्रदान की थी।
- इस योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोदादर, गंगरेल, कोंडागाँव, नाथिया नवागाँव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीर्थगढ़ शहर आते हैं।

स्वदेश दर्शन के बारे में

- स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है।
- इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रुपए की लागत की 74 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- आदिवासियों एवं आदिवासी संस्कृति के विकास पर पर्यटन मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन क्षेत्रों में पर्यटन के ढांचे का विकास कर रहा है।
- आदिवासी परिपथ विषय के तहत मंत्रालय ने नगालैण्ड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 381.47 करोड़ रुपए की लागत से 4 योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

नोट :

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप

हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने देश का पहला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप (NSP Mobile App) लॉन्च किया।

- 'नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप' निर्धन एवं कमज़ोर वर्ग के छात्रों को एक सुगम, आसान और बाधा मुक्त छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
- सभी छात्रवृत्तियाँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत ज़रूरतमंद छात्रों के बैंक खातों में सीधे दी जा रही हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि दुहराव एवं राजस्व चोरी की कोई गुंजाइश न रहे।
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप छात्रों के लिये लाभदायक साबित होगा एवं छात्रवृत्तियों हेतु एक पारदर्शी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।
- छात्र अपने मोबाइल एप पर विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त कर सकेंगे, वे अपने घर में ही बैठकर छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन कर सकेंगे, छात्र इस मोबाइल एप पर अपने लिये सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे, छात्र अपने आवेदन, छात्रवृत्तियों के संवितरण आदि की स्थिति की जानकारी भी ले सकेंगे।
- दूरदराज़ के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के छात्रों को इससे सबसे अधिक लाभ पहुँचेगा।

हिंदी दिवस

14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है।

- 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान के भाग-17 में इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए।
- इस दिन के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है।
- हिंदी को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस दिवस के आयोजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस अवसर पर हिंदी के प्रोत्साहन हेतु कई पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जैसे- राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार।
- कीर्ति पुरस्कार ऐसे विभाग को दिया जाता है जिसने वर्षभर हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया हो, जबकि राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी-विज्ञान लेखन हेतु दिया जाता है।

फॉल आर्मीवार्म

इस खरीफ सीज़न में कर्नाटक के किसानों के सामने फॉल आर्मीवार्म या स्पोडोप्टेरा फ्रुजाईपेर्डा (Spodoptera frugiperda) नामक एक नई समस्या ने दस्तक दी है।

- वर्तमान में यह कीट मक्का की फसल को नुकसान पहुँचा रहा है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह कीट जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में फ़ैल सकता है तथा दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
- यह कीट भारतीय मूल का नहीं है। भारत में पहली बार इसकी उपस्थिति कर्नाटक में चिकबल्लापुर ज़िले के गौरीबिंदपुर के पास दर्ज की गई थी।
- यह कीट आमतौर पर उत्तरी अमेरिका से लेकर कनाडा, चिली और अर्जेंटीना के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है।
- वर्ष 2017 में इस कीट के दक्षिण अफ्रीका में फैलने के कारण वहाँ की फसलों को भारी नुकसान हुआ था।
- ये कीट पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करते हैं तथा इनके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो।
- ये कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकते हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देश का सर्वाधिक संकटग्रस्त पक्षी है तथा राजस्थान सरकार इसकी आबादी को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार, वर्ष 1969 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की आबादी लगभग 1,260 थी और वर्तमान में इनकी कुल संख्या अनुमानत: 200 से भी कम है।

नोट :

- जब भारत के 'राष्ट्रीय पक्षी' के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का नाम भी प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने किया था।
- लेकिन 'बस्टर्ड' शब्द के गलत उच्चारण की आशंका के कारण 'भारतीय मोर' को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है।
- यह विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' को भारतीय चरागाहों की पताका प्रजाति (Flagship species) के रूप में जाना जाता है।
- इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम आर्डीओटिस नाइग्रीसेप्स (Ardeotis nigriceps) है, जबकि मल्धोक, घोराड येरभूत, गोडावण, तुकदार, सोन चिरैया आदि इसके प्रचलित स्थानीय नाम हैं।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, जहाँ इसे गोडावण नाम से भी जाना जाता है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की जनसंख्या में अभूतपूर्व कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में भी 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically Endangered) प्रजाति के तहत सूचीबद्ध किया है।

फ्लोरेंस तूफ़ान

हाल ही में अमेरिका के पूर्वी तटों पर एक तूफान ने दस्तक दी जिसे फ्लोरेंस नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस तूफ़ान की उत्पत्ति पश्चिम अटलांटिक महासागर से हुई है।

- इस तूफान के चलते अमेरिका ने नार्थ तथा साउथ कैरोलिना के साथ-साथ वर्जीनिया में भी आपातकाल घोषित कर दिया है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिये रेल मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

- यह पुरस्कार भारत हिंदी दिवस (14 सितंबर) के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिया गया।
- राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है।
- पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है।
- यह समीक्षा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के स्वाध्याय के लिये 'प्रवाह' एप और ऑनलाइन हिंदी अनुवाद के लिये 'कंठस्थ' को भी लॉन्च किया गया।

एम. विश्वेश्वरैया

महान इंजीनियर एम.विश्वेश्वरैया की 157वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया है।

- एम.विश्वेश्वरैया जिनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था, का जन्म 15 सितंबर, 1861 को मैसूर (कर्नाटक) के 'मुद्देनाहल्ली' नामक स्थान पर हुआ था।
- उनके जन्मदिन को पूरे भारत में इंजीनियर्स डे (अभियंता दिवस) के रूप में मनाया जाता है।
- उनके इंजीनियरिंग के असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नमबाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। इसकी योजना सन् 1909 में बनाई गई थी और सन् 1932 में यह पूरा हुआ।
- उन्होंने नई ब्लॉक प्रणाली का आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत स्टील के दरवाज़े बनाए गए जो बांध के पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे।
- ये मैसूर के दीवान भी रहे।
- विश्वेश्वरैया ने दक्षिण बंगलूरू में जयनगर के पूरे क्षेत्र का डिज़ाइन और प्लान किया था। जयनगर की नींव 1959 में रखी गई थी। माना जाता है कि उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया यह क्षेत्र एशिया में सबसे अच्छे नियोजित क्षेत्रों में से एक था।
- उन्होंने 'भारत का पुनर्निर्माण' (1920), 'भारत के लिये नियोजित अर्थ व्यवस्था' (1934) नामक पुस्तकें लिखीं और भारत के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन किया।

नोट :

- उनके द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानितकिया गया था।
- 14 अप्रैल, 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया।

सुश्री सुब्बुलक्ष्मी

- हाल ही में सुश्री सुब्बुलक्ष्मी जी की 102वीं जयंती मनाई गई। वह भारत के महान कर्नाटक संगीतकारों में से एक थीं।
- वह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थीं।
- वह प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय थीं।
- उन्हें मद्रास म्यूज़िक अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला, जिसे कर्नाटक संगीत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
- वह संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर 1966 में संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय थीं।
- 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया था।

इसरो ने ब्रिटेन के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पीएसएलवी-सी42 की मदद से ब्रिटेन के दो उपग्रहों (नोवाएसएआर और एस1-4) को प्रक्षेपित किया है।
- आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर भारत के रॉकेट बंदरगाह श्रीहरिकोटा में पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन (पीएसएलवी) का यह 44वाँ भारतीय रॉकेट प्रक्षेपण है।
- किसी भी भारतीय उपग्रह का प्रक्षेपण नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह प्रक्षेपण एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसरो की वाणिज्यिक शाखा, के माध्यम से अनुबंधित पूरी तरह से वाणिज्यिक है।
- यह पीएसएलवी का पाँचवाँ और इस साल का पहला पूर्णत: वाणिज्यिक प्रक्षेपण है जिसमें पूरा रॉकेट किसी विदेशी कंपनी द्वारा किराए पर लिया गया है।
- नोवाएसएआर उपग्रह में संसाधन मानचित्रण, आपदा प्रबंधन और जहाज़ो का पता लगाने के लिये दिन-रात निगरानी करने की क्षमता है तथा एस1-4 उपग्रह पर्यावरण निगरानी और शहरी प्रबंधन के लिये के लिए बना है।
- इस प्रक्षेपण के लिये पीएसएलवी का सबसे हल्का संस्करण तैनात किया गया है, जिसे 'कोर अलोन' संस्करण कहा जाता है।
- पिछले 43 प्रक्षेपणों में से केवल दो बार पीएसएलवी विफल रहा है, यह अच्छी सफलता दर है।

एमपीएटीजीएम (Man Portable Anti-Tank Guided Missile)

- स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है।
- यह मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों पर वार करने और उन्हें नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किया गया निर्देशित मिसाइल है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया।
- कम वज़न वाला यह एमपीएटीजीएम मिसाइल इजराइल से प्राप्त होने वाले एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'स्पाइक' का पूरक होगा।

उज़्बेक मकोम फोरम

प्राच्य मकोम कला को व्यापक रूप से बढ़ावा देने, युवा पीढ़ी के बीच इसकी स्वीकृति दिलवाने और राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस इंटरनेशनल फोरम का आयोजन उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियॉयेव की पहल पर किया गया है।

- मकोम पूरे एशिया में तार और आघात वाद्य यंत्रों द्वारा बजाई जाने वाली संगीत की प्राच्य प्रणाली है।
- भारत के उस्ताद इकबाल अहमद खान को एकल श्रेणी में उनके प्रदर्शन के लिये द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत की 50 से अधिक वर्षों से सेवा करने वाले, दिल्ली घराना के गायक उस्ताद इकबाल अहमद खान अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मुखर अभिव्यक्ति के लिये जाने जाते हैं।

नोट :

- ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन, गज़ल जैसी संगीत की कई विधाओं में विशेषज्ञता उनकी सीमा को व्यापक बनाती है। शास्त्रीय गायन की उनकी शैली ने उन्हें बेहद सम्मान और प्रशंसा दिलवाई है।
- वह शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिसे भारतीय संगीत के दिल्ली घराने के खलीफा या प्रमुख के रूप में जाना जाता है।
- उज़्बेकिस्तान में पहली बार मकोम आर्ट के इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम हर दो साल में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के समन्वय की ज़िम्मेदारी उज़्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रालय और अन्य हितधारकों के हाथों में है।
- यह फोरम यूनेस्को के संरक्षण में आयोजित किया गया है।

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force)

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई को, खासतौर पर "कानूनी" मोर्चे पर (जैसे परिसंपत्तियों को ज़ब्त करना, वित्त की ज़ब्ती, आतंकवादी समूह के बुनियादी ढाँचे को नष्ट करना इत्यादि) असंतोषजनक पाया है।

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स

- फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स वर्ष 1989 में जी-7 की पहल पर स्थापित एक अंत: सरकारी संस्था है।
- इसका उद्देश्य 'टेरर फंडिंग', 'ड्रग्स तस्करी' और 'हवाला कारोबार' पर नज़र रखना है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ?

- फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स किसी देश को निगरानी सूची में डाल सकती है और उसके बावजूद कार्रवाई न होने पर उसे 'खतरनाक देश' घोषित कर सकती है।
- उत्तर कोरिया, ईरान और युगांडा को भी इस सूची में डाला गया है।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका जैसे देश इसकी रिपोर्ट का कड़ाई से पालन करते हैं।

भारत पर्यटन मार्ट

17 सितंबर, 2018 को भारत के पहले पर्यटन मार्ट (India Tourism Mart- ITM 2018) की शुरुआत की गई।

- 'भारत पर्यटन मार्ट' का आयोजन पर्यटन मंत्रालय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों तथा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ (FAITH) के सहयोग से कर रहा है। ITM 2018 में विश्व भर, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका, कॉमनवेल्थ देशों इत्यादि से लगभग 225 मेज़बान अंतर्राष्ट्रीय खरीदार एवं मीडियाकर्मी भाग ले रहे हैं।
- इस आयोजन से पर्यटन व अतिथि सत्कार से जुड़े सभी हितधारकों को विचार-विमर्श करने का मौका मिलेगा और उन्हें व्यापार से जुड़े अवसरों की जानकारी मिलेगी।
- ITM 2018 के माध्यम से भारत पूरे विश्व, खासकर चीन, लैटिन अमेरिका, जापान आदि को अपने उन गंतव्यों की जानकारी दे सकता है जिनके बारे में पर्यटकों के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती।

शीतलता कार्ययोजना पर दस्तावेज़ तैयार करने वाला भारत पहला देश

विश्व ओज़ोन दिवस (16 सितंबर) के अवसर पर सरकार, उद्योग, उद्योग संघ और सभी हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग पर बल देते हुये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शीतलता कार्ययोजना पर दस्तावेज़ जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत पहला देश है जिसने शीतलता कार्ययोजना पर दस्तावेज़ तैयार किया है। इस कार्ययोजना के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं इससे जुड़ी माँग तथा ऊर्जा की आवश्यकता का आकलन।
- शीतलता के लिये उपलब्ध तकनीकों की पहचान के साथ ही वैकल्पिक तकनीकों, अप्रत्यक्ष उपायों और अलग प्रकार की तकनीकों की पहचान करना।
- सभी क्षेत्रों में गर्मी से राहत दिलाने तथा सतत् शीतलता प्रदान करने वाले उपायों के बारे सलाह देना।

नोट :

- तकनीशियनों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- घरेलू वैकल्पिक तकनीकों के विकास हेतु 'शोध एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र' को विकसित करना।

अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस के बारे में

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलपर हस्ताक्षर होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुक्रम में 1995 के बाद से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय ओज़ोन दिवस का आयोजन किया जाता है।
- यह आयोजन मुख्यत: ओज़ोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसके बचाव हेतु संभव समाधान की खोज करने के लिये मनाया जाता है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इतिहास में सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में जाना जाता है।
- वर्ष 2018 के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम "शीतलता बनाए रखो और प्रगति करो" (Keep Cool and Carry On) है।

अखिल भारतीय पेंशन अदालत (All India Pension Adalat)

- भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया 'पेंशन अदालत' की शुरुआत की गई।
- इसके साथ विभागों के लिये संस्थागत स्मृति को संयोजित करने के कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिये 6 पेंशनभोगियों को 'अनुभव' पुरस्कार, 2018 से भी सम्मानित किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर वर्ष 2015 में 'अनुभव योजना' की शुरुआत की गई थी।
- इसके माध्यम से पेंशनभोगियों को 'जीवन निर्वाह में सुगमता' का अधिकार सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है। वस्तुत: इसकी सहायता से पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिये बाधा मुक्त प्रशासनिक प्रणाली सुलभ कराए जाने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य

- पेंशन अदालतों को विभिन्न मामलों जैसे - असंतुष्ट पेंशनभोगी, संबंधित विभाग, बैंक या CGHS (Central Government Health Scheme) प्रतिनिधि, अर्थात् जहाँ भी प्रासंगिक हो, को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि संबंधित मामलों का मौजूदा नियमों के भीतर निपटारा किया जा सके।
- पेंशन अदालत के अलावा, अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (Pre-Retirement Counselling - PRC) प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।
- PRC कार्यशाला का उद्देश्य न केवल सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, बल्कि उन्हें चिकित्सा सुविधाओं और स्वैच्छिक गतिविधियों में भागीदारी सहित अग्रिम योजना के विषय में शिक्षित करना भी है।

सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (C-DAC Information Media Server)

- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन के लिये सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (CIMS) लॉन्च किया है।
- सी-डैक सूचना मीडिया सर्वर (CIMS) एक कंप्यूटर उपकरण है जिसमें मांग के आधार पर ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराने वाला विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
- कम लागत वाली यह किफायती प्रणाली शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल मल्टीकोर प्रोसेसर वाले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ तैयार की गई है।
- इसे किसी विशेष इंटरनेट सेवा प्रदाता या डेटा कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऑफलाइन रहने की स्थिति में वीडियो देखने या डाउनलोड करने के लिये टेक्स्ट प्रदर्शित करने, तस्वीरें देखने, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई-ब्रोशर जैसी सामान्य विशेषताओं को शामिल किया गया है।
- CIMS को स्थापित करना काफी सरल है, इसे संसद, (मौजूदा राज्यसभा, सदस्यों के विवरण), शिक्षण संस्थानों (ई-बुक्स, समय सारिणी, दिन की खबरों, सूचनाओं), रेलवे स्टेशनों (ट्रेन चलने की जानकारी, स्टेशन लेआउट मैपिंग), अस्पतालों (ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, रोगियों के रिकार्ड) जैसी जगहों पर आसानी से संचालित किया जा सकता है।

नोट :

- कोई भी उपयोगकर्त्ता किसी भी स्मार्ट डिवाइस के माध्यम से वाई-फाई के साथ कनेक्ट हो सकता है और उपलब्ध जानकारी को मुफ्त में प्राप्त कर सकता है।

परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र (Variable Energy Cyclotron Centre)

- कैंसर देखभाल में नैदानिक और चिकित्सकीय उपयोग हेतु साइक्लोट्रॉन का उपयोग रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करने के लिये किया जाता है।
- साइक्लोन -30, भारत का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है। जैसे ही 30 एमवी बीम पहली बार फैराडे कप (Faraday Cup) तक पहुँचने में सक्षम होगा, उसी के साथ यह इस माह (सितंबर) से परिचालित हो गया।
- इसके बाद इस केंद्र के माध्यम से बीम का उपयोग 18 एफ (फ्लूराइन -18 आइसोटोप) के उत्पादन के लिये किया गया।
- आपकी जानकारी के लिये बता दें कि 18 FlFluorodeoxyglucose (FDG), बीआरआईटी (Board of Radiation & Isotope Technology - BRIT) द्वारा उपयोग किये जाने वाला एक रेडियो-फार्मास्यूटिकल है।
- यह केंद्र सहायक परमाणु प्रणालियों और नियामक मंज़ूरी प्राप्त होने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक नियमित रूप से उत्पादन कार्य शुरू कर देगा।
- VECC, कोलकाता में स्थित साइक्लोन -30 परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy - DAE) की एक इकाई है, इसके अंतर्गत बहुत-सी अद्वितीय विशेषताएँ निहित हैं।
- Cyclone-30 (commissioning re-emphasises the capability of Indian scientists and engineers to deliver at the highest level of science and technology) यह केंद्र देश भर के लिये और विशेष रूप से पूर्वी भारत के लिये किफायती रेडियो आइसोटोप और संबंधित रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उपलब्ध कराएगा।
- इसके साथ-साथ यह जर्मेनियम-68/गैलियम-68 जनरेटर के लिये स्व:स्थाने (in-situ) पैलेडियम-103 एवं गैलियम-68 आइसोटोप की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।
- इन आइसोटोपस का इस्तेमाल स्तन कैंसर के निदान और पौरुष ग्रंथि कैंसर (prostate cancer) के उपचार के लिये किया जाता है।
- साइक्लोन -30 के परिचालन से जहाँ एक ओर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर, देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुँचने में भी सहायता मिलेगी।

ई-सहज पोर्टल

देश के कुछ विशेष संवेदनशील क्षेत्रों में कारोबार शुरू करने से पहले सुरक्षा संबंधी मंज़ूरी को आसान करने के लिये सरकार ने 'ई-सहज' नमक एक पोर्टल शुरू किया है।

- इससे सुरक्षा मंज़ूरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा तेज़ी आएगी।
- कुछ विशेष संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट/मंज़ूरी/कॉन्ट्रैक्ट आदि देने से पहले सुरक्षा संबंधी मंज़ूरियाँ प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा मंज़ूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंज़ूरी देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करना और व्यापार में आसानी लाने तथा देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है।

एमएसएमई इनसाइडर'

- हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के मासिक ई-न्यूज़लेटर 'एमएसएमई इनसाइडर' को लॉन्च किया गया।
- ई-न्यूज़लेटर में मंत्रालय की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। साथ ही यह MSME मंत्रालय एवं देश भर में फैली लाखों MSME इकाइयों के बीच एक पुल की भूमिका भी निभाएगा।

नोट :

- मंत्रालय की योजनाओं से MSME के साथ-साथ आम जनता को भी अवगत कराने के अलावा ई-न्यूज़लेटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों, संबंधित माह में होने वाले आगामी कार्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी आवश्यक जानकारियाँ देगा।
- ई-न्यूज़लेटर में उन उद्यमियों की सफलता की गाथाएँ भी होंगी जो मंत्रालय की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
- इसके अलावा, उद्योग आधार मेमोरेंडम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके लगभग 50 लाख MSMEs के बीच ई-न्यूज़लेटर का वितरण भी किया जाएगा।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

रोज़गार पद्धति में बदलाव तथा भारत में रोज़गार के वर्तमान परिदृश्य पर विचार करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किये जाने वाले बीमित व्यक्तियों (Insured Persons) के लिये 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' नामक एक योजना को मंज़ूरी दी है।

- इस योजना के अंतर्गत नौकरी चली जाने की स्थिति में और नई नौकरी की तलाश के दौरान बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी।

ESIC के अन्य फैसले

- ESIC ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति दस रुपए की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है, जिससे कि उन श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ESIC डाटा बेस में आधार (UID) के जोड़े जाने को प्रोत्साहित किया जा सके। यह कदम एक ही बीमित व्यक्ति के विविध पंजीकरणों में कमी लाएगा तथा दीर्घकालिक अंशदायी स्थितियों का आवश्यक लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएगा।
- ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिये अर्हता स्थिति में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है, जिसमें पहले के दो वर्षों के बीमा योग्य रोज़गार अवधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और इसमें केवल 78 दिनों के अंशदान की आवश्यकता होगी।
- इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिये सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोज़गार तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान शामिल होगा। इस छूट से बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को संशोधित अर्हता के अनुसार निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- ESIC ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किये जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है।

अन्ना राजम मल्होत्रा

स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- उनका जन्म जुलाई 1927 में केरल के एर्नाकुलम ज़िले में हुआ था।
- अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में सिविल सेवा में शामिल हुई और मद्रास कैडर का चयन किया।
- उनका विवाह आर.एन. मल्होत्रा के साथ हुआ था, उल्लेखनीय है कि आर.एन. मल्होत्रा ने 1985 से 1990 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था।
- अन्ना राजम मल्होत्रा, जिन्हें घुड़सवारी और शूटिंग में प्रशिक्षित किया गया था, को सबसे पहले होसुर में उप जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।
- उन्होंने 7 मुख्यमंत्रियों के अधीन कार्य किया था जिनमें सी.राजगोपालाचारी सबसे प्रमुख थे। उल्लेखनीय है कि सी. राजगोपालाचारी सिविल सेवाओं में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ थे लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं अन्ना राजम मल्होत्रा की प्रशंसा की थी।
- अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत के प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह न्हावा शेवा के निर्माण का कार्य पूरा करवाया।
- वर्ष 1990 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।

नोट :

स्मार्ट बाड़ परियोजना

हाल ही में जम्मू में भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट बाड़ के लिये दो प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत की गई।

- स्मार्ट सीमा बाड़ परियोजना देश में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) कार्यक्रम के तहत शुरू की जाने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना है।
- सीमा पर 5.5 किलोमीटर लंबी दूरी की दो सीमा बाड़ परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था तकनीक तौर पर काफी उन्नत है जिसमें भूमि, जल और यहाँ तक की हवा में भी अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बाधाएँ लगाई गई हैं।
- इससे BSF को काफी दुर्गम क्षेत्रों में खतरों की पहचान करने और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने में मदद मिलेगी।
- CIBMS निगरानी, संचार और डाटा संग्रहण में बड़ी संख्या में अलग-अलग यंत्रों का इस्तेमाल करता है।
- इसकी सहायता से BSF सीमा पर सभी प्रकार के मौसम में 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम होगा।

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर

हाल ही नई दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर (India International Convention and Expo Centre-IICC) की स्थापना की नींव रखी गई।

- नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर-25 में बनने वाला यह सेंटर विश्व स्तरीय एक्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें वित्तीय, अतिथ्य तथा रिटेल सेवाओं जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- परियोजना की अनुमानित लागत 25,700 करोड़ रुपए है।
- यह परियोजना औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion- DIPP) द्वारा स्थापित शत-प्रतिशत सरकारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड द्वारा लागू की जा रही है।

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया।

भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

गुजरात सरकार भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

- जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय अनुसंधान-केंद्रित अकादमिक संस्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- यह विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रमुख मुद्दों और उनके समाधानों की समीक्षा भी करेगा और उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ज्ञान एवं कौशल के साथ जनशक्ति का विकास करेगा।
- राज्य में एक मज़बूत जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये, सरकार ने गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र और सावली प्रौद्योगिकी और व्यापार इनक्यूबेटर की स्थापना की है।
- ये संगठन पहले से ही अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, नीति आधारित स्टार्ट-अप और राज्य में उद्यमिता को बढ़ाने के लिये काम करते आ रहे हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को गति प्रदान करते हैं।

सलाहकार परिषद

विश्वविद्यालय के अधिनियम में रणनीतिक परिवर्तनों पर आवश्यक दिशा-निर्देशों के लिये सलाहकार परिषद बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें शिक्षा प्रणाली, शोध प्रणाली और उद्योगों के साथ संबंध तथा विदेशों में शीर्ष रैंकिंग संस्थान शामिल होंगे।

- इस समिति का उद्देश्य विश्वविद्यालय के वैश्विक मानकों को पूरा करना है।

नोट :

रायगंज वन्यजीव अभयारण्य

पश्चिम बंगाल के रायगंज वन्यजीव अभयारण्य में आगंतुक पक्षियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड पार कर लिये हैं।

- राज्य वन विभाग द्वारा की गई जनगणना के अनुसार, 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले वन्यजीव अभयारण्य में इस वर्ष 98,532 पक्षियों की उपस्थिति दर्ज़ की गई है। जो यह दर्शाता है कि इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।
- एशिया में सबसे अधिक ओपनबिल स्टार्क पक्षी इस अभयारण्य में पाए जाते है। उल्लेखनीय है कि 98,000 प्रवासी पक्षियों में से 67,000 ओपनबिल स्टार्क हैं।

ओपनबिल स्टार्क

- यह एक वृहदाकार पक्षी है जो पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।
- इनकी चोंच के मध्य खाली स्थान होने के कारण इन्हें ओपनबिल नाम दिया गया है।
- विश्व में इस पक्षी की कुल 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 8 प्रजातियाँ भारत में मौजूद हैं।
- इसका मुख्य भोजन घोंघा, मछली तथा अन्य छोटे जलीय जीव हैं।
- IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है।

अभयारण्य के बारे में

- रायगंज वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले में स्थित है।
- इस अभयारण्य को कुलिक पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका यह नाम कुलिक नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह अभयारण्य हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- इस अभयारण्य में पक्षियों की 164 प्रजातियाँ पाई जाती है।

गिर वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में 10 से अधिक एशियाई शेरों की मौत हो गई।

- वन अधिकारियों के अनुसार, इनमें से अधिकांश शेरों की मौत फेफड़ों के संक्रमण के कारण हुई जबकि कुछ की मौत आपस में लड़ाई में लगी चोटों के कारण हुई है।

अभयारण्य के बारे में

- गिर वन्यजीव अभयारण्य 'बाघ संरक्षित क्षेत्र' है, जो 'एशियाई बब्बर शेर' के लिये विश्व प्रसिद्ध है।
- यह अभयारण्य लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें 258 किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है।
- एशियाई शेर को बचाने के लिये सरकार ने 18 सितंबर, 1965 को सासन गिर की बड़ी भौगोलिक सीमा को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया।
- 1969 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था।
- 1975 में इसके 140.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- गिर अभयारण्य को एशियाई शेरों की अंतिम शरणस्थली माना जाता है।
- दक्षिणी अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा एकमात्र स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है।
- यहाँ स्तनधारी जीवों की 30 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियाँ और कीड़े-मकोड़ों तथा पक्षियों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

नोट :

बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रहार'

हाल ही में भारत ने भारी वर्षा के बीच ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण स्थल स्थित लॉन्चिंग कॉम्पलेक्स-III से ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रहार' का सफल परीक्षण किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी 350 किमी. से 500 किमी. तक मारक क्षमता वाले प्रहार मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

प्रहार की विशेषताएँ

- इसकी लंबाई 7.32 मीटर और व्यास 420 मिमी. है।
- इसका वज़न लगभग 1.28 टन है।
- 200 किग्रा. तक हथियार ले जाने में सक्षम है।
- इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग हुआ है और इसकी गति 2 मैक है।
- बेहतर सटीकता।
- लॉन्चर विभिन्न लक्ष्यों के लिए अलग-अलग प्रकार के हथियारों वाले छह मिसाइलों को ले जा सकता है
- अलग-अलग दिशाओं में एक साथ छः मिसाइल छोड़ने की क्षमता।

नासा का बलून मिशन

हाल ही में नासा के बलून मिशन ने इलेक्ट्रिक ब्लू क्लाउड की तस्वीरें ली है।

- बलून मिशन द्वारा ली गई तस्वीरों का वैज्ञानिकों द्वारा विशेलेषण किया जा रहा है जो वायुमंडल उत्पन्न होने वाले विक्षोभों के साथ ही महासागरों, झीलों और अन्य ग्रहों के वायुमंडल को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे और इसके विश्लेषण से प्राप्त परिणाम मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने सहायता कर सकता है।
- 8 जुलाई, 2018 को नासा के PMS टर्बो मिशन ने सतह से 50 मील की ऊँचाई पर PMCs का अध्ययन करने के लिए एक विशाल गुब्बारे को लॉन्च किया था।
- अपनी पाँच दिन की उड़ान के दौरान इस विशाल गुब्बारे पर लगे कैमरे ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली 6 मिलियन तस्वीरें लीं जिनमें से अधिकांश तस्वीरें में PMCs में विक्षोभों की प्रक्रियाओं को प्रकट कर रही थीं।
- वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये दशकों से गुब्बारों का उपयोग किया जाता है। उन्हें दुनिया के किसी भी स्थान से लॉन्च किया जा सकता है और यह वैज्ञानिक अवलोकनों के लिये एक कम लागत वाली विधि है।
- नासा बलून कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी जाँचों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक बलून प्लेटफॉर्म स्थापित करना है।
- इन जाँचों में मूलभूत वैज्ञानिक खोजें शामिल हैं जो पृथ्वी, सौरमंडल एवं ब्रह्मांड को और अधिक बेहतर तरीके से समझने में योगदान देती हैं।

भारत का पहला स्वदेशी जीपीएस मॉड्यूल UTraQ

हाल ही में भारत ने अपना नया जीपीएस मॉड्यूल UTraQ लॉन्च किया है।

- यह जीपीएस भारत की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) और NavIC की मदद से काम करेगा तथा वास्तविक लोकेशन के बारे में बताएगा।
- इन मॉड्यूल्स का उपयोग लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अलाव रेंज का पता लगाने, कमांड देने, कंट्रोल करने और समय बताने जैसे अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है।

नोट :

कमलेश नीलकंठ व्यास

हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कमलेश नीलकंठ व्यास की परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को मंज़ूरी दी।

- कमलेश व्यास 64 वर्ष की आयु (03.05.2021) तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस पद पर बने रह सकते हैं।
- नव नियुक्त अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास ने ऑस्ट्रिया के वियना में शेखर बसु से पदभार का ग्रहण किया।

परमाणु उर्जा विभाग

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की स्थापना 3 अगस्त, 1954 को की गई थी।
- परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार का सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission-AEC) का पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होता है।
- DAE नाभिकीय विद्युत/अनुसंधान रिएक्टरों के अभिकल्पन, निर्माण एवं प्रचालन तथा सहायक नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों जिनमें नाभिकीय खनिजों का अन्वेषण, खनन एवं प्रसंस्करण, भारी पानी का उत्पादन, नाभिकीय ईंधन संविरचन, ईंधन पुनर्संस्करण तथा नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं, के कार्य में लगा हुआ है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग की स्वतंत्र इकाई के रूप में BRIT स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों के लिये विकिरण एवं आइसोटोप पर आधारित विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा

हाल ही में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया।

- दक्षिणी राज्यों में हिंदी का प्रचार करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी ने 1918 में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना की थी।
- इसके प्रथम प्रचारक कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी थे।
- 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक स्वतंत्र संगठन के रूप में उभरकर सामने आई और महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम समय तक इसके अध्यक्ष रहे।
- 1920 तक इस सभा का कार्यालय मद्रास के जॉर्ज टाउन में था उसके कुछ सालों बाद बाद यह मायलापोर में स्थानांतरित हो गया और बाद में यह त्रिपुलीन में स्थानांतरित हुआ जहाँ यह 1936 तक काम करता रहा।
- इस सभा की प्रांतीय शाखाओं की स्थापना 1936 में की गई थी और उसी वर्ष सभा के सदन को मद्रास के तत्कालीन नए शहर त्यागराज नगर में स्थापित किया गया था। इस इमारत की नींव अब्दुल हमीद खान ने रखी थी और इमारत का उद्घाटन 7 अक्तूबर, 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
- वर्ष 1946 में इस सभा का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी।
- रजत जयंती समारोह के दौरान गांधीजी की उपस्थिति को स्मरणीय बनाने हेतु उस स्थान पर गांधी मंडप का निर्माण किया गया जहाँ गांधीजी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। इस मंडप का उद्घाटन 9 जून, 1963 को मोरारजी देसाई ने किया था।
- वर्ष 1993 में इस सभा की प्लैटिनम जुबिली का आयोजन अमृतोत्सव नाम से किया गया था।

14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

हाल ही में 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017 के पुरस्कार वितरित किये गए। उल्लेखनीय है कि 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे भारत के 74 संस्थानों के बीच किया गया।

- डीएवी महाविद्यालय, जालंधर के छात्रों ने प्रतियोगिता में प्रथम आने पर रनिंग पार्लियामेंटरी शील्ड एवं ट्रॉफी जीती, इसके अलावा संबंधित समूहों में प्रथम आने वाले विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को मेरिट ट्रॉफी प्रदान की गई।
- युवा संसद प्रतियोगिता

नोट :

- संसदीय मामलों का मंत्रालय 1997-98 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
- उद्देश्य
- युवा पीढ़ी को संसद की प्रक्रिया एवं कार्यवाहियों, बहस एवं चर्चा की तकनीकों से अवगत करना।
- उनमें नेतृत्व के गुणों, आत्म अनुशासन की भावना, विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का विकास करना।
- युवाओं में प्रभावी भाषण कला, विचारों की ईमानदार अभिव्यक्ति एवं जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों के अन्य गुणों (जिनमें सभी लोकतंत्र की विशिष्टता हैं) को समावेशित करना।

तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम

हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले 'ब्रह्मोत्सव' का आयोजन हर साल आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में किया जाता है।

- ब्रह्मोत्सव तिरुमाला का वार्षिक उत्सव है जो ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान श्रीनिवास के आविर्भाव का स्मरण करने के लिये मनाया जाता है।
- आमतौर पर इस त्योहार का आयोजन सितंबर या अक्तूबर के माह में किया जाता है।
- नौ दिनों तक चलने वाले वार्षिक उत्सव 'ब्रह्मोत्सव' के दौरान तिरुमाला में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है।
- इन नौ दिनों के दौरान प्रत्येक दिन भगवान वेंकेटश्वर की मूर्ति को अलग-अलग रथों पर घुमाया जाता है।
- त्योहार के पहले दिन "अनुरार्पण" अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। "अनुरार्पण" अनुष्ठान प्रजनन क्षमता, बहुतायत और समृद्धि का प्रतीक है।
- इस उत्सव को मनाने का मुख्य कारण भगवान से ऐसे जीवन के लिये प्रार्थना करना है जो उच्च मूल्यों और नैतिकता से भरा हुआ हो।

गोल्डन ग्लोब रेस

हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना कमांडर अभिलष टॉमी के लिए एक खोज और बचाव अभियान शुरू किया, जो कन्याकुमारी के दक्षिण में 2500 से अधिक समुद्री मील की दूरी पर अपने नौकायन पोत में फँसे हुए थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी स्वदेश निर्मित नौकायन पोत 'थुरिया' पर गोल्डन ग्लोब रेस 2018 (GGR) में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में

- गोल्डन ग्लोब रेस (Golden globe race) 2018 एक नौकायन दौड़ है। इस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम 1968-69 में किया गया था। यह एक नॉन-स्टॉप, एकल संचालनीय (single handed), विश्व के चारों तरफ भ्रमण करने वाली नौका दौड़ है।
- गोल्डन ग्लोब रेस (Golden globe race) 2018 की शुरुआत 1 जुलाई, 2018 को फ्राँस के लेस सेबल्स-डीओलोन (les sables-d'olonne) नामक बंदरगाह से हुई।
- इस दौड़ की विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग वर्जित है और इस नौका की तकनीक 1968 के बाद की न हो।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी (Abhilash Tomy) इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एशिया के एकमात्र प्रतियोगी हैं। कमांडर अभिलाष ने अपनी नौका 'थूरिया' (Thuriya) के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

हॉर्नबिल की रक्षा हेतु सिटीज़न साइंस पहल

हाल ही में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिये मूल्यवान इनपुट प्रदान करने हेतु भारतीय हॉर्नबिल का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये सिटीज़न साइंस पहल की शुरुआत की गई है।

- सिटीज़न साइंस, आँकड़े इकट्ठा करने के लिये भागीदारी हेतु एक सामूहिक, सार्वजनिक प्रयास है जिसमें लोग घर से विज्ञान की प्रगति के लिये अपना स्वैच्छिक योगदान करते हैं।
- सिटीज़न साइंस प्रथा की निम्नलिखित चार आम विशेषताएँ हैं:
- इसमें कोई भी भागीदारी निभा सकता है।

नोट :

- सभी भागीदार समान प्रोटोकॉल और विधि का प्रयोग करते हैं ताकि आँकड़ों को संयोजित किया जा सके और उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रह सके।
- सही आँकड़े वैज्ञानिकों को सही निष्कर्ष तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं।
- वैज्ञानिकों और स्वयंसेवकों का व्यापक समूह एक साथ काम करता है और इकठ्ठा किये गए आँकड़ों को वैज्ञानिकों तथा आम लोगों के साथ साझा करता है।
- संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हॉर्नबिल की उपस्थिति के आँकड़े उनके निवास स्थान की पहचान करने और विकास परियोजनाओं तथा संभावित खतरों से उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- लोग किसी जीवित हॉर्नबिल के अवलोकन को दर्ज कर सकते हैं, किसी मृत, शिकार किये गए या बंदी पक्षी की सूचना भी दे सकते हैं।
- भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ हैं जिनमें से चार पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं- भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (भारत का स्थानिक), मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (पश्चिमी घाट का स्थानिक), मालाबार पाइड हॉर्नबिल (भारत व श्रीलंका का स्थानिक) और व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल (अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी)।
- बहुत कम या फिर संकटग्रस्त प्रजातियाँ जैसे कि रफस-नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टेन की ब्राउन हॉर्नबिल, जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल भी शामिल है, उत्तर-पूर्वी भारत के कई राज्यों में पाई जाती हैं।
- भारत में एक ऐसी प्रजाति भी है जिसकी संख्या बहुत कम है- लुप्तप्राय नर्कोन्दम हॉर्नबिल जो केवल नर्कोन्दम द्वीप (अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा) पर पाई जाती है।

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल रात्रिकालीन परीक्षण

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दो स्तरों वाली बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) प्रणाली का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कर लिया है।
- बीएमडी में दो इंटरसेप्टर मिसाइलें- एक्सो-एटमोस्फियरिक दूरियों के लिये पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (PDV) और एंडो-एटमोस्फियरिक या कम ऊँचाई के लिये एडवांस एरिया डिफेंस (AAD) मिसाइल होती हैं।
- एक्सो-एटमोस्फियरिक मिसाइल प्रणाली 50-80 किमी की ऊँचाई पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है जबकि एंडो-एटमोस्फियरिक प्रणाली 30 किमी की ऊँचाई तक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है।
- अमेरिका, रूस, इज़राइल और चीन के बाद मज़बूत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैश भारत दुनिया का पाँचवाँ राष्ट्र है।
- क्या है बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली?
- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र के बाहर या अंदर दोनों दिशाओं से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक तथा न्यूक्लियर मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी मिसाइल कवच प्रदान करना है।
- दुश्मन के मिसाइल को बूस्ट पॉइंट (प्रक्षेपण), बीच में (आकाश में उड़ान), या टर्मिनल फेज़ (वायुमंडलीय ढलान के दौरान) पर ही इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता होती है।
- बीएमडी दो-स्तरीय, पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं:
- प्रारंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग रडार का व्यापक नेटवर्क।
- विश्वसनीय कमांड और कंट्रोल पोस्ट।
- उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों की भूमि और समुद्र-आधारित बैटरी।

वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा तथा पाक्योंग हवाई अड्डा

हाल ही में ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई तथा सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।

नोट :

वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा

- यह ओडिशा का दूसरा हवाई अड्डा है।
- इस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के नाम पर रखा गया है।
- झारसुगुड़ा हवाई अड्डे को ओडिशा सरकार के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है।
- इस हवाई अड्डे का विकास केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत किया गया है।

पाक्योंग हवाई अड्डा

- यह राज्य का पहला और देश का 100वाँ हवाई अड्डा है।
- यह आम आदमी के लिये उपयोगी बन सके यह सुनिश्चित करने के लिये इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना का हिस्सा बनाया गया है।
- यह समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
- यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है।
- यह हवाई अड्डा भारत-चीन सीमा से 60 किमी. की दूरी पर स्थित है। इसलिये यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय वायु सेना लैंडिंग करने और उड़ान भरने के लिये इस हवाई अड्डे का भी उपयोग कर सकती है।
- यह हवाई अड्डा शेष भारत के साथ सिक्किम की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। नए हवाई अड्डे के कारण पर्यटकों के लिये सिक्किम पहुँचना आसान होगा।
- इस हवाई अड्डे की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी।

साइबर ट्रीविया एप

- सरकार ने 'ब्लू व्हेल' और 'मोमो चैलेंज' जैसे खतरनाक खेलों के कारण बच्चों के खिलाफ होने वाली साइबर घटनाओं का सामना करने के लिये बच्चों के लिये 'साइबर-ट्रिविया' एप लॉन्च किया है।
- इस एप में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बच्चों को उनके उत्तरों के आधार पर अंक दिये जाएंगे।
- यह बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से यह सिखाने का प्रयास है यदि उनसे इंटरनेट पर किसी अजनबी द्वारा संपर्क किया जाता है और उन्हें अपनी तस्वीरों को भेजने या अन्य चीज़ों को करने के लिये कहा जा सकता है, तो उन्हें क्या करना चाहिये।
- इस एप को साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights -NCPCR) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- साइबर पीस फाउंडेशन एक गैर-राजनीतिक नागरिक समाज संगठन तथा साइबर सुरक्षा और नीति विशेषज्ञों का थिंक टैंक है।

जीवन सुगमता सूचकांक में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीवन सुगमता सूचकांक (Ease of Living Index) के अनुसार, सुविधाजनक तथा आसान जीवन-यापन के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है।
- जीवन सुगमता सूचकांक में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है तथा ओडिशा और मध्य प्रदेश ने इस सूचकांक में क्रमश: दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया है।
- अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation-AMRUT) के तहत तीन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दर्ज़ा दिया गया है।
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 13 अगस्त, 2018 को पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया था जिसके अंतर्गत 111 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में पुणे ने शीर्ष स्थान हासिल किया था।
- सभी शहरों का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया गया था।

नोट :

जीवन सुगमता सूचकांक के बारे में

- जीवन सुगमता सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, जिसके ज़रिये शहरों में बसने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।
- इस सूचकांक में किसी शहर का आकलन चार प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें संस्थागत प्रबंधन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा बुनियादी ढाँचे की स्थिति शामिल है। इन चार मानकों को आगे 15 उपश्रेणियों और 78 संकेतों में वर्गीकृत किया गया है।

टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

क्षेत्रफल में में बहुत छोटा होने के बावजूद यह तेज़ी से बाघ संरक्षण और बाघ पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है।

- टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में स्थित है।
- अभयारण्य में बाघ देखे जाने की उच्च घटनाओं ने वन्यजीवों के प्रति उत्साही लोगों के बीच इस जगह को लोकप्रिय बना दिया है।
- पूर्णा, कृष्णा, भीमा और ताप्ती जैसी नदियाँ इस अभ्यारण्य को सिंचित करती हैं। इन सभी नदियों से जल प्राप्त करने के कारण इसे दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थित ग्रीन ओएसिस (Green Oasis) के रूप में भी जाना जाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन द्वारा जारी मानव पूंजी रैंकिंग में भारत 158वें स्थान पर

साप्ताहिक पत्रिका द लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि मानव पूंजी के स्तर पर भारत 2016 में 195 देशों में से 158वें स्थान पर था, जबकि 1990 में इसका रैंक 162वाँ था। यह अध्ययन किसी देश द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गए खर्च के आधार पर रैंक निर्धारित करता है।

- अध्ययन के मुताबिक, भारत का स्थान सूडान (157वाँ स्थान) के बाद है और नामीबिया (159वाँ स्थान) से आगे है। अमेरिका 27वें स्थान पर, जबकि चीन 44वें स्थान पर और पाकिस्तान 164वें स्थान पर है।
- अध्ययन के मुताबिक, भारत अपने कार्यबल की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पीछे है। जो संभावित रूप से अर्थव्यवस्था पर नकारत्मक प्रभाव डाल सकता है।
- इस अध्ययन में सरकारी संस्थाओं, स्कूलों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया था।
- विश्व बैंक के अनुरोध पर यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन के स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (IHME) द्वारा आयोजित यह अध्ययन देशों की 'मानव पूंजी' के स्तर को मापने और उनकी तुलना हेतु इस तरह का पहला अध्ययन है।
- यह अध्ययन इस तथ्य का भी खुलासा करता है कि किसी देश की मानव पूंजी में बढ़ोतरी के साथ उसकी अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)

हाल ही में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (National e-Vidhan Application- NeVA) पर एक राष्ट्रीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला का आयोजन संसदीय मामलों के मंत्रालय ने किया।

- कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य सभी राज्य विधान पालिकाओं को ई-विधान प्लेटफॉर्म अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना और विधान पालिकाओं के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्त्व लाना था।
- नेवा विकेंद्रीकृत डिजिटल एप्लीकेशन है, जो विधानमंडलों के दैनिक कामकाज से संबंधित सूचना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है।
- यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है और संसदीय मामलों का मंत्रालय इसके लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है तथा इसकी योजना 'एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन' के सिद्धांत के अनुरूप ई-विधान को संसद के दोनों सदनों सहित 40 विधानमंडलों में लागू करने की है।
- यह पहल हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सहायता द्वारा निष्पादित एक पायलट परियोजना के साथ शुरू हुई जिसने 2014 में शिमला विधानसभा को भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाया।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा का अनुसरण करते हुए बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में दुनिया भर में हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है।

- इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम "सांकेतिक भाषा के साथ, सभी लोग सम्मिलित हैं" (With Sign Language, Everyone is Included) है।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (Indian Sign Language Research and Training Centre-ISLRTC) द्वारा मनाया जाता है।
- सांकेतिक भाषाएँ पूर्ण रूप से विकसित प्राकृतिक भाषाएँ हैं, जो बोली जाने वाली भाषाओं से संरचनात्मक रूप से अलग होती हैं।
- एक अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा भी है, जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में और अनौपचारिक रूप से यात्राओं तथा लोगों से घुलने मिलने के दौरान बधिर लोगों द्वारा किया जाता है।
- कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ सांकेतिक भाषा की पहचान करने और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि सांकेतिक भाषा और बोली जाने वाली भाषाओं की स्थिति समान होती है और राज्यों की पार्टियों को सांकेतिक भाषा सिखाने और बधिर समुदाय की भाषायी पहचान को बढ़ावा देने के लिये बाध्य करता है।
- सांकेतिक भाषाएँ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओँ की तरह ही जटिल व्याकरण युक्त भाषाएँ हैं। इनका स्वयं का व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। सांकेतिक भाषा का कोई भी रूप सार्वभौमिक नहीं है। अलग-अलग देशों या क्षेत्रों में अलग-अलग सांकेतिक भाषाएँ प्रयोग की जाती हैं। जैसे- ब्रिटिश सांकेतिक भाषा (BSL) तथा अमेरिकन सांकेतिक भाषा (ASL), जो लोग ASL को समझते हैं वे BSL को नहीं समझ सकते।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD)

- विश्व फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD) 133 देशों के बधिर संघों का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है।
- इसके अलावा, इसकी सदस्यता में सहयोगी सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य और व्यक्तिगत सदस्य और युवा सदस्य शामिल हैं। इसका विधिक केंद्र फिनलैंड के हेलसिंकी में है जहाँ WFD सचिवालय संचालित होता है।
- संयुक्त राष्ट्र में डब्ल्यूएफडी की स्थिति परामर्शदाता की है और यह अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन (IDA) का संस्थापक सदस्य है।
- यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों, मानवाधिकार संधियों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 2030 सतत् विकास लक्ष्य के अनुसार बधिर लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है।

पराक्रम पर्व

भारतीय सशस्त्र सेना नियंत्रण रेखा (Line of Control- LOC) पर आतंकवादी शिविरों के खिलाफ किये गए सर्जिकल हमलों की दूसरी सालगिरह और सशस्त्र बलों के साहस, बहादुरी और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिये 28-30 सितंबर तक 'पराक्रम पर्व' का आयोजन करेगी।

- भारतीय सेना ने 2016 में सर्जिकल हमले किये थे, जो सामरिक रूप से अत्यधिक जटिल था। इसका उद्देश्य देश में शांति का माहौल सुनिश्चित करना और हिंसा का मार्ग अपनाकर दुश्मन को विचलित करना था।
- मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ मपर इंडिया गेट परिसर में किया जाएगा। इसी प्रकार, देश भर के 51 शहरों में 53 स्थानों पर भारतीय सशस्त्र बलों और स्पेशल फोर्सेज़ की बहादुरी वाली सामान्य तथा विशेष घटनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- आगंतुकों को सेना द्वारा कब्ज़े में लिये गए हथियारों (जिनका प्रयोग आतंकवादियों द्वारा किया गया) के अलावा सेना का तोपखाना, बंदूकें और छोटे हथियारों जैसे सैन्य उपकरण भी देखने को मिलेंगे।

नोट :

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।
- GSTN के पुनर्गठन के बाद इसका स्वामित्त्व केंद्र तथा राज्यों के बीच बराबर रूप से बाँटा जाएगा। हर राज्य की हिस्सेदारी समानुपातिक आधार पर काम करेगी।
- GSTN नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी के लिये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।
- वर्तमान में केंद्र तथा राज्यों के पास जीएसटी नेटवर्क की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी पाँच निजी वित्तीय संस्थानों- एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई सामरिक निवेश कंपनी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास है।
- GSTN बोर्ड निजी कंपनियों द्वारा धारण किये गए इक्विटी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा।
- बोर्ड की मौजूदा संरचना में बदलाव कर इसमें केंद्र और राज्यों के तीन निदेशकों, बोर्ड द्वारा मनोनीत तीन अन्य स्वतंत्र निदेशकों एवं एक अध्यक्ष तथा एक सीईओ को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार अब निदेशकों की कुल संख्या 11 हो जाएगी।
- GSTN को 28 मार्च, 2013 को यूपीए सरकार द्वारा एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

एगमार्क हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों हेतु एगमार्क प्रमाणीकरण के लिये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है।

- एगमार्क प्रमाणीकरण से संबंधित आवेदन प्रक्रिया विपणन व निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया सरल, त्वरित, पारदर्शी और 24X7 होगी।
- ऑनलाइन एगमार्क प्रणाली के माध्यम से अधिकार प्रमाण पत्र, प्रिंटिंग प्रेस की अनुमति, प्रयोगशालाओं की अनुमति और प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली से संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- एग्मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो सरकारी एजेंसी विपणन व निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के समूह के अनुरूप है।
- एग्मार्क प्रमाणन के लिये मौजूदा प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्त्ता को स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। साथ ही इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता था।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने इन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान करके आसान, भरोसेमंद और किफायती बना दिया है।
- नई ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में आवेदकों के लिये शुल्क की रसीद ऑनलाइन प्राप्त करने का भी प्रावधान हैं। भुगतान gov.in वेबसाइट के द्वारा डिजिटल मोड में प्राप्त किया जाएगा।

अस्त्र बियॉन्ड विज़ुअल रेंज मिसाइल

हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से तैयार की गई बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) का सुखोई- 30 (SU-30) लड़ाकू विमान के ज़रिये सफल परीक्षण किया।

- यह परीक्षण पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदनीपुर ज़िले के खड़कपुर स्थित कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से किया गया।
- कृत्रिम लक्ष्य के साथ किया गया यह परीक्षण मिशन के सभी मानकों और उद्देश्यों पर खरा उतरा।
- अभी तक किये गए परीक्षणों की श्रृंखला में 'अस्त्र' को पूरी तरह से SU- 30 लड़ाकू विमान द्वारा छोड़ा गया था।
- यह हवाई परीक्षण इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्व में किये गए परीक्षणों की श्रृंखला का अंतिम हिस्सा था।
- 'अस्त्र' मिसाइल हथियार प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ है और अब तक इसके 20 से अधिक परीक्षण हो चुके हैं।
- अस्त्र भारत का पहला स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है।

नोट :

- यह उन्नत प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू विमान चालकों को 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और उन्हें मार गिराने की क्षमता प्रदान करता है।
- DRDO ने 'अस्त्र' प्रक्षेपास्त्र को मिराज 2000 H, मिग 29, सी हैरियर, मिग 21, HAL तेजस और SU-30 विमानो में लगाने के लिये विकसित किया है।
- इसमें ठोस ईंधन प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है।

हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी

लोकोपकारी सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief- HADR) पर हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के कार्यकारी समूह (IWG) की बैठकों की श्रृंखला में तीसरी बैठक का आयोजन पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय, विशाखापत्तनम में 27-28 सितंबर, 2018 को निर्धारित है।

- हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की क्षेत्रीय ताकत को भुनाने के लिये फरवरी 2008 में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी की शुरुआत की गई थी।
- यह 21वीं सदी की पहली महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहल थी।
- इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 35 तटीय देशों को चार उपक्षेत्रों – दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया में बाँटा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इसमें 24 सदस्य और आठ पर्यवेक्षक नौसेनाएँ हैं।
- IONS एक क्षेत्रीय मंच उपलब्ध कराता है जहाँ सभी तटीय देशों के नौसेना प्रमुख समय-समय पर रचनात्मक तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं जिससे कि क्षेत्र के लिये ज़रूरी तंत्र, कार्यक्रम एवं गतिविधियों का सृजन किया जा सके अथवा उन्हें आगे बढाया जा सके।

IONS की अध्यक्षता

- IONS के अध्यक्ष का पद चारों उप-क्षेत्रों में क्रमिक रूप से स्थानांतरित होता रहता है।
- 2008 से 2010 - भारत
- 2010 से 2012 – संयुक्त अरब अमीरात
- 2012 से 2014 – दक्षिण अफ्रीका
- 2014 से 2016 – ऑस्ट्रेलिया
- 2016 से 2018 – बांग्लादेश

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उदघाटन तथा अन्य पहलों की शुरुआत

- हाल में उड़ीसा के कालाहांडी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उदघाटन किया गया है।
- यह केंद्र यौगिक उत्पादक, प्लम्बर, सिलाई मशीन ऑपरेटर, घरेलू स्वास्थ्य सहयोगी और इलेक्ट्रीशियन जैसे पाँच रोज़गार परक भूमिकाओं में कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
- इसका लक्ष्य हर साल 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है।
- 'प्रधानमंत्री कौशल केंद्र' कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- इस साझेदारी के तहत, कैदियों के कौशल प्रशिक्षण के लिये 7 राज्यों (असम, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और मणिपुर) के 16 जेलों में कौशल केंद्र स्थापित किये जाएंगे। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिया जाएगा।
- सौंदर्य एवं कल्याण सेक्टर कौशल परिषद और श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट के बीच भी एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

नोट :

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (Pradhan Mantri Kaushal Kendras)

- वर्ष 2017 में एमएसडीई द्वारा उद्योग जगत के मानकों के अनुरूप अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
- इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना की शुरुआत की गई थी। पीएमकेके के तहत संबंधित ज़िले के कौशल विकास अवसंरचना, प्रशिक्षण और रोज़गार प्राप्त करने के लिये एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है।
- यह कौशल विकास को गुणवत्ता के अनुरूप, आकांक्षापूर्ण और सतत् प्रक्रिया बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
- 22 दिसंबर, 2017 को 27 राज्यों के 484 ज़िलों व 406 संसदीय क्षेत्रों के लिये 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आवंटित किये गए थे।

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा अतुल्य भारत मोबाइल एप

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही अतुल्य भारत (Incredible India) मोबाइल एप एवं अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी लॉन्च किये गए।

- विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी ।
- विश्व पर्यटन दिवस- 2018 की थीम "पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन" है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय हर साल पर्यटन उद्योग के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करता है।
- ये पुरस्कार राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों, वर्गीकृत होटलों, पंजीकृत ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, व्यक्तियों तथा अन्य निजी संगठनों को संबंधित क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को आयोजित करने के लिये दिये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में 77 पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी।

सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम

- विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऑनलाइन लर्निंग का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से सार्थक रूप में देश की ब्रांडिंग करना है।

अतुल्य भारत मोबाइल एप

- अतुल्य भारत मोबाइल एप को टेक महिंद्रा द्वारा विकसित किया गया है जो भारत को एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।
- इसमें प्राचीन धरोहर, रोमांच, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख अनुभवों को शामिल किया गया है।

देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे तथा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे बेहतर हवाई अड्डे का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा

- इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे को पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य श्रेणी के हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों के आवागमन वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भी देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे को बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा

- सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश में बड़े शहरों के हवाई अड्डों की श्रेणी में सबसे अच्छे हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला।
- अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे को देश का पहला विश्व धरोहर हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है।

नोट :

- हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों से जोड़ने में मदद करती है।
- वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद ने इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बेहतर हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया था।

ट्राइब्स इंडिया तथा 'पंच तंत्र संकलन'

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइब्स इंडिया तथा ट्राइफेड ने 'पंच तंत्र संकलन' जारी किया तथा विश्व चैंपियन मुक्केबाज़ मैरीकॉम को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।

पंच तंत्र संकलन

- पंच तंत्र संकलन में हथकरघा और दस्तकारी सहित जनजातियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं की श्रेणी प्रस्तुत की गई है।

ट्राइफेड (TRIFED)

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास 'ट्राइफेड' (Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. - TRIFED) की स्थापना की गई।
- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया।
- यह संगठन विपणन विकास और उनके कौशल तथा उत्पादों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से देश के जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- इसके मुख्य कार्यों में क्षमता निर्माण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांड निर्माण और सतत आधार पर विपणन के अवसरों के लिये विपणन संभावनाओं की खोज करना शामिल है।
- ट्राइफेड अपनी खुद की दुकानों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है जिसे 'ट्राइब्स इंडिया' कहा जाता है।

भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास ढाँचा (UNSDF)

- नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने 2018-2022 के लिये भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढाँचे (UNSDF) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढाँचा (SDF) 2018-2022 भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयार करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सरकार के परामर्श से चिन्हित किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों की उपलब्धि हेतु समर्थन सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ कतारबद्ध करता है।
- इन प्राथमिकताओं को नीति आयोग की तीन-वर्षीय कार्यसूची (2017-2020) और अन्य नीति घोषणाओं (उदाहरण के लिये- 2022 तक 'न्यू इंडिया') में व्यक्त किया गया है तथा सतत विकास (एसडीजी 2030) के लिये कार्यसूची 2030 पर सहमत होने के लिये इन्हें कतारबद्ध किया गया है।
- नीति आयोग UNSDF के संचालन हेतु भारत में संयुक्त राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय समकक्ष है।
- UNSDF 2018-22 में सात प्राथमिक क्षेत्र शामिल हैं-
  1. गरीबी और शहरीकरण
  2. स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता
  3. शिक्षा और रोज़गार
  4. पोषण और खाद्य सुरक्षा
  5. जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, और आपदा तन्यता
  6. स्किलिंग, उद्यमिता और रोज़गार सृजन
  7. लिंग समानता और युवा विकास।

नोट :

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

- PMKSY एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मेगा फूड पार्क जैसे उद्योग, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वृद्धि अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना इत्यादि जैसी पहले से ही चल रही योजनाएँ शामिल हैं।
- इसमें कृषि-प्रसंस्करण के लिये आधारभूत संरचना, पीछली और अगली कड़ियों का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन तथा विस्तार जैसी नई योजनाएँ भी शामिल हैं।
- PMKSY का उद्देश्य कृषि का पूरक बनना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है।

रेलवे जल्द ही पेश करेगी स्मार्ट कोच

- भारतीय रेलवे ब्लैक बॉक्स और कृत्रिम बुद्धि (एआई) द्वारा संचालित सीसीटीवी जैसी नई सुविधाओं के साथ 'मेक इन इंडिया' स्मार्ट कोच पेश करेगी।
- इन कोचों के संस्करण 0 में, रेलवे कई नई विशेषताओं को पेश करने की योजना बना रही है।
- संस्करण 2.0 में फेस डिटेक्शन सुविधा युक्त वीडियो एनालिटिक्स, असामान्य घटना का पता लगाने, आग और धुएँ का पता लगाने वाली इकाई तथा कोच की ऊर्जा खपत को मापने के लिये एनर्जी-मीटरिंग मॉड्यूल जैसी सुविधाएँ होंगी।
- ब्लैक बॉक्स दूरस्थ निगरानी के साथ यात्री घोषणाओं के लिये संचार इंटरफेस, जीपीएस आधारित घोषणा ट्रिगर, यात्रियों के लिये आपातकालीन इंटरकॉम, डिजिटल गंतव्य बोर्ड, ट्रेन रिज़र्वेशन डिस्प्ले मॉड्यूल और सीसीटीवी के लिये कोच नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करेगा।

मुज़िरिस

पौराणिक कथाओं में

मुज़िरिस दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाह शहरों में से एक बंदरगाह शहर था। स्पाइस सिटी के रूप में प्रसिद्ध मुज़िरिस को मुराचिपट्टनम (Murachipattanam) भी कहा जाता था। मुराचिपट्टनम का वर्णन रामायण में भी है।

मुज़िरिस प्रोजेक्ट

- मुज़िरिस विरासत संरक्षण परियोजना देश की उस भव्य विरासत का एक उत्सव है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और अनेक प्रकार के भाषा-भाषी लोग रहते हैं। मुज़िरिस विरासत परियोजना केरल पर्यटन विभाग की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इसे केंद्रीय पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है।
- इसके तहत केरल में ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों, संग्रहालयों, उपासना स्थलों और पुरातात्त्विक स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा।
- मुज़िरिस विरासत परियोजना देश में विरासत संरक्षण की सबसे बड़ी और केरल की पहली हरित परियोजना है। इस परियोजना को 'मसाला मार्ग पहल' का भी नाम दिया गया है। इसके तहत केरल के मालाबार तट के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों के सामुद्रिक संपर्कों के इतिहास की खोज की जाएगी।
- यह त्रिशूर में कोडुंगल्लूर (Kodungallur) और एर्नाकुलम (Ernakulam) में उत्तर परवुर के बीच एक विरासत पर्यटन सर्किट का निर्माण करता है।

रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना

हाल ही में रेल मंत्रालय ने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से भारतीय रेलवे की 'रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना' की शुरुआत की है। यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की रेल धरोहरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से अपनी तरह का प्रथम ऐतिहासिक प्रयास है। इसे 'गाथा बयां करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' के ज़रिये सुलभ कराया जाएगा।

- भारतीय रेल और गूगल के बीच इस भागीदारी में वाई-फाई सेवाएँ सम्मिलित हैं, जिसे देश के 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक विस्तारित किया गया है। रेल सहयोग के माध्यम से 5,000 से अधिक स्टेशनों को निजी और सार्वजनिक भागीदारी के ज़रिये उन्नत बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है।

नोट :

- गूगल आर्ट एंड कल्चर के साथ साझेदारी के माध्यम से रेवाड़ी स्टीम सेंटर स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, तीन वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे, सीएसएमटी मुंबई भवन समेत देश की रेलवे धरोहर से जुड़े कई अन्य स्थानों का डिजिटलीकरण किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल, 1853 को बोरी बंदर और ठाणे के बीच अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद से न केवल भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक बन गया है बल्कि इसने देश के सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- रेल विरासत का डिजिटलाइज़ेशन कलाकृतियों और अन्य विरासत संपत्तियों को संदर्भित करने के लिये बहुत से अवसर प्रदान करता है।
- 151,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक, 7,000 स्टेशन, 1.3 मिलियन कर्मचारी और 160 साल के इतिहास के साथ, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्कों में से एक है।
- इस दिशा में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का नया ऑनलाइन संग्रह न केवल भारतीय रेलवे को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध रेल विरासत को दुनिया भर के लोगों के लिये डिजिटल रूप से सुलभ बनाने का काम करेगा।
- 75 ऑनलाइन प्रदर्शनियों, 3500 से अधिक चित्रों और 200 वीडियो भारत के रेलवे स्टेशनों, उनकी खूबसूरत भौगोलिक स्थितियों और महत्त्व का गहराई से चित्रण करेंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :